एससी/एसटी आरक्षण: केंद्र पंकजा ने अब ट्विटर परिचय से का सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार

का आग्रह

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के समृद्ध तबके (क्रीमी लेयर) को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने संबंधी शीर्ष अदालत का 2018 का फैसला पुनर्विचार के लिए सात सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा जाए। पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 2018 में अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समृद्ध लोग यानी क्रीमी लेयर को कॉलेज में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।

शीर्ष अदालत ने जरनैल सिंह प्रकरण में कहा था कि संवैधानिक अदालतें आरक्षण व्यवस्था पर अमल के दौरान समता का सिद्धांत लागु करके आरक्षण के लाभ से ऐसे समृहों या उप-समृहों के समृद्ध तबके को शामिल नहीं करके अपने अधिकार क्षेत्र में होंगी। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत के पीठ ने केंद्र की ओर से अटानी जनरल केके वेणुगोपाल के इस कथन का संज्ञान लिया

कि क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का सिद्धांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं किया जा

वेणुगोपाल ने कहा, 'यह बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है। मैं चाहता हूं कि यह पहलू सात न्यायाधीशों के वहद पीठ को सौंपा जाए क्योंकि क्रीमी लेयर का सिद्धांत इन श्रेणियों पर लागू नहीं किया जा सकता।' यह सिद्धांत आरक्षण का लाभ नहीं देने के लिए वंचित तबकों के समृद्ध लोगों के बीच विभेद करता है और इस समय यह इंदिरा साहनी प्रकरण में नौ सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले के आलोक में पिछड़े वर्गों पर लाग होता है। समता आंदोलन समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने अटार्नी जनरल के इस कथन का विरोध किया। पीठ ने इस पर दो सप्ताह बाद सुनवाई की तारीख निर्धारित करते हुए आरक्षण नीति में बदलाव के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष ओपी शुक्ला और पूर्व आइएएस अधिकारी एम एल श्रवण की याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को नोटिस जारी किए।

भाजपा का जिक्र हटाया

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

फेसबुक पर पोस्ट डालने के बाद अब अपने 'ट्विटर बायो' से पंकजा मुंडे ने भाजपा शब्द हटा दिया है। इससे उनके अगले कदम को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। इस बीच, शिवसेना ने भी यह कहकर सियासी पारा और चढ़ा दिया है कि भाजपा कई नेता उसके संपर्क में हैं। हालांकि महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटील ने पंकजा मुंडे के पार्टी छोड़ने की खबरों की निराधार बताया है।

भाजपा नेता पंकजा ने ट्विटर पर अपने बायो में से भाजपा शब्द हटा दिया है। पंकजा ने 28 नवंबर को तीन ट्वीट किए थे, जिनमें महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बधाई दी थी। हालांकि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के बारे में कुछ नहीं लिखा था। सोमवार को पंकजा ने अपने टिवटर बायो से सारी जानकारी हटा दी। इसमें उन्होंने भाजपा का नाम और अपने राजनीतिक सफर का विवरण भी हटा दिया।

इससे पहले पंकजा ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि वह 8-10 दिन में अपना आगे का रास्ता चुनने के बारे में फैसला

करेंगी। फेसबुक पोस्ट में पंकजा ने कहा था कि बदले राजनीतिक परिवेश में अपनी ताकत को समझना जरूरी है। मुझे 8-10 दिन तक कुछ चिंतन करना है और मैं 12 दिसंबर को आप सभी से मुलाकात करूंगी। यह हमारे नेता गोपीनाथ मुंडे जी का जन्मदिन है। मैं अगले 8-10 दिन में मैं यह तय कर लूंगी कि मुझे आगे क्या करना है और कौन से रास्ते पर जाना है।

पंकजा मुंडे को लेकर चल रहे कयासों को लेकर चंद्रकांत पाटील ने सोमवार को सफाई दी। मुंबई में उन्होंने कहा, 'भाजपा के नेता, पंकजा मुंडे से संपर्क में हैं। वह हार के बाद आत्मनिरीक्षण कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह भाजपा छोड रही हैं।' उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत के इस दावे को खारिज किया कि कई नेता उद्धव ठाकरे नीत पार्टी में शामिल होने के लिए

पाटील ने कहा, 'महाराष्ट्र में दुर्घटनावश बनी सरकार निराधार खबरें फैला रही है। उनके ठाकरे परिवार से अच्छे पारिवारिक रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह शिवसेना में शामिल होने जा रही हैं।'

आरटीआइ के दायरे में होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के प्रस्तावित पद के लिए जिम्मेदारियों और उससे संबंधित कार्य ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सूत्रों ने कहा कि सरकार के अगले दो हफ्तों में सीडीएस की नियुक्ति की घोषणा कर देने की उम्मीद है जो सरकार का शीर्ष सैन्य सलाहकार होगा। करगिल समीक्षा समिति ने 1999 में इसके लिए सुझाव दिए थे।

रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा में कहा कि सीडीएस, सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उल्लेखनीय सैन्य सुधार के तहत 15 अगस्त को घोषणा की थी कि भारत में सीडीएस का पद सुजित किया जाएगा जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। प्रधानमंत्री की घोषणा के कुछ दिन बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल की अध्यक्षता में एक क्रियान्वयन समिति बनाई गई थी जिसे सीडीएस की सटीक जिम्मेदारियों और कार्य ढांचे को अंतिम रूप देना था।

मोदी चाहते थे मेरा साथ, मैंने प्रस्ताव ठुकराया : पवार

मुंबई, 2 दिसंबर (भाषा)।

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

पवार ने सोमवार को एक मराठी टीवी चैनल को साक्षात्कार में ये दावा किया। पवार ने कहा, 'मोदी ने मुझे साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था। मैंने उनसे कहा

कि हमारे निजी संबंध बहुत अच्छे हैं और वे हमेशा रहेंगे लेकिन मेरे लिए साथ मिलकर काम करना संभव नहीं है।' पवार ने ऐसी खबरों को खारिज कर दिया कि मोदी सरकार ने उन्हें देश का राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, 'लेकिन, मोदी नेतृत्व वाली कैबिनेट में सुप्रिया (सुले) को मंत्री बनाने का एक प्रस्ताव जरूर मिला था।' सुप्रिया सुले, पवार की बेटी हैं और पुणे जिला में बारामती से लोकसभा सदस्य हैं।

ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक संसद में मंजूर

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

युवाओं और बच्चों को ई सिगरेट के खतरे से बचाने के लिए इसे प्रतिबंधित करने वाले विधेयक को सोमवार को संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने 'इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक, 2019 को चर्चा के बाद पास कर दिया। लोकसभा इसे पिछले सप्ताह ही पास कर चुकी है।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्द्धन ने उच्च सदन में गुरुवार को पेश विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि दुनिया की तमाम बड़ी तंबाकू कंपनियों ने भारत में ई सिगरेट उत्पाद पेश कर युवाओं को लक्षित करने की तैयारी कर ली थी।

आठ कानूनी प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब तलब

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

धन शोधन एवं बैंकिंग नियमन कानुन सहित आठ कानूनों के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। इन प्रावधानों के तहत अपराध पीड़ितों को अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमित नहीं मिलती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायूर्ति सी हरिशंकर ने कानून एवं न्याय मंत्रालय, वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी कर गैर सरकारी संगठन की ओर से दायर याचिका पर उनका रुख पृछा है।

भारत की जवाबी कार्रवार्ड में चार पाक फौजी ढेर

पेज 1 का बाकी के तीन पोस्ट तबाह कर दिए गए। उनके चार सैन्यकर्मियों के मारे जाने की खबर है. जिनमें दो अधिकारी हैं।

सैन्य प्रवक्ता के मताबिक, पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल हुए भारतीय नागरिक की पहचान जमालदीन (55) के रूप में हुई है। वह कस्बा गांव के निवासी हैं। जम्मू मेडिकल कॉलेज में घायल का इलाज चल रहा है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने शनिवार दोपहर करीब तीन बजे पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के कस्बा और किरनी सेक्टर में संघर्षविराम का उल्लंघन किया था।

पाकिस्तानी आइएसपीआर के डीजी मेजर जनरल आसिफ गफुर ने राखचिकरी और रावलकोट सेक्टरों में भारतीय गोलाबारी से बड़ी तबाही की बात मानी है। अपने आखिरी ट्वीट में गफुर ने कहा कि पाकिस्तान के चारों फौजियों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी मौत हो गई।

फैसला सबूतों और तर्क पर आधारित नहीं : मदनी

पेज 1 का बाकी

पर आया फैसला समझ से परे है और तर्क पर आधारित नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि इस मामले में संविधान में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है न कि इसका मकसद देश के 'सांप्रदायिक सौहार्द' में बाधा डालना है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से रामजन्म भुमि-बाबरी मस्जिद विवाद में पुर्निवचार याचिका दायर करने के कुछ घंटों के बाद मदनी ने कहा कि अगर उच्चतम न्यायालय अयोध्या मामले पर दिए गए अपने फैसले को बरकरार रखता है तो मुसलिम संगठन उसे मानेगा। उन्होंने कहा, 'हमने बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे में विवादित फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है।'

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मालीवाल करेंगी अनशन

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली,2 दिसंबर।

बलात्कारियों को छह महीने के भीतर फांसी की सजा वाले काननू को लागू करवाने की मांग को लेकर दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मंगलवार से बेमियादी अनशन करेंगी। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती, वे अनशन नहीं

महिला आयोग की अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा, 'बहुत हो गया! नन्ही छह साल की बेटी और प्रियंका रेड्डी की चीखें मुझे दो मिनट भी चैन से नहीं बैठन दे रही।' हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के बलात्कार व हत्या सहित छह साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले के आलावा देश के विभिन्न हिस्से में पिछले कुछ दिनों में सामने आई बलात्कार की अन्य घटनाओं के खिलाफ मंगलवार से स्वाती आमरण अनशन पर बैठेंगी।

हैदराबाद की घटना अभी लोगों को विचलित कर ही रही थी कि राजस्थान में हुई ऐसी ही एक भयावह वारदात ने लोगों को हिला कर रख दिया है। बलात्कार की शिकार नन्हीं बच्ची की जघन्य हत्या के मामले से आहत स्वाति ने एक अन्य ट्वीट में कहा है, 'नर्न्ही बेटी को ऐसे रेप किया कि उसकी आंखें निकल गईं। कितना दर्द सहा होगा उसने!' मालीवाल ने देश की व्यवस्था व सत्ता पर भी आक्रोश जाहिर किया।

उन्होंने यह भी लिखा है कि ये जानवर रूपी लोग क्यों हैं देश में! ऐसे ही बेटियां मरती रहेंगी? संसद मौन रहेगा? सडे गले भाषण सुनते रहने पड़ेंगे? आंदोलनों के समय सत्ता की ओर से दिए जाने वाले कोरे आश्वासनों पर भी उन्होने तीखा प्रहार किया। लिखा है कि मेरे अनशन पर बोला था कि जल्द बलात्कारियों को फांसी देना शुरू करेंगे। अब तक नहीं किया! डुब मरो!

लोग सड़कों पर उतरे

पेज 1 का बाकी

भी सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली में क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) व संघर्षशील महिला संगठन सहित कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने निर्भया फंड तुरंत आवंटित करने और देश के सभी जिलों में निर्भया केंद्र बनाए जाने की मांग उठाई।

केवाईएस कार्यकर्ताओं ने प्रगतिशील महिला संगठन (पीएमएस) व अन्य संगठनों जैसे नॉर्थ-ईस्ट फोरम फॉर इंटरनेशनल सोलीडारिटी (नेफिस)के साथ मिलकर जंतर-मंतर पर धरना दिया। केवाईएस ने मांग की कि पीडिता के परिवार की शिकायत न लिखने वाले सभी पुलिसकर्मियों को नौकरी से निकाला जाए और उन पर सख्त कार्रवाई सनिश्चित की जाय।

दूसरी ओर, हैदराबाद में शादनगर कस्बे में लोगों ने एक पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन किया और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। इसी थाने में चार आरोपियों को रखा गया है। इस कस्बे के पुलिस थाने के सामने हमें न्याय चाहिए का नारा लगाते हए स्थानीय निवासियों ने धरना दिया, जिसमें महिलाएं और छात्र भी शामिल थे।

रेलवे ने सौ रुपए कमाने के लिए खर्चे 98.44 रुपए

पेज 1 का बाकी

2016-17 में 2,68,759.62 करोड़ रुपए से 2017-18 में बढ़कर 2,79,249.50 करोड़ रुपए हो गया। जबिक पूंजीगत व्यय 5.82 फीसद से घटा है और वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में 10.47 फीसद की वृद्धि हुई। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी लागत, पेंशन भुगतानों और रोलिंग स्टाक पर पट्टा किराया के प्रतिबद्ध व्यय 2017-18 में कुल संचालन व्यय का लगभग 71 फीसद था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल का सबसे बड़ा संसाधन माल भाड़ा है और उसके बाद अतिरिक्त बजटीय संसाधन और यात्री आय है। यद्यपि अतिरिक्त बजटीय संसाधन और डीजल सेस की हिस्सेदारी 2017-18 में बढ़ गई है। फिर भी 2012-17 के दौरान प्राप्ति के औसत आंकड़ों की तुलना में माल भाड़ा, यात्री आय, जीबीएस और अन्य हिस्सेदारी 2017-18 में घट गई।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उपयोग करना सुनिश्चित करे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-20 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए लक्षित 1.5 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की तुलना में प्रथम तीन वर्षों (2015 से 2018) के दौरान अनुमानित राशि लक्ष्य से कम है। रेलवे पिछले दो वर्षों के दौरान इस राशि को पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर सका था।

कैग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि रेलवे को आंतरिक राजस्व बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि सकल और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भरता रोकी जा सके।

इसमें सिफारिश की गई है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान रेल द्वारा वहन किए गए पंजीगत व्यय में कटौती हुई है। रेलवे पिछले दो वर्ष में आइबीआर-आइएफ के तहत जुटाए गए धन को खर्च नहीं कर सका। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे बाजार से प्राप्त निधियों का पूर्ण रूप से

देवेंद्र फडणवीस ने खारिज किया अनंत हेगड़े का दावा

पेज 1 का बाकी

कहा- आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में हाल ही में महज 80 घंटों के लिए हमारा आदमी मुख्यमंत्री था लेकिन जल्द ही फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। हमने यह नाटक क्यों किया? क्या हम नहीं जानते थे कि हमारे पास बहुमत नहीं है, वे क्यों मुख्यमंत्री बने ? यह आम सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नियंत्रण में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि थी। अगर राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना सत्ता में आती तो निश्चित तौर पर 40,000 करोड रुपए का इस्तेमाल विकास कार्य के लिए नहीं किया जाता और इसका दुरुपयोग किया जाता।

भाजपा नेता ने कन्नड़ भाषा में कहा, 'यह पहले ही तय था। जब हमें पता चला कि तीनों पार्टियां सरकार बना रही हैं, तो यह नाटक रचने का फैसला किया गया। इसलिए बंदोबस्त किया गया और फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई जिसके बाद 15 घंटों के भीतर फडणवीस ने पैसे को वही पहुंचा दिया, जहां उसे जाना चाहिए था और उसे बचा लिया।' उन्होंने कहा कि पूरा पैसा केंद्र सरकार को वापस दे दिया गया वर्ना अगले मुख्यमंत्री ने, आप जानते हैं कि क्या

मोदी से जवाब की मांग करते हुए कहा कि करेगी।

इससे राजग सरकार की पोल खुल गई है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा-एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने खोली मोदी सरकार की पोल, भाजपा का महाराष्ट्र विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ। उन्होंने सवाल किया कि क्या संघीय ढांचे को पांव तले रौंद दिया गया? क्या जनता और किसान की भलाई के काम आने वाला 40,000 करोड़ रुपया एक साजिश के तहत वापस ले लिया गया? प्रधानमंत्री जवाब दें।

दूसरी ओर शिवसेना ने हेगड़े के दावे को महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात बताया। फडणवीस के इस कथित कृत्य को विश्वासघात बताते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि फडणवीस और भाजपा महाराष्ट्र के लोगों के अपराधी हैं। राउत ने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे।

राकांपा के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने हेगडे के बयान पर कहा कि राज्य सरकार के लिए केंद्र को 40 हजार करोड़ रुपए का फंड लौटाना असंभव है। अगर यह सब सच है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि अन्य राज्यों के साथ भी अन्याय है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओड़ीशा, कांग्रेस ने अनंत कुमार हेगड़े के कथित तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल की जनता दावे को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र इस तरह की नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं

बलात्कारियों को सार्वजनिक रूप से मिले सजा: जया बच्चन

पेज 1 का बाकी

नरमी नहीं की जानी चाहिए. उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई सार्वजनिक तौर पर होनी चाहिए।

इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि यह पहला अवसर नहीं है, जब मैं ऐसे किसी मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। निर्भया कांड, कठुआ कांड.... यह थम ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में एक दिन पहले भी उसी जगह इसी तरह की घटना हुई थी। वहां के सुरक्षा प्रभारी को क्यों जवाबदेह नहीं बनाया जाना चाहिए? उनसे सवाल क्यों नहीं किए जाने चाहिए? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का समुचित तरीके से निर्वाह क्यों नहीं किया?

उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापित एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हैदराबाद में एक युवा महिला पशु चिकित्सक के साथ सामृहिक बलात्कार एवं हत्या की घटना को लेकर चर्चा के लिए उन्हें कार्य स्थगन नोटिस दिए गए। सभापति ने कहा कि उन्होंने इन नोटिस को अस्वीकार कर दिया है लेकिन यह मुद्दा अत्यंत गंभीर है और इस पर वे सदस्यों को अपनी बात संक्षेप में कहने की अनुमित देंगे।

द्रमुक के पी विल्सन ने कहा कि अदालतों को 'बलात्कार के दोषियों का, जेल से रिहाई से पहले सर्जरी के जरिए या रसायनों के जरिए बंध्याकरण के आदेश देने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वे रिहा होने के बाद ऐसे अपराध दोबारा न कर सकें और दूसरों के मन में भी डर उत्पन्न हो। विल्सन ने कहा कि यह व्यवस्था दूसरे देशों में है। तृणमूल कांग्रेस के सुखेंद्र शेखर राय ने कहा कि हैदराबाद की घटना के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अधिकार क्षेत्र की बात की जबिक सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दे चुका है। ऐसे मामलों में किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। भाजपा के भूपेंद्र यादव ने ऐसी घटनाओं को सभ्य समाज के लिए चुभने वाली करार देते हुए कहा कि कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकार हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक दायित्वों में परिलक्षित होने चाहिए।

भारी बारिश, दीवार गिरने से 17 की मौत

पेज 1 का बाकी

स्थल पर पहुंचे। कलक्टर ने पत्रकारों से कहा कि ग्रामीणों ने परिसर में दीवार निर्माण के मामले पर उनसे बात की थी। राजामणि ने कहा कि जिला प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीणों के सुझावों पर गौर करेगा। वह आगे की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट देंगे। उन्होंने कहा कि मेट्ट्रपलायम सरकारी अस्पताल में भी सेवाओं को बेहतर किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को जिला मुख्यालय तक ना जाना पड़े। उधर लोअर भावनी प्रोजेक्ट जलाशय में जलस्तर 105 फुट के अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया और जलसंग्रहण क्षेत्र में पानी अधिकतम 32.8 टीएमसी फुट की क्षमता के मुकाबले 32 टीएमसी फुट से ऊपर जमा हो गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सोमवार की सुबह 3,500 क्यूसेक से तीन गुना ज्यादा यानी 11,950 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि परिणामस्वरूप राजस्व अधिकारियों ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया और भवानी नदी के तट के पास रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। पर्वतीय नीलगिरि जिले और पडोस के कोयंबट्र जिले के मेट्ट्रपलायम के जलसंग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद इस साल यह छठी बार है, जब बांध में जलस्तर बढ़ गया है।

प्रियंका की सुरक्षा में सेंध, मकान में घुस आई गाड़ी

पेज 1 का बाकी

गांधी वाड़ा के लोधी इस्टेट स्थित घर पर सुरक्षा में कथित सेंध के बारे में जानकारी नहीं है और वह इस पर जानकारी लेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने गांधी परिवार से एसपीजी हटा ली। अब उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है जिसमें सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा संभालते हैं।

अयोध्या: मुसलिम पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दायर की

पेज 1 का बाकी

वक्फ बोर्ड ने चुनौती नहीं देने का निर्णय लिया लेकिन इस प्रकरण के मूल वादकारों में शामिल एम सिद्दीक के कानूनी वारिस और उप्र जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अशहाद रशीदी ने 14 बिंदुओं पर शीर्ष अदालत के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की है।

अधिवक्ता एजाज मकबूल के माध्यम से दायर पुनर्विचार याचिका में नौ नवंबर के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। इस फैसले में न्यायालय ने मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट गठित करने का निर्देश केंद्र को दिया है।

रशीदी ने अयोध्या में प्रमुख स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ का भूखंड आबंटित करने के लिए केंद्र और उप्र सरकार को न्यायालय के निर्देश पर भी सवाल उठाया है। उनका तर्क है कि मुसलिम पक्षकारों ने इस तरह का कोई भी अनुरोध कभी नहीं किया। याचिका में दलील दी गई है कि विवादित स्थल पर मस्जिद गिराने सहित हिंदू पक्षकारों द्वारा अनेक अवैधताओं का संज्ञान लेने के बावजूद शीर्ष अदालत ने उन्हें माफ कर दिया और भूमि भी उनको दे दी।

पुनर्विचार याचिका के अनुसार, 'इस फैसले के माध्यम से न्यायालय ने बाबरी मस्जिद नष्ट करने और उसके स्थान पर वहां भगवान राम के मंदिर के निर्माण का परमादेश दे दिया है।' याचिका में कहा गया है कि यद्यपि फैसले में न्यायालय ने हिंदू पक्षकारों की अनेक अवैधताओं, विशेषकर 1934 में (बाबरी मस्जिद के गुंबदों को नुकसान पहुंचाना) 1949 (बाबरी मरिजद को अपवित्र करना) और 1992 (बाबरी मस्जिद को गिराना) का संज्ञान लिया, फिर भी उसने इन गैरकानूनी कृत्यों को माफ करने और विवादित स्थल को उसी पक्ष को सौंप दिया जिसने अनेक गैरकानूनी कृत्यों के आधार पर अपना दावा किया था।

हालांकि, रशीदी ने याचिका में कहा है कि वह पूरे फैसले और अनेक नतीजों पर पुनर्विचार का अनुरोध नहीं कर रहे हैं और उनकी याचिका हिंदुओं के नाम भूमि करने जैसी त्रुटियों तक सीमित है क्योंकि यह एक तरह से बाबरी मस्जिद को नष्ट करने के परमादेश जैसा है और हिंदू पक्षकारों को इसका अधिकार देते समय कोई भी व्यक्ति इस तरह की अवैधता से लाभ हासिल नहीं कर सकता है। याचिका में कहा गया है कि फैसले ने

कानून के इस प्रतिपादित सिद्धांत को नजरअंदाज किया कि वादहेतु दागी कार्रवाई के आधार पर दीवानी मामले में डिक्री नहीं की जा सकती या फिर यह टिक नहीं सकती।

रशीदी ने 93 पेज की अपनी पुनर्विचार याचिका में यह भी दलील दी है कि संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 का गलत तरीके से इस्तेमाल करके गलती की है क्योंकि पूर्ण न्याय करने या फिर अवैधता को सही करने के लिए सिर्फ बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का निर्देश दिया जा सकता है। रंशीदी ने कहा कि वह इस प्रकरण की संवेदनशीलता के प्रति सजग हैं और शांति व सद्भाव बनाए रखने के लिए इस विवाद को खत्म करने की आवश्यकता भी समझते हैं लेकिन न्याय के बगैर किसी प्रकार की शांति नहीं हो सकती है।

संविधान पीठ ने अयोध्या में 2.77 एकड की विवादित भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान के बीच बराबर-बराबर बांटने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर नौ नवंबर को अपना सर्वसम्मति का निर्णय सुनाया था।

महिला सुरक्षा: देश भर में आक्रोश, संसद में गूंज

पेज 1 का बाकी

कि इस मामले में चार दोषियों को अभी तक फांसी पर नहीं लटकाया गया है जबकि उनकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि एक तय समय सीमा में ऐसे अपराधियों को सजा दी जानी चाहिए।

द्रमुक के टीआर बालू ने कोयंबटूर में 12 साल की बच्ची के साथ कथित सामृहिक दुष्कर्म का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने मांग की कि हैदराबाद की घटना पर सदन संज्ञान ले और केंद्र सरकार तत्काल कठोर कानून लाकर दुष्कर्म के मामलों में केवल मौत की सजा का प्रावधान लाए। तेलंगाना से भाजपा के बी संजय कुमार ने दोषियों के खिलाफ तत्काल कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। राकांपा की सुप्रिया सुले, बसपा के दानिश अली, अपना दल की अनुप्रिया पटेल सहित कई अन्य सदस्यों ने भी बलात्कार के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। टीआरएस

सदस्य नामा नागेश्वर राव ने कहा कि ऐसी जघन्य घटनाएं किसी राज्य का विषय नहीं है बल्कि यह पूरे देश के समक्ष समस्या है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए आइपीसी, सीआरपीसी में संशोधन करने की जरूरत है।

इस मुद्दे पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा-आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने के संकल्प की तरह ही सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध को कर्तई बर्दाश्त नहीं करने की प्रतिबद्धता रखती है। बलात्कार के मामले में कानून को और कठोर बनाने की मांग पर रेड्डी ने कहा- सदस्यों ने सीआरपीसी, आइपीसी में संशोधन की बात कही है। सरकार तैयार है। इस बारे में सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है। विधि विभाग और पुलिस विभाग से भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

सदन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा-किसी मां, किसी बेटी के साथ ऐसी घटनाओं की हम सभी एक स्वर में निंदा करते हैं। ऐसी घटनाओं की किसी भी राज्य में पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए सदन चिंतित है।

नई दिल्ली

www.readwhere.com

COURT NOTICE

In the court of Sh. Gurdarshan singh

Next date, purpose of case, orders and

http://ecourts.gov.in

MANOJ SHARMA

Road, Jhansi-284001 Uttar Pardesh

of this court that you, the above named

the ordinary way of service. Hence this

proclamation under 82 of code of criminal

M/S HERO EXPORTS

Notice To: Manoj Sharma Prop M/s Pawan

Automobiles 489-1b, Mission Gate, Gwallor

Whereas it has been proved to the satisfaction

accused// accused persons can't be served in

procedure is hereby issued against you with a

before this court on 04-01-2020 at 10.00 a.m.

Or with in 30 days from the date of publication

direction that you should appear personally

Take notice that, in case of default on your

law, in your absence. For details logon to

part to appear as directed above the above

said case will be heard and determined as per

https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n

Dated, this day of 26-11-2019 JMIC LUDHIANA

CNR NO: PBLD03-010083-2017

NEXT DATE 04-01-2020

वाशिंगटन, २ दिसंबर (भाषा)

अमेरिका के सैन बर्नार्डिनो में भारतीय छात्र अभिषेक सुदेश भट की हत्या के आरोपी अमेरिकी नागरिक ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

सैन बर्नार्डिनो पुलिस विभाग ने रिववार को बताया कि 42 वर्षीय एरिक टर्नर ने शनिवार को आत्मसमर्पण कर दिया। उसे एक मोटल के बाहर 25 वर्षीय सुदेश की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जहां सुदेश पार्ट-टाइम काम करता था।

कर्नाटक के मैसूरु के रहने वाले अभिषेक सैन बर्नार्डिनो में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिर्विसटी में कंप्यूटर साइंस में स्नातकत्तर की पढ़ाई कर रहे थे। टर्नर ने बृहस्पतिवार दोपहर मोटल के बाहर गोली मार कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने उन्हें घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया था। सैन बर्नार्डिनो पुलिस विभाग ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अभी यह नहीं पता चला है कि टर्नर ने सुदेश की हत्या क्यों की। सैन बर्नार्डिनो के सार्जेंट अल्बर्ट टेलो ने बयान में कहा, 'संदिग्ध की पहचान की जा चुकी थी और शनिवार को उसने अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

राजकीय विमाण विगम लि० (राज्य सरकार का एक उपक्रम) विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

अल्पकालीन ई-प्रोक्योरमेन्ट नोटिस

प्रबन्ध निदेशक, उ०५०रा०नि०नि०लि०, लखनऊ की ओर से इकाई प्रभारी ई-प्रोक्योरमेन्ट हेतु निर्माण निगम में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मी से आमंत्रित की जाती है, कार्यों का विवरण निम्नवत है:-कार्य का नाम ई-प्रोक्वोरमेन्ट अनुमानित | धनराशि | करने | निविदा प्रपत्र का | मृत्य समस्त कर निविदा खोलने की लाख में) लाख में) बवधि चहित (स0) तिथि व समव सी0सी0टी0वी0 NIT No.-03/PM(E)/MKRSS 76.76 01.54 03 दिनांक -सर्विलांस सिस्टम U/RNN/PROCUREMEN 0/12/2019 /Suchana Vibhag/19 नमय - 03:30 Dated - 28-11-2019 अपराहन NIT No.-04/PM(E)/MKRSS विनाक -पी0 ए० सिस्टम/ 65.86 01.32 03 2,360.00 इलेक्ट्रोनिक बूम बैरियर सिस्टम U/RNN/PROCUREMENT नमय - 03:30 /Suchana Vibhag/19 Dated - 28-11-2019 अपराहन बायोमैदिक्स अटेन्डेन्डर NIT No.-05/PM(E)/MKRSS दिनांक -84.74 01.69 03 2,360.00 सिस्टम/ईपीबीएक्स U/RNN/PROCUREMENT 12/12/2019 माह सिस्टम/लैन/वैन् समय - 03:30 /Suchana Vibhag/19 अपराहन Dated - 28-11-2019

ई-प्रोक्योरमेन्ट से सम्बंधित सूचनाये, नियम/शर्ते, निविदा प्रपत्र तथा विवरण निगम की वेबसाइट http://www.upmn.co.in व https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

कापरिशन बैक शामली

इकाई प्रभारी (वि०)

मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

1 (ए) मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स प्रो. श्री अनुराग संगल पुत्र मदन लाल पताः मकान नं.-129, वार्ड नंबर- 03 जयप्रकाश सट्टे वाले के पास ब्राह्मण मीहल्ला शामली -247776 (यू पी)

(बी) श्री अनुराग संगल पुत्र मदन लाल पताः मकान नं.-129, वार्ड नंबर -03 जयप्रकाश सट्टे वाले के पास ब्राह्मण मौहल्ला शामली - 247776 (यू पी)

02.श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री मदन लाल मकान सं.-129, जयप्रकाश सट्टे वाले के पास वार्ड नंबर-03 ब्राह्मण मीहल्ला शामली - 247776 (यूपी) प्रिय महोदय/महोदया.

उपरोक्त शामली शाखा के प्राधिकत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पड़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 06.07.2019** जारी किये गये है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये के भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.06.2019** को एन.पी.ए. के रूप में

अवल संपत्तिः ईएमजी संपूर्ण दो मंजिला आवासीय मकान नंबर 129, वार्ड नंबर -03 जयप्रकाश सट्टे वाले के पास मीहल्ला ब्राह्मण क्षेत्रफल 69.69 वर्गमीटर । शामली, जिला शामली संपत्ति श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री मदन लाल के नाम। संपत्ति की सीमायें:-पूर्वः महेन्द्र कुमार का मकान पश्चिमः श्री सतीश शर्मा का मकाना, उत्तर सड़क, दक्षिण- सुशील गीतम का मकान

वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न

दृष्टि बंधक चल संपत्तिः 1. दृष्टिवंधक/1 चार्ज पर सूची सह पुस्तक ऋण

परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
	CVPDL-01-130008 (560556000004622)	Rs. 8,00,000/-	Rs. 2,84,967.00
	GRAND TOTAL	Rs. 8,00,000/-	Rs. 2,84,967.00

अतएव, ऋणधारक के रूप में आप स. 1(ए) व (बी) तथा गारंटर के रूप में आप स. 2 को उपरोक्त सूचना के अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिक दरों पर मिश्रित **13.25 प्रतिशत प्रति वर्ष** (मूल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के व्याज तथा बैंक के सूचना के लागत के साथ **रूपये 2,84,967.00** उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भूगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय। परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे।

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे

दिनांक : 02.12.2019 प्राविकृत अधिकारी

3 Dr Lat Path Labs

डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड

कॉरपोरेट आइडेंटिटी नम्बर: एल74899डीएल1995पीएलसी065388 पंजीकृत कार्यालयः ब्लॉक ई, सेक्टर-18, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 कॉरपोरेट कार्यालयः 12वीं मंजिल, टॉवर बी, एसएएस टॉवर, मेडिसिटी, गुरुग्राम-122001, हरियाणा वेबसाइटः www.lalpathlabs.com, ई-मेलः cs@lalpathlabs.com फोनः +91 124 3016500 । फैक्सः +91 124 4234468

कम्पनी के सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 110 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं संचालन) नियम, 2015, के अनुपालन में कम्पनी ने 02 दिसंबर, 2019 को डाक मत-पत्र सूचना के साथ डाक मत-पत्र फार्म ("डाक मत-पत्र सूचना") का प्रेषण

उन सदस्यों को जिनका नाम 15 नवंबर, 2019 ("कट-ऑफ तिथि") तक सदस्य रजिस्टर / रिकार्ड में अंकित थे (क) उन सदस्यों को जिनका ईमेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के रिकॉर्ड में पंजीकृत है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा (ख) अन्य सदस्यों को जिनका ईमेल पता पंजीकृत नहीं है, को एक डाक पूर्व-प्रदत्त स्व-संबोधित व्यावसायिक उत्तर लिफाफा के साथ भौतिक माध्यम से निम्नलिखित प्रस्ताव के संदर्भ में उनकी स्वीकृति की प्राप्ति हेतु पूरा कर लिया है। प्रस्ताव का विवरण वित्त वर्ष 2019-20 के लिए श्री राहुल शर्मा (डीआईएन: 00956625), गैर-अधिकारी निदेशक को

पारिश्रमिक का भुगतान समस्त गैर-अधिकारी निदेशकों को देय कुल पारिश्रमिक से पचास प्रतिशत

ई-मतदान सहित डाक मत-पत्र द्वारा मतदान की सुविधा निम्नलिखित अविध के दौरान

ई-मतदान की समाप्ति ई—मतदान का प्रारम्भ मंगलवार, 03 दिसंबर, 2019 बुधवार, 01 जनवरी, 2020 को सायं 5.00 बजे (भा.मा.स.) को प्रातः 9.00 बजे (भा.मा.स.)

बुधवार 01 जनवरी, 2020 को 5 बजे लायं के पश्चात ई-मतदान की अनुमति नहीं होगी और इसके पश्चात प्राप्त किसी भी डाक मत-पत्र फॉर्म को वैध नहीं माना जायेगा और इसे कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं के रूप में माना जायेगा।

डाक मत-पत्र की सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.lalpathlabs.com तथा ई-मतदान एजेन्सी की वेबसाइट अर्थात www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

जिन सदस्यों को डाक मत-पत्र फॉर्म नहीं प्राप्त हुए हैं अथवा जिन्हें ई-मेल द्वारा डाक मत-पत्र की सूचना प्राप्त हुई है और वे कागजी डाक मत-पत्र फॉर्म के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं वे कम्पनी के रजिस्टार तथा शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा. लि. (इकाई: डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड), नोबल हाइटस, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 के पास बुप्लीकेट डाक मत-पत्र फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं अथवा delhi@linkintime.co.in या cs@lalpathlabs.com पर ई-मेल

ई-मतदान सम्बन्धी किसी जानकारी अथवा मामले के लिए सदस्य www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के अधीन उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तथा ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा निःशुल्क फोन नं: 1800-200-55-33 पर फोन कर सकते हैं अथवा श्री राकेश दल्वी, प्रबन्धक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस (इण्डिया) लि., ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराधॉन फ्यूच्रेक्स, एनएम जोशी मार्ग, मफतलाल मिल कम्पाउंड, लोअर परेल (ई), मुम्बई-400013

से प्रदत्त ई-मेल आईडी helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सम्पर्क कर सकते हैं। डाक मत-पत्र द्वारा मतदान से सम्बन्धित किसी जानकारी अथवा मामले के लिए सदस्य कम्पनी सचिव, डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड-12वीं मंजिल, टॉवर बी. एसएएस टॉवर, मेडिसिटी, सेक्टर-38. गुरुग्राम-122001, ई-मेल: cs@lalpathlabs.com दूरभाष: +91 124 3016500 पर सम्पर्क कर

डाक मत-पत्र के परिणाम कम्पनी के कारपोरेट कार्यालय पर शुक्रवार, 03 जनवरी, 2020 को लगभग सायं 5.00 बजे (भा.मा.स.) पर घोषित किये जायेंगे और इसे कम्पनी की वेबसाइट www.lalpathlabs.com पर प्रदर्शित किया जायेगा। परिणाम ई-मतदान एजेंसी की वेबसाइट अर्थात www.evotingindia.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की उन वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के मताधिकार की कट-ऑफ तिथि 15 नवंबर, 2019 मानी जायेगी और जो व्यक्ति कथित कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है उसे इस सुचना को केवल सुचना के उद्देश्य के रूप में लेना चाहिए।

कृते डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड 喜./-

तिथिः 02 दिसंबर, 2019 रजत कालरा कम्पनी सचिव एवं वैधानिक प्रमुख स्थानः गुरुग्राम

www.readwhere.com

चीन ने अमेरिका पर लगाए प्रतिबंध

बेजिंग, २ दिसंबर (एएफपी)।

महाभियोग की

सुनवाई में हिस्सा

नहीं लेंगे ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप या उनके वकील

'बुनियादी प्रक्रिया का पालन नहीं

किए जाने और पारदर्शिता नहीं बरते

जाने के कारण' अमेरिकी राष्ट्रपति

के खिलाफ सोमवार को महाभियोग

ट्रंप पर आरोप हैं कि उन्होंने

की सुनवाई में हिस्सा नहीं लेंगे।

2020 के राष्ट्रपति चुनाव में

संभावित प्रतिह्रंही जो बाइडेन समेत

अपने प्रतिद्वंद्वियों की छवि खराब

करने के लिए यूक्रेन से गैरकानूनी

COURT NOTICE

Next date, purpose of case, orders and

NEXT DATE 04-01-2020

M/s Crystal Crop Protection Pvt Limited

Notice To: Seema Devi Prop Of M/s

Dhala Distt Siwan - 841226 Bihar

of this court that you, the above named

the ordinary way of service. Hence this

of this proclamation

tice&district=ludhiana

proclamation under 82 of code of criminal

Vaishno Agro Agency, Laxmipur Siswan

Whereas it has been proved to the satisfaction

accused// accused persons can't be served in

procedure is hereby issued against you with a

direction that you should appear personally

before this court on 04-01-2020 at 10.00 a.m.

Or within 30 days from the date of publication

Take notice that, in case of default on your part

to appear as directed above the above said

in your absence. For details logon to

case will be heard and determined as per law,

https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_no

http://ecourts.gov.in

CNR NO. PBLD03-030783-2018

Case information is available on

रूप से मदद मांगी।

In the court of Sh.

singh JMIC ludhiana

judgments as well as other

SEEMA DEVI

वाशिंगटन, २ दिसंबर (भाषा)।

हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अमेरिका द्वारा कानून बनाए जाने की जवाबी कार्रवाई में चीन ने सोमवार को अमेरिकी युद्धपोत को हांगकांग भेजने संबंधी अमेरिका के आवेदन को रद्द कर दिया। कई अमेरिकी गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध

लगाने का एलान किया। हांगकांग में पूरी स्वायत्तता की मांग को लेकर पिछले करीब छह महीने से भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिकी संसद में पारित हो चुके 'हांगकांग मानवाधिकार व लोकतंत्र अधिनियम' पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड टंप ने पिछले हफ्ते हस्ताक्षर कर दिए, जिसके तहत राष्ट्रपति को हांगकांग के तरजीही व्यापार दर्जे की सालाना समीक्षा करने का अधिकार है।

JMIC Ludhiana

of this proclamation.

otice&district=ludhiana

judgments as well as other

Case information is available on

कार्पोरेशन बैंक आवास विकास आगरा मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

1 (ए) दर्शना गुप्ता पत्नी राजीव गुप्ता पताः 371, अवास विकास कॉलोनी, अलीगंज, एटा-207001 1 (बी) राजीव गुप्ता पुत्र शंकर लाल गुप्ता पताः 371, अवास विकास कॉलोनी, अलीगंज, एटा-207001

उपरोक्त **आगरा आवास विकास शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पनः निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 04.05.2019** जार किये गये है तथा जो आपके ऑतेम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता बकाये के भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है। बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं ∕ऋण सुविधाओं को **दिनांक 22.03.2019** को एन.पी.ए. वे रूप में वर्गीकत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

संपत्ति के सभी भाग और पार्सल मकान नंबर 328/6 डी क्षेत्रफल 23.38 वर्गमी. स्थित आवास विकास कॉलोनी, तहसील और जिला आगरा। संपत्ति श्रीमती दर्शना गुप्ता पत्नी श्री राजीव गुप्ता के नाम पर निवासी आवास विकास कॉलोनी, एटा सीमायें:- पूर्वः मकान नंबर 305, पश्चिमः सड़क, उत्तरः मकान का ांबर 329, दक्षिण: मकान का नंबर 327

S.No. Nature of Limit Limit Sanctioned Outstanding Balance CHOME-01-130015 Rs. 5,00,000/-Rs. 3,08,551.00 **GRAND TOTAL** Rs. 3,08,551.00 Rs. 5,00,000/-अतएव, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1(ए) व (बी) को उपरोक्त सुचना के अनुसार निर्देश दिया जाता है कि

मासिक दरों पर मिश्रित **11.65 प्रतिशत प्रति वर्ष** (मूल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सुचना के लागत के साथ **रूपये 3,08,551.00** उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के मीतर भुगतान करें । इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एव पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त

प्रतिभत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे

प्राविकृत अधिकारी दिनांक : 02.12.2019 स्थान- आगरा आवास विकास

श्रिवालिक मकन्टाइल् का-आपरेटिव बैंक लि. पंजी. कार्यालयः 13/1207, अंसारी रोड, सहारनपुर- 247001 (उ.प्र.) <u>प्रधान का</u>र्यालय: 2रा तल, <u>5</u>ए एवं 5 बी, फ्यूजन स्क्वॉयर, सेक्टर 126, नोएडा परिशिष्ट-IV [देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के आशय के अंतर्गत बैंकिंग कम्पनी जिसका पंजीकत कार्यालय 13/1207, अंसारी रोड, सहारनपर-247001 (उ.प्र.) तथा प्रधान कार्यालय 2रा तल, 5ए एवं 5बी, फ्यूजन स्क्वॉयर, सेक्टर-126, नोएडा में है के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर ऋणधारक/पार्टियों को उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। नीचे वर्णित ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगैजरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज, परवर्ती ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागतों, चार्जेज आदि के साथ बकाया राशि के लिये

ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों)/ मार्टगैजर(रों) का नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं राशि कब्जा की तिथि
1. श्री धरमपाल (ऋणधारक/मार्टगैजर) पुत्र भुल्लन, निवासीः एच. 254, मोह-बंजारन रामपुर मनिहारन, जिला- सहारनपुर-247451. श्रीमती ममता (गारन्टर), पत्नी धरमपाल, निवासीः एच. नं. 254, मो बंजारन रामपुर मनिहारन, जिला- सहारनपुर-247451 3. राज् (गारन्टर) पुत्र किशन, निवासीः एच. नं. 107, मोह. मनिहारन, राम मनिहारन, जिला-सहारनपुर-247451.	2. 1985/2135, पेज नं. 4005 के राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत ह- रामपुर मनिहारन, तहसील देवबंद एवं जिला-सहारनपुर ान्द्र (उ.प्र.) में 32.10 के एरिया के माप में शामिल सम्पत्ति का	कब्जा की तिथिः 28.11.2019 बकाया राशिः रु.1,68,761.98/- (रुपये एक लाख अड़सठ हजार सार सौ इकसठ तथा पैसे अन्ठानवे मात्र)
1. श्री इस्लाम, पुत्र श्री शमशुद्दीन (ऋणधारक/मॉर्टगैजर) निवासी मो महल, महल वाली मस्जिद के निकट, रामपुर, मनिहारन, सहारनपुर. श्रीमती भूरी, पत्नी इस्लाम (सह-ऋणधारक) निवासीः एच. नं. मो महल, महल वाली मस्जिद के निकट, रामपुर, मनिहारन, सहारनपुर. श्री अमजद, पुत्र श्री सईद अहमद (गारन्टर), मोह- महल, महल व मस्जिद के निकट, रामपुर, मनिहारन, सहारनपुर. 4. श्री नईम अहम् पुत्र श्री बजीर अहमद (गारन्टर), निवासीः मोह. महल, बस्ती के निव रामपुर मनिहारन, सदर	2. नं. 179/200, दस्ता. नं. 5656, क्षेत्रफल माप 83.75 वर्ग मी. ह- में राजस्व अभिलेखों में दर्ज मोहल्ला मस्जिद कसबा, रामपुर 3. मनिहारन, परगणा एवं तहसील, रामपुर मनिहारन, जिला ली सहारनपुर में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा बद, चौहद्दीः उत्तरः इकराम का प्लॉट, पूर्वः इकराम का प्लॉट,	कब्जा की तिथिः 28.11.2019 बकाया राशिः रु. 3,86,424.62/- (रुपये तीन लाख छियासी हजर चार सं चौबीस तथा पैसे बासठ मात्र)
1. श्री मोहम्मद खालिद, पुत्र आबिद हसन (ऋणधारक) निवासीः मो महल, रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर-247451 2. श्रीमती ह जहाँ, पत्नी मोहम्मद खालिद (सह-ऋणधारक) निवासीः मोह-मह रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर-247451 3. श्री असलम शेर, सलीमुद्दीन (गारन्टर) निवासीः एच. नं. 91, मोह-मनिहारन, राम्मनिहारन, जिला-सहारनपर-247451, 4. श्री खालिक अहमद.	सन पेज नं. 163/226, दस्ता. नं. 3508, एरिया माप 315.06 वर्ग ल, मी में राजस्व अभिलेख में पंजीकृत रामपुर मनिहारन, बेरुन पुत्र हदूद, जेड.ए. रामपुर मनिहारन एवं जिला सहारनपुर (उ.प्र.) पुर में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः	कब्जा की तिथिः 28.11.2019 बकाया राशिः रु. 6,79,226.12 (रुपये छः लाख उन्यासी हजार दो सं छब्बीस तथा पैसे बारह मात्र)

आबिद हसन (गारन्टर) निवासीः मोह-महल, रामपुर मनिहारन, जिला लेन 10'-0'' चौड़ा, दक्षिणः मसरूफ का प्लॉट, सम्पत्ति का सहारनपुर-247451 5. श्री अनिल कुमार अगरवाल, पुत्र जय भगवान माप, स्वामीः श्रीमती अल्लाह राखी, पत्नी आबिद हसन (गारन्टर) निवासीः एच. नं. ३६६, मोह-बंजारन, रामपुर मनिहारन, जिला-सहारनपुर-247451 तथा 6. श्रीमती अल्लाह राखी, पत्नी आबिद हसन (गारन्टर/मार्टगैजर) निवासीः मोह-महल, रामपुर मनिहारन, जिला 1. श्री शमशीर (ऋणधारक एवं मार्टगैजर) पुत्र बुन्दू खान निवासीः एच. बही नं.-1, जिल्द नं. 3756, पेज नं. 1-18, क्रम सं. 0964 मांग सूचना तिथिः 4.9.2019

नं. 41, ग्राम-सालारपुर, सेक्टर-39, नोएडा, गौतमबुध नगर-201301. के राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत टाइटल डीड के अनुसार कब्जा तिथिः 26.11.2019 🛮 2. श्रीमती फिरदौस (सह-ऋणधारक), पत्नी श्री शमशीर, निवासीः एच. खसरा नं. 775, ग्राम-सालारपुर खादर, तहसील-दादरी, बकाया राशिः रु. 2,18,780/-नं. 41, ग्राम-सालारपुर, सेक्टर-39, नोएडा, गौतमबुध नगर-201301 जिला गौतमबुध नगर, उ.प्र. में स्थित 41.80 वर्ग मी. के (रुपये दो लाख अठारह हजार सात सौ 🕽 अी मृत्युंजय सिंह (गारन्टर), पुत्र रामाश्रय सिंह, निवासीः मैन रोड, एरिया में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः अस्सी मात्र) उत्तरः रोड, पूर्वः राजू का प्लॉट, पश्चिमः अलीशेर का प्लॉट, महर्षि आश्रम, सालारपुर, नोएडा, गौतमबुध नगर-201301 दक्षिणः प्लॉट दीगर, सम्पत्ति माप, स्वामीः श्री शमशीर। 1. श्री अमित सेन (ऋणधारक) पुत्र प्रेम सिंह, निवासीः एच. नं. 127, बही नं.-1, जिल्द नं. 615, पेज नं. 117-132, क्रम सं. मांग सूचना तिथिः 4.9.2019 ग्राम हरसायेयेव, कवि नगर, सेक्टर-39, गाजियाबाद, उ.प्र.-201001. 6270 में पंजीकृत टाइटल डीड के अनुसार ग्राम हरसाओ, कब्जा तिथिः 26.11.2019 2. श्री प्रेम सिंह (गारन्टर एवं मार्टगैजर), पुत्र श्री हरि किशन सिंह, परगणा डासना, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र. में बकाया राशिः रु. 1,91,375.65/– निवासीः निवासीः एच. नं. 127, ग्राम हरसायेयेव, कवि नगर, सेक्टर- स्थित 46.82 वर्ग मी. के एरिया में शामिल सम्पत्ति का सभी (रुपये एक लाख इक्यानवे हजार तीन 39, गाजियाबाद, उ.प्र.-201001 तथा 3. श्री सुशील सेन (गारन्टर), भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः सूरज का मकान, पूर्वः सौ पचहत्तर तथा पैसे पैंसठ मात्र) 🛮 पुत्र आशा राम सेन, निवासीः निवासीः एच. नं. 127, ग्राम हरसायेयेव, हरसरण का मकान, पश्चिमः रामसरण का मकान, दक्षिणः

फीट चौड़ा रोड, सम्पत्ति का माप, स्वामीः श्री अमित सेन किव नगर, सेक्टर-39, गाजियाबाद, उ.प्र.-201001 1. श्री लक्ष्मण प्रसाद (ऋणधारक एवं मार्टगैजर), पुत्र श्री रामदेव शाहा, बही नं.-1, जिल्द नं. 6702, पेज नं. 29/58, क्रम सं. 6494 मांग सूचना तिथिः 2.7.2019 |निवासीः खसरा नं. 76, ग्राम जलपुरा, परगणा एवं तहसील दादरी, के राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत खसरा नं. 76, ग्राम कब्जा तिथिः 26.11.2019 गौतमबुध नगर, 2. श्री धनंजय कुमार (गारन्टर), पुत्र श्री भोला गोस्वामी जलपुरा, दादरी गौतमबुध नगर, उ.प्र. में स्थित 141 वर्ग बकाया राशिः 17,17,369/-निवासीः आरसी 900 दीपक विहार खोरा कॉलोनी, गाजियाबाद- यार्ड्स के एरिया में शामिल प्लॉट का सभी भाग तथा हिस्सा 🛭 (रुपये सत्तरह लाख सत्तरह हजार तीन 201010 तथा श्री कार्तिकेय कुमार (गारन्टर), पुत्र लक्ष्मण प्रसाद, चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, पूर्वः अन्य प्लॉट, पश्चिमः रोड, सौ उन्हत्तर मात्र)

निवासीः खसरा नं. 76, ग्राम जलपुरा, दादरी, गौतमबुध नगर दक्षिणः गली, सम्पत्ति माप, स्वामीः श्री लक्ष्मण प्रसाद, पुत्र श्र 1. श्री मोह. गयासुद्दीन (ऋणधारक), पुत्र श्री आस मोहम्मद, निवासी: बही नं.-1, पेज नं. 437/454, क्रम सं. 5776, माप 35 वर्ग मांग सूचना तिथि: 11.9.2019 एच. नं. 2, चिपयाना ख़ुर्द टिगरी, सोम बाजार के निकट, शिव मंदिर, यार्ड्स के राजस्व अभिलेखों में दर्ज खसरा नं. 85, दुर्गापुरम्, कब्जा तिथिः 25.11.2019 गौतमबुध नगर (उ.प्र.), पिन कोड-201301. 2. श्रीमती जमीला निशा ग्राम चिपयाना खुर्द उर्फ टिगरी, परगणा एवं तहसील दादरी, बकाया राशिः रु. 505385/-(मार्टगैजर), पत्नी मोह. गयासुद्दीन निवासीः एच. नं. 2, चिपयाना खुर्द जिला गौतमबुध नगर, उ.प्र. में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग (रुपये पांच लाख पांच हजार तीन सौ टिगरी, सोम बाजार के निकट, शिव मंदिर, गौतमबुध नगर (उ.प्र.), पिन तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, पूर्वः 13'-0'' चौड़ा पचासी मात्र)

कोड-201301 तथा, 3) श्री याद राम (गारन्टर) पुत्र श्री ठकराई राम, रोड, पश्चिमः 10'-0'' चौड़ा रोड, दक्षिणः अन्य प्लॉट, निवासी, चिपयाना खुर्द, टिगरी निवासीः एच. नं. 2, चिपयाना खुर्द सम्पत्ति मापः स्वामीः श्रीमती जमीला निशा, पत्नीः मोह. टिगरी, सोम बाजार के निकट, शिव मंदिर, गौतमबुध नगर (उ.प्र.), पिन गयासुद्दीन

1. श्री दिलशाद)ऋणधारक एवं मार्टगैजर) पुत्र फैयाज अहमद निवासीः बही नं.-1, जिल्द नं. 11511, पेज नं. 287-312, क्रम सं. मांग सूचना तिथिः 3.9.2019 एच. नं. 893, हिंडन विहार, थाना- सिहानी गेट, तहसील, गाजियाबाद, 9260, माप 45 वर्ग यार्ड्स अथवा 37.62 वर्ग मी. में राजस्व कब्जा तिथिः 25.11.2019 गाजियाबाद (उ.प्र.), पिन कोड-201001. 2. श्री निजामुद्दीन (सह- अभिलेखों में पंजीकृत टाइटल डीड के अनुसार खसरा नं. बकाया राशिः रु. 487768.18/-ऋणधारक एवं मॉर्टगैजर) पुत्र फैयाज अहमद निवासीः एच. नं. 893, 379, प्लॉट नं. 27, ग्राम मसूरी, परगणा-डासना, तहसील एवं (रुपये चार लाख सतासी हजार सात सौ हिंडन विहार, थाना- सिहानी गेट, तहसील, गाजियाबाद, गाजियाबाद जिला गाजियाबाद, उ.प्र. की सम्पत्ति का सभी भाग तथा अडसठ तथा पैसे अठारह मात्र) (उ.प्र.), पिन कोड-201001 3. मोहम्मद शहजाद (गारन्टर) पुत्र हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः 18 फीट रोड, पूर्वः प्लॉट नं. 26 नसीमुद्दीन, निवासीः एच. नं. 45, फीता रोड, गली नं. 3, हिंडन विहार, पश्चिमः प्लॉट दीगर स्वामी, दक्षिणः प्लॉट दीगर स्वामी, मेरठ रोड, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201001 सम्पत्ति माप, स्वामीः श्री दिलशाद, पुत्र फैयाज अहमद एवं

1. श्री उमेश पाल (ऋणधारक) पुत्र महिपाल, निवासीः एच. नं. 121, बही नं.-1, जिल्द नं. 860, पेज नं. 296-318, क्रम सं. मांग सूचना तिथिः 18.9.2019 छजार्सी, सेक्टर 63, नोएडा-201301 2. श्रीमती रामवती (मार्टगैजर) 10136, माप 83.6 वर्ग मी. में राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत कब्जा तिथिः 25.11.2019 पत्नी श्री महिपाल, निवासीः एच. नं. 121, छजार्सी, सेक्टर 63, नोएडा– खसरा नं. 539/1 एम, ग्राम छजार्सी, परगणा लोनी एवं बकाया राशिः रु. 14,17,389.14/– 201301 3. श्री महिपाल (गारन्टर) पुत्र श्री प्रेमा राज, निवासीः एच. नं. तहसील दादरी, जिला गौतमबुध नगर, उ.प्र. में शामिल (रुपये चौदह लाख सत्तरह हजार तीन 121, छजार्सी, सेक्टर 63, नोएडा-201301

सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः अन्य सौ नवासी तथा पैसे चौदह मात्र) प्लॉट, पूर्वः 18'-0'' रोड, पश्चिमः अन्य प्लॉट, दक्षिणः अन्य प्लॉट, सम्पत्ति माप, स्वामीः श्रीमती रामवती, पत्नी श्री 1. श्री बिशम्बर सिंह (ऋणधारक एवं मार्टगैजर) पुत्र सूर्य नारायण बही नं.-1, जिल्द नं. 6732, पेज नं. 321-348, क्रम सं. मांग सूचना तिथिः 6.9.2019 निवासीः एच नं. 371, ग्राम सदरपर, सेक्टर 45, नोएडा, गौतमबुध नगर, 3518, माप 50 वर्ग यार्ड्स अर्थात् 41.805 वर्ग मी. में कब्जा तिथिः 25.11.2019

निजामद्दीन, पत्र फैयाज अहमद

(उ.प्र.), पिन कोड-201301. 2. श्री विनय कुमार (सह-ऋणधारक) राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत टाइटल डीड के अनुसार बकाया राशिः रु. 11,66,873.62/-पुत्र सुर्य नारायण निवासीः एच नं. 371, ग्राम सदरपुर, सेक्टर 45, खसरा नं. 147, ग्राम सदरपुर, परगणा एवं तहसील-दादरी, (रुपये ग्यारह लाख छियासठ हजार नोएडा, गौतमबुध नगर, (उ.प्र.), पिन कोड-201301 3. श्री लक्की जिला-गौतमबुध नगर, उ.प्र. में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग आठ सौ तिहत्तर तथा पैसे बासठ मात्र) सिंह (गारन्टर), पुत्र विशम्बर सिंह, निवासीः एच नं. 371, ग्राम सदरपुर, तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः 9 फीट रोड, पूर्वः शांति देवी का प्लॉट, पश्चिमः धर्मेन्द्र का प्लॉट, दक्षिणः चंदन का प्लॉट, सेक्टर 45, नोएडा, गौतमबुध नगर, (उ.प्र.), पिन कोड-201301 सम्पत्ति माप, स्वामीः श्री विशम्बर सिंह, पुत्र सूर्य नारायण 1. संजय कुमार त्यागी, पुत्र मुनि देव त्यागी (ऋणधारक एवं मार्टगैजर) बही नं.-1, जिल्द नं. 9779, पेज 1-24, क्रम सं. 13447 मांग सूचना तिथिः 3.9.2019

निवासीः एच. नं. 16, मैन दादरी रोड, द्वारकाधीश मंदिर के निकट, तिथि 20.8.2016 के रूप में उप जिला रजिस्ट्रार के पास कब्जा तिथिः 25.11.2019 नोएडा, गौतमबुध नगर-201304 2. श्रीमती मंजू त्यागी, पत्नी संजय पंजीकृत खसरा नं. 954, ग्राम छपरौला, परगणा, तहसील बकाया राशिः रु. 983215.49/-कुमार त्यागी (सह-ऋणधारक) निवासीः एच. नं. 16, मैन दादरी रोड, दादरी जिला गौतमबुध नगर, उ.प्र., माप 41.8 वर्ग मी. में (रुपये नौ लाख तिड़ासी हजार दो सौ द्वारकाधीश मंदिर के निकट, नोएडा, गौतमबुध नगर-201304 3. श्री स्थित आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहदी पन्द्रह तथा पैसे उन्चास मात्र) संजीत कुमार सिन्हा, पुत्र रविन्द्र कुमार सिन्हा (गारन्टर) निवासीः एच. उत्तरः 18 फीट रोड, पूर्वः अन्य प्लॉट, पश्चिमः अन्य प्लॉट, नं. 1, भंगेल, बेगमपुर-II, नोएडा, गौतमबुध नगर-201304 दक्षिणः अन्य प्लॉट सम्पत्ति माप, स्वामीः संजय कुमार त्यागी, पुत्र मुनिदेव त्यागी

तिथि: 2.12.2019 स्थान: दिल्ली/एनसीआर शिवालिक मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के लिये, प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India

Relationships beyond banking

मुरादाबाद एसएमई शाखा ए -16, गांधी नगर, रामपुर रोड-मुरादाबाद। दूरभाष: 0591-2491247

कब्जा नोटिस

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथ प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **बैंक ऑफ इण्डिया** का प्राधिकृ अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12.01.2018 को मां नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता **मैसर्स शिव इम्पैक्स और श्री नवीन कुमा** अग्रवाल पत्र श्री शिव शंकर अग्रवाल (प्रोपराइटर) को मांग नोटिस में वर्णित ऋग की राशि रू. 70,26,893,95 (सत्तर लाख छब्बीस हजार आठ सौ तिरानवे व पिचानव **पैसे)** साथ में अनुबंधित दर पर आगे ब्याज के साथ डब्लू.ई.एफ. 12.01.2018 और अन शुल्क उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया थ ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी मैसर्स शिव इम्पैक्स और श्री नवीन कुमा अग्रवाल पुत्र श्री शिव शंकर अग्रवाल (प्रोपराइटर) तथा आम जनता को सूचित किया जात है कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30 11.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी तथा आम तौर पर जनता को नीचे दी गयी सम्पत्ति और सरक्षि परिसम्पित्तयों के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपर्ि के साथ कोई भी लेन–देन **बैंक ऑफ इण्डिया** को देय धनराशि **रू. 70,26,893.9 (सत्तर लाख छब्बीस हजार आठ सौ तिरानवे व पिचानवे पैसे)** साथ में अनुबंधित द पर आगे ब्याज के साथ डब्लू.ई.एफ. 12.01.2018 और अन्य शुल्क सिंहत देना होगा (सरफेसिया एक्ट-2002 के अधिनियम की धारा 13(2) के बाद यदि कोई शुल्क दिया हो तो वह कम हो जायेगा)

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रित किर

सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण

1) सभी कच्चे माल, प्रक्रिया में स्टॉक और तैयार माल आदि और पुस्तक ऋणों का अनुमार 2) मशीन का हाइपोथैक्सेशन यानी डबल एक्शन प्रेस. पोलिश मशीन, टर्निंग लेथ डि मशीन, खराद मशीन, जेनरेटर (100 केवी), वेटिंग मशीन, इन्वर्टर और वेल्डिंग मशीन आदि 3) लीज होल्ड अधिकारों का साम्यिक बंधक इमारत का वह हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 5610 वर्ग फीट है जो खसरा नंबर 95/2जीए, मौजा डेहरी मुस्तकीम, गुलाब्बरी पार्क व सामने, पीपल नगरी गेट के पास, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश मे स्थित हैं दिनांक: 30.11.2019 चीफ मैनेजर

और प्राधिकृत अधिकार्र स्थानः मुरादाबाद

🕅 एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बैक ऑफिसः लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, ऑसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 कञ्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [(परिशिष्ट-IV) नियम 8(1) देखें]

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के प्रवर्तन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने लेखाओं के अधीन वर्णित राशि को कथित सूचना की तिथि से साठ दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए एक मांग सूचना जारी की। कथित कर्जदार राशि का भूगतान करने में असफल रहें इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम-9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सम्मुख तिथि को नीचे वर्णित सम्पत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। विशेषकर कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार और उस पर आगे ब्याज के भगतान के

		अचल सम्पत्ति का			
あ .	, लोन. खाता नं.,	वंधक/चार्ज्ड संपत्तियों का विवरण	माँग सूचना	कब्जा की	13(2) सूचना के अनुसार
H.	कर्जदार एवं गारटर की नाम ऋण खाता सं.	। अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी	का ।ताथ	ાતાય ા	वकाया राशि 14.02.2019 को
	310300002878	भाग तथा हिस्साः फ्लैट नं. जीएफ-3,			₹. 9,82,363.48
	ऋणधारकः	एलआईजी भू तल, प्लॉट नं. ए-48			तथा उस पर आगे
	सुश्री श्वेता शर्मा	शालीमार गार्डन मैन साहिबाबाद,			का ब्याज, खर्चे
	(आवेदक)	गाजियाबाद 201005 (उ.प्र.)			तथा अन्य चार्जेज
ı	,	, , ,			
)	ऋण खाता सं.	 अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी	0 1 2010	27 11 2010	9.1.2019 को
۷٠	310300003794	भाग तथा हिस्साः फ्लैट नं. ८, दूसरा तल,		27.11.2019	रु. 32,32,424.00
	ऋणधारकः	प्लॉट नं. 737, शालीमार गार्डन एक्स्टें.			तथा उस पर आगे
	सुनील कुमार यादव	साहिबाबाद, गाजियाबाद 201001			का ब्याज, खर्चे
	(आवेदक)	(उ.प्र.)			तथा अन्य चार्जेज
	,				
3.	ऋण खाता सं.	अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी		27.11.2019	
	14011032755	भाग तथा हिस्साः सम्पूर्ण 2 रा तल, छत के			रु. 10,77,870.93
	ऋणधारकः	अधिकार के बिना, फ्रीहोल निर्मित सम्पत्ति			तथा उस पर आगे
	श्री सोम नाथ गेरा	सं. के-55, खसरा नं. 598 के भाग के			का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज
	(आवेदक)	उत्तरी दिशा के हिस्से में ग्राम तिहाड़,			ाथा अन्य चाजज
	सुश्री इन्दु गेरा (सह-आवेदक) तथा	फतेहनगर, नई दिल्ली–110018 तथा कुल कवर्ड एरिया माप 75 वर्ग यार्ड्स।			
	(सह-आयदक) तथा श्री संजय सचदेव	प्रमुख श्रारमा नाम ७५ प्रमा पाङ्स ।			
	प्राराजन राजपूज (गारन्टर)				
	("'(5()				
4.	ऋण खाता सं.	अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी	4.5.2019	27.11.2019	4.5.2019 को
	14011033531	भाग तथा हिस्साः नं. एसएफ-2, 2 रा तल,			रु. 26,59,832.89
	ऋणधारकः	(बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं			तथा उस पर आगे
	सुश्री शेली सचदेव	469, ए, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1,			का ब्याज, खर्चे
	(आवेदक)	गाजियाबाद तथा कुल कवर्ड एरिया माप			तथा अन्य चार्जेज
	श्री दर्शन सचदेव	1800 वर्ग फीट।			
	(सह-आवेदक)	चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 470			
	सुश्री सुनीता सचदेव	दक्षिणः प्लॉट नं. ४६९			
	(सह–आवेदक) एवं श्री संत राम सचदेव	पूर्वः 60 फीट चौड़ा सड़क पश्चिमः 30 फीट चौड़ा सर्विस लेन			
	(सह-आवेदक)	पारवमः ५० फाट वाङ्ग सावस लग			
					,
5.	ऋण खाता सं.	अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी		27.11.2019	
	310900002406	भाग तथा हिस्साः फ्लैट नं. जीएच-1,			₹. 14,43,746.72
	ऋणधारकः	एलआईजी, भू तल (बिना छत के			तथा उस पर आगे
ı	श्री जीवन कुमार महाजन	अधिकार के), प्लॉट नं. के-10, ब्लॉक-			का ब्याज, खर्चे
ı	(आवेदक)	के, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उ.प्र201001 तथा कुल कवर्ड एरिया			तथा अन्य चार्जेज
		अ.त्र201001 तथा फुल कपड हार्या माप 41.805 वर्ग मी., चौहद्दीः			
		पूर्वः प्लॉट नं. के-11 पश्चिमः 40 मी.			
		चौड़ा रोड उत्तरः प्लॉट नं. के-9 दक्षिणः			
		30 फीट चौड़ी सड़क			
_	ऋण खाता सं.	 अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी	11 00 2010	27 11 2010	11.9.2019 को
6.	ऋण खाता स. 310900004319	अधालाखत म शामिल सम्पत्ति का समा भाग तथा हिस्साः फ्लैट नं.2, भू तल, बिना		27.11.2019	
	ऋणधारकः	छत के अधिकार के प्लॉट नं. 27 ए तथा			रु. 28,99,660.56 तथा उस पर आगे
	श्री किशन चंद	28, वृन्दावन गार्डन, लोनी, गाजियाबाद,			का ब्याज, खर्चे
	(आवेदक)	उ.प्र201005 तथा कुल कवर्ड एरिया			तथा अन्य चार्जेज
	तथा श्री राम कुमार	माप 46.45 वर्ग मी.			(विश्वास
	(गारन्टर)	चौहद्दीः पूर्वः 80 फीट चौड़ी सड़क			
	(" () ()	पश्चिमः सर्विस लेन			
		उत्तरः अन्य सम्पत्ति			
		दक्षिणः 40 फीट चौड़ी सड़क			
7	ऋण खाता सं.	। अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी	11 09 2010	27 11 2010	11.9.2019 को
' ·	ऋण खाता स. 310900004785	अवालिखित में शामिल सम्पत्ति की समी भाग तथा हिस्साः फ्लैट नं. 39, टाइप-ए,		27.11.2019	रु. 47,04,763.98
	ऋणधारकः	ब्लॉक डी, पॉकेट-3, बिन्दापुर, द्वारका,			तथा उस पर आगे
	मृश्यास्याः सुश्री अनुराधा सिन्हा	नई दिल्ली-75 तथा कुल कवर्ड एरिया			का ब्याज, खर्चे
	(आवेदक)	माप 26 वर्ग मी.। चौहद्दीः			तथा अन्य चार्जेज
	श्री आलोक कुमार	पूर्वः फ्लैट नं. 40			
- 1		1 th	111		

पश्चिमः भू तल पर सर्विस लेन उत्तरः प्लॉट नं. 142 दक्षिणः प्लॉट नं. 140 कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम के

अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी 6.9.2019 27.11.2019

6.9.2019 को

रु. 20,25,878.80

तथा उस पर आगे

का ब्याज, खर्चे

तथा अन्य चार्जेज

प्राधिकृत अधिकारी

एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लि.

नई दिल्ली

उप-अनुच्छेद 13 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

पश्चिमः फ्लैट नं. 38

भाग तथा हिस्साः फ्लैट नं. 2, भू तल

एलआई.जी. बैक साइड, एल.एच.एस.

(बिना छत के अधिकार के), प्लॉट नं.

141, विक्रम एन्क्लेव, लोनी गाजियाबाद,

उ.प्र., 201102 तथा कुल कवर्ड एरिया

माप 37.16 वर्ग मी/400 वर्ग फीट

चौहद्दीः पूर्वः 40 फीट चौड़ा रोड

उत्तरः अन्य

दक्षिणः रोड

(सह-आवेदक) तथा

मैसनाम

(गारन्टर)

8. ऋण खाता सं.

ऋणधारकः

(आवेदक)

(गारन्टर)

310900004843

श्री सुधीर शर्मा

श्री मनोज कुमार

दिनांक: 27.11.2019

स्थानः गाजियाबाद



मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

 मेसर्स मेहरबान ट्रेडिंग, प्रो. श्री मेहरबान अहमद पुत्र इसरायल, पताः मीहल्ला आजाद चौक, शामली 2. श्री मेहरबान अहमद पुत्र इसरायल, निवासी- 540 काजीवाड़ा, शामली-247776

3. श्री नसीम पत्र अनीस, पताः 608 काजीवाडा -5, शामली-247776

उपरोक्त शामली शाखा के प्राधिकत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण तथा पनः निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित** 19.10.2019 जारी किये गये है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये के भूगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है। बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को दिनांक 30.09.2019 को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने

ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है। **अचल संपत्तिः ईएमजी संपूर्ण भूमि** का क्षेत्रफल 86.38 वर्गमीटर। स्थित मी. आजाद चौक रांद की जोहदी परगना और तहसील शामली जिला शामली संपत्ति श्री मेहरबान अहमद पुत्र इसरायल के नाम पर। संपत्ति की सीमार्थे:- पूर्व :राजवन, अहशान, मेहरइलाही, मेहरबान, की संपत्ति पश्चिमः राजवन की संपत्ति उत्तरः रास्ता, दक्षिणः संयुक्त रास्ता अहशान, मेहरबान, राजवन, मेहरइलाही का 5'1 🗸 2" चीडा

ईएमजी दुकान का क्षेत्रफल 11.43 वर्गमीटर स्थित मीह, आजाद चीक रांद की जोहदी परगाना और तहसील शामली जिला शामली संपत्ति श्री मेडरबान अहमद पुत्र इसरायल के नाम। संपत्ति की सीमायें:-पूर्वः रास्ता पश्चिमः मेहरबान की संपत्ति, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः मेहरइलाही की संपत्ति दृष्टि बंधक चल संपत्तिः 1. दृष्टिबंधक/1 चार्ज पर सूची

S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
	CLUTL-01-150034 (560656001766762)	Rs. 6,00,000/-	Rs. 3,22,613.00
	GRAND TOTAL	Rs. 6,00,000/-	Rs. 3,22,613.00

अतएव, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1 व 2 तथा गारंटर के रूप में आप सं. 3 को उपरोक्त सुचना के अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिक दरों पर मिश्रित **13.40 प्रतिशत प्रति वर्ष** (मृत स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के व्याज तथा वैंक के सूचना के लागत के साथ **रूपये 3,22,6131.00** उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे।

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे।

दिनांक : 02.12.2019

प्राधिकृत अधिकारी

शामली



मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

1 (ए) मैसर्स अहमद डेयरी प्रो. श्री मुश्ताक अहमद, पताः मोहकाजीवाड़ा शामली-247776 (यूपी) (ख) श्री मुश्ताक अहमद पुत्र भिक्का निवासी-मौह. काजीवाडा शामली-247776

2 (ए) श्री असवाक कुरैसी पुत्र गफ्फार कुरैसी पताः ब्राम टपराना, शामली -247776 प्रिय महोदय/महोदया.

उपरोक्त शामली शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 06.07**. 2019 जारी किये गये है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर मेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये के भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है। बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.06.2019** को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है ।

अचल संपत्तिः ईएमजी पूरा मकान पूर्व फेसिंग क्षेत्रफल 76.88 वर्ग मीटर स्थित मी. काजीवाडा शामली परगना और तहसील शामली जिला शामली। संपत्ति श्री मुस्ताक अहमद पुत्र श्री भिक्का के नाम पर सीमायें:- पूर्वः रास्ता गली, पश्चिमःरैशो का मकान, उत्तरः सालमीन का मकान दक्षिणः शमीम और अन्य

दृष्टि बंधक चल संपत्तिः 1. दृष्टिवंधक/1 चार्ज पर सूची सह पुस्तक ऋण

अतएवः ऋ	जधारक के रूप में आप सं. 1/ए	व (ख) तथा गारंटर के रूप में अ	ाप सं. २ (ए) को उपरोक्त सचना
	GRAND TOTAL	Rs. 6,00,000/-	Rs.4,00,371.00
	CLUTL-01- 150018 (560656001766703)	Rs. 6,00,000/-	Rs.4,00,371.00
S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance

के अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिक दरों पर मिश्रित **12.40 प्रतिशत प्रति वर्ष** (मूल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सुचना के लागत के साथ **रूपये 4,00,371.00** उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे। अधिनियम की थारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त

प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप इस्तांतरण नहीं करेंगे। स्यान- शामली प्राधिकत अधिकारी

दिनांक : 02.12.2019

कापरिशन बेक

मेरठ मैन मेरठ

मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

मैसर्स हर्ष ट्रेडिंग कं0 प्रो. श्री संदीप कुमार पुत्र श्री राकेश 15/6 नई सडक, शास्त्री नगर, वोलेश्वर

मंदिर के पास नौचंदी, मेरठ-250001

 श्री संदीप कुमार पुत्र श्री राकेश, मकान नंबर 340, पट्टी रामपुर, खेकड़ा, जिला-चागपत (यूपी)-250101

श्री राकेश पुत्र श्री बलराम, मकान नंबर 340 पटरामपुर, खेकड़ा जिला बागपत-250101

उपरोक्त मेरठ मैन मेरठ शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुन निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुब्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 16.11.2019** जारी किये गये है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में

जा रहा है। बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को **दिनांक 31.03.2019** को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है। **अचल संपत्तिः** एक आवासीय भूमि क्षेत्रफल-0.1306 हेक्टेयर बराबर 1306 वर्ग मीटर खसरा नंबर 2053 का

बकाये के भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया

भाग स्थित गाँव और तहसील खेकड़ा, जिला बागपत, संपत्ति श्री संदीप पुत्र श्री राकेश के नाम। सीमायै:-पूर्वः 15 फीट चौड़ी नहर की तरफ, पश्चिमः श्री राम कृष्ण का फार्म उत्तरः श्री तुलसी राम का फार्म, दक्षिणः श्री सुल्तान

S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
	TLS- 560821000163464	Rs. 15,00,000/-	Rs. 14,08,023.05
	GRAND TOTAL	Rs. 15,00,000/-	Rs. 14,08,023.05
अतएव. ऋ	रणधारक के रूप में आप सं. 1 व	2 तथा गारंटर के रूप में अ	ाप सं. 3 को उपरोक्त सचना के

अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिक दर्रों पर मिश्रित **12.70 प्रतिशत प्रति वर्ष** (मूल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सुचना के लागत के साथ **रूपये 14,08,023.05** उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेंडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे।

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप इस्तांतरण नहीं करेंगे।

दिनांक : 02.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी स्थान- मेरठ मैन, मेरठ

कापरिशन बैंक

मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

 मैसर्स ओम साई एंटरप्राइजेज प्रो. सत्यपाल शर्मा, तिलहर जय शाहजहाँपुर यूपी 242001 2. श्री सत्यपाल शर्मा पुत्र श्री सेवाराम शर्मा, ग्राम-सरोवरनगर/भुरसंडी, शाहजहाँपुर युपी 242001

श्रीमती अर्चना शर्मा पत्नी सत्यपाल शर्मा ज्ञानवती, ग्राम-सरोवरनगर/भूरसंडी, शाहजहाँपुर यूपी

प्रिय महोदय/महोदया,

उपरोक्त **शाहजडाँपुर शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 19.10.2019** जारी किये गये है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये के भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है। वैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.09.2019** को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

अचल संपत्तिः

www.readwhere.com

सेवा में,

ऋणकर्ताः -

ईएमजी आवासीय मकान (वर्तमान प्लाट पर) स्थित मटानी, तहसील, सदर, शाहजहाँपुर में संपत्ति श्री दीपक कुमार रस्तोगी के नाम पर सीमायें:- पूर्वः रास्ता कच्चा, पश्चिमः राम नारायण तिवारी का मकान, उत्तरः रास्ता कच्चा, दक्षिणः रास्ता पक्का।

S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
1.	CVPOD - 560361000062085	Rs. 210000.00	Rs. 2,09,979.30
	GRAND TOTAL	Rs. 210000.00	Rs. 2,09,979.30
atomer is	णायास्त्र के क्या में आग सं । त २	नभा मार्थनर के मता में आप में	२ को जारोक सबस के असम

निर्देश दिया जाता है कि मासिक दरों पर मिश्रित 13.75 प्रतिशत प्रति वर्ष (मूल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सुचना के लागत के साथ **रूपये 2,09,979.30** उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे।

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त

प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप इस्तांतरण नहीं करेंगे दिनांक : 02.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी स्थान- शाहजहापुर

कार्पीरेशन बैंक बड़ौत मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

शामली

. मैसर्स महादेव ब्रिक फिल्ड, ग्राम- नोरोजपुर, गुर्जर, तहसील और जिला-बागपत-250261

श्री निपुण तोमर पुत्र श्री देश पाल सिंह, ग्राम + पोस्ट - बावली, तहसील- बड़ौत जिला- बागपत यूपी

 श्री रोहित पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, प्लॉट नंबर 39, फ्लैट नंबर 1, शालीमार गार्डन एक्सट्न -1, साहिवाबाद, गाजियाबाद यूपी-201005

4. श्रीमती रविता पत्नी ललित कुमार मकान नं.-20/451, नई बस्ती बड़ौत, बागपत -250611 5. श्रीमती अंकज श्री पत्नी राम कुमार सिंह , मकान नं 20/451 नई बस्ती बड़ौत बागपत - 250611

उपरोक्त बड़ीत शाखा के प्राधिकत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण एव प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 19.10.2019** जारी किये गये है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये के भूगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है। वैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.09.2019** को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकत किया है। उपरोक्त सविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

ईएमजी एक मकान एम. नं. 8/36 ए, क्षेत्रफल पूर्व 39 फीट 1" पश्चिम 33 फीट 7" उत्तर 78 फीट दक्षिण, 78 फीट कुल क्षेत्रफल 315 वर्ग गज = 263.37 वर्ग मीटर। स्थित कुसबा मीहल्ला देव नगर गली नंबर 1 नगर पालिका परिषद बडीत की सीमा में, तहसील बडीत, जिला -बागपत। संपत्ति श्रीमती पंकज श्री उर्फ गुड़ी पत्नी श्री राम कमार और श्रीमती रविता पत्नी श्री ललित कमार के नाम। सीमायें:-पुर्व: रास्ता, पश्चिम: मकान, उत्तर: रणवीर सिंह दुकान वाले का मकान, दक्षिणः मकान

S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
	CVPOD - 560361000116814	Rs. 1390000/-	Rs. 9,15,962.18
	GRAND TOTAL	Rs. 1390000/-	Rs. 9,15,962.18

अतएव, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1, 2 व 3 तथा गारंटर के रूप में आप सं. 4 व 5 को उपरोक्त सूचना वे अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिक दरों पर मिश्रित **12.15 प्रतिशत प्रति वर्ष** (मूल स्वीकृति के अनुसार मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सूचना के लागत के साथ **रूपये 9,15,962.18** उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे।

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार वैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे।

देनांक : 02.12.2019

माननीय नेशनल कंपनी लॉ दिब्युनल, नई दिल्ली बेंच, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी याचिका (सीएए) नं, 142/एनडी/2019 से संबंधित कंपनी आवेदन (सीएए) नं, 140/एनडी/2019

के मामले में : कंपनी (प्रतिब्रद्धता, प्रबंधन और समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 16 के साथ पटित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 230-232

के मामले में:

विल्ली-110092

स्पैक्टा प्रोडेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इसका पंजीकृत कार्यालय : 824, विकास दीप बिल्डिंग, डिस्टिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, नई विल्ली-110092

(समामेलित कंपनी) याचिकाकर्ता कंपनी

विजय इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इसका पंजीकृत कार्यालय : 824, विकास दीप बिल्डिंग, डिस्ट्क्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, नई

> (परिणामी कंपनी याचिकाकर्ता कंपनी 2

स्तभ्या पोजेक्टस पाइवेट लिमिटेड इसका पंजीकृत कार्यालय : 824, विकास दीप बिल्डिंग, डिस्ट्विट सेंटर, लक्ष्मी नगर, नई विल्ली-110092

(परिणामी कंपनी याचिकाकर्ता कंपनी 3

किच्छा

याचिका की सचना क्रमश: विजय इन्वेस्टमेंटस प्राइवेट लिमिटेड (परिणामी कंपनी ।/याचिकाकर्ता कंपनी 2 और स्तभ्या प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (परिणामी कंपनी 2/याचिकाकर्ता कंपनी 3) में स्पैक्ट्रा प्रोडेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (समामेलित कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी 1) के निवेश प्रभाग (समामेलित उपक्रम 1) और भूमि परियोजना प्रभाग (समामेलित उपक्रम 2) के समामेलन के लिए प्रबंधन की योजना की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की थारा 230 व अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत एक वाचिका

25 अक्टूबर, 2019 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद 22 नंबबर, 2019 को आदेश जारी किया था। माननीय नेशनल कंपनी लॉ टिक्पनल, नई दिल्ली, के समक्ष उक्त याचिका की सनवाई के लिए 06 जनवरी, 2020 निर्धारित की गई है।

उक्त याचिका के समर्थन या विरोध का इच्छुक कोई व्यक्ति, अपने पूरे नाम व पते के साथ अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपनी इच्छा की सूचना याचिकाकर्ता कंपनी के अधिवक्ता को भेज सकते हैं, जो याचिका की सुनवाई की तिथि से 2(दो) दिन पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पास पहुंच जानी चाहिए। जहां वह याचिका का विरोध करता है तो विरोध के आधार या हलफनामें की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ तैयार की जानी चाहिए। याचिका की प्रति किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यकता पडने पर उसके निर्धारित भुगतान के बाद अधोहस्ताक्षरी द्वारा तैयार की जाएगी।

(सुमन कुमार झा/अफनान सिद्दकी कार्पोरेट प्रोफेशनल्स एडवॉइजर & एडवोकेट विनांक : 02,12,2019 वाचिकाकर्ता कंपनियों के लिए परामशंदाता स्थान : नई दिल्ली डी-28, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-।, पिन-110049



मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

1. श्री लहुन सलमानी पुत्र श्री अब्दुल हमीद, वार्ड नंबर 7, प्रचान फार्म, खेत नंबर 431 मिन, चक नंबर 22, नूरी

2. श्री मौहम्मद दानिश पुत्र श्री मौहम्मद हनीफ, जामा मस्जिद के पास, वार्ड नं. 9, तहसील किच्छा, जिला- उधम सिंह नगर - 263148 प्रिय महोदय/महोदया,

उपरोक्त किच्छा शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पड़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 19.10.2019** जारी किये गये है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये के भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.05.2016** को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

अचल संपत्तिः खत्ता∕चक संख्या 22, खसरा नं. 431 मिन., कुल क्षेत्रफल 94.80 वर्ग मीटर, स्थित वार्ड 7 (छोटी मस्जिद का क्षेत्र), नुरी मस्जिद के पास, तहसील किच्छा, जिला-उधम सिंह नगर, बिक्री विलेख 8781, बही ।, जिल्द 1989, पेज 311 से 320 दिनांक 03.09 2014 स्वामित्व श्री लहुन सलमानी पुत्र श्री अब्दुल हमीद बे नाम । सीमायें:- पूर्वः विक्रेता का प्लॉट, पश्चिमः विक्रेता का प्लॉट, उत्तरः कय्यूम और अन्य के मकान, दक्षिणः 12

지수 때를 선수하			
S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
	TLS- 560821000081646	Rs. 4,00,000/-	Rs. 1,08,578.00
	GRAND TOTAL	Rs. 4.00.000/-	Rs. 1.08.578.00

अताएव, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1 तथा गारंटर के रूप में आप सं. 2 को उपरोक्त सचना के अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिक दरों पर मिश्रित **13.80 प्रतिशत प्रति वर्ष** (मूल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के व्याज तथा बैंक के सूचना के लागत के साथ **रूपये 1,08,578.00** उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभूति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे।

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे।

दिनांक : 02.12.2019 स्थान- किच्छा



मेरठ मैन

मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

मैसर्स आर्यन वैरायटी स्टोर प्रो. श्री अतुल कुमार गुप्ता ए-653, सैनिक विहार, कंकरखेड़ा, मेरठ -

2. श्रीमती सोनिया पत्नी अतुल कुमार गुप्ता 101 सदन पुरी, कंकरखेडा, मेरठ-250001 प्रिय महोदय/महोदया,

उपरोक्त मेरठ मैन शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 19.10.2019** जारी किये गये| है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये के भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है वैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं/ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.09.2019** को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

अचल संपत्तिः ईएमजी, मकान नंबर ए-606 क्षेत्रफल 29.75 वर्गमीटर। टाइप ई.डब्ल्यू.एस. स्थित ए-ब्लॉक, सैनिक विहार, कंकरखेडा मेरठ संपत्ति श्रीमती सोनिया गुप्ता पत्नी श्री अतुल कुमार गुप्ता के नाम। सीमायें:-पुर्वः 03.50 मीटर उसके बाद मकान नंबर ए-651, पश्चिमः 03.50 मीटर उसके बाद 3.00 मीटर बौड़ी सड़क, उत्तर: 08.50 मीटर उसके बाद मकान नंबर ए-605, दक्षिण: 08.50 मीटर उसके बाद मकान ए -607 **Outstanding Balance** S.No. Nature of Limit

Limit Sanctioned

	ऋणधारक के रूप में आप सं. 1 र वा जाना है कि सामिक दरों पर सि		
	GRAND TOTAL	Rs. 8,00,000/-	Rs. 5,59,960.20
2.	CLUTL - 560656001787506	Rs. 6,00,000/-	Rs. 3,59,836.00
3177	CLUOD - 565121000040106	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,124.20

(मुल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सचना के लागत के साथ **रूपये**। 5,59,960.20 उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भूगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकत अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे। दिनांक : 02.12.2019

दुरसंचार कंपनियों के शेयर चमके

मुंबई, 2 दिसंबर (भाषा)।

शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सोमवार को प्रमुख सूचकांक करीब-करीब पिछले स्तर पर बंद हुए। दुरसंचार कंपनियों के शेयरों में लाभ के प्रभाव को वाहन और निजी बैंकों के शेयरों में गिरावट ने समाप्त कर दिया। सकल घरेल उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के कमजोर आंकड़े तथा वाहनों की बिक्री में लगातार गिरावट से निवेशक सतर्क नजर आयें। इससे बैंक तथा वाहन कंपनियों के

शेयर दबाव में रहे।

8.36 अंक यानी 0.02 फीसद की बढ़त के साथ 40,802.17 अंक पर बंद हआ। कारोबार के दौरान यह 41,093.99 से 40,707.63 अंक के दायरे में रहा। वहीं दूसरी तरफ एनएसई निफ्टी 7.85 अंक यानी 0.07 फीसद की मामुली गिरावट के साथ 12,048.20 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक के शेयरों में भारतीय एयरटेल को सर्वाधिक 3.67 फीसद का लाभ हुआ।



मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

 श्री राकेश रस्तोगी पुत्र राजेंद्र प्रसाद रस्तोगी पताः रस्तोगी मेडिकल स्टोर, गोल मड़िया चौक के पास, ट्रांजिट कैंप, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड - 263153

 श्रीमती पूजा रस्तोगी पत्नी राकेश रस्तोगी पताः प्लॉट नंबर 80, खसरा नं. 36 मिन. अशोक विहार, वार्ड नंबर 1, आनंद विहार के सामने, फुलसुंगा, रुद्रपुर, उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड -263153 मैसर्स रस्तोगी मेडिकल स्टोर पंजींत ट्रॉजिट कैंप, वार्ड नंबर 02, मेन रोड रुद्रपुर उधम सिंह नगर,

उत्तराखंड - 263153

4. राजीव कुमार रस्तोगी पताः गाँवः भदईपुर, वार्ड नंबर 4, रुद्रपुर, उद्यम सिंह नगर -263153 प्रिय महोदय/महोदया,

उपरोक्त **रुद्रपुर शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 19.10.2019** जारी किये ग है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये : भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.09.2019** को एन.पी.ए. के रूप वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम् परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

आवासीय संपत्ति के सभी भाग और पार्सल प्लॉट नंबर 80 (निर्मित-भूतल और पहली मंजिल) खसरा नंबर 36 मिन स्थित गाँव फुलसुंगा, परगना रुद्रपुर, तहसील किच्छा, उधम सिंह नगर संपत्ति श्री राकेश रस्तोगी पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद रस्तोगी के नाम है। संपत्ति का क्षेत्रफल 92.93 वर्ग मीटर। संपत्ति की सीमार्थे:-पूर्व: रास्ता, पश्चिम लॉट नंबर 71, उत्तरः प्लॉट नंबर 81 / रस्तोगी जी की जमीन, दक्षिणः प्लॉट नंबर 80 का शेष भाग / श्री करन सिंह की जमीन। (चीम और कैगसन में निरंतर सरक्षा)

S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
1.	CHOME/01/130024	Rs. 10,00,000/-	Rs. 8,70,723.00
2.	CGSAN/01/150004	Rs. 3,85,000/-	Rs. 2,30,572.00
3.	CVPOD/01/120010	Rs. 7,00,000/-	Rs. 7,47,744.09
8	GRAND TOTAL	Rs. 20,85,000/-	Rs. 18,49,039.09

तिएव, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1, 2 व 3 तथा गारंटर के रूप में आप सं. 4 को उपरोक्त सूचना अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिक दरों पर मिश्रित 11.65 **प्रतिशत प्रति वर्ष , 12.05 प्रतिशत प्रति वर्ष** एवं 12.10 प्रतिशत प्रति वर्ष क्रमशः (मूल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के व्याज तथा वैंक के सुचना के लागत के साथ रूपये 18,49,039.09 उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भूगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुन निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारो का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे।

अधिनियम की बारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सुचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे। देनांक : 02.12.2019

मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

कापारशन बक

ऋणकर्ताः-1 (ए) मैसर्स सोना ईट उद्योग किशनपुरा, सहारनपुर -247,001 (यूपी)

2 (ए) श्री रामपाल सिंह पुत्र रूपराम पताः ग्राम बाबूपुर, तहसील देवबंद जिला सहारनपुर - 247554 (बी) श्री वीर सिंह पुत्र पवन सिंह पताः ग्राम बाबूपुर, तहसील देवबंद जिला सहारनपुर - 247554 (सी) श्रीमती जोगिन्दर पत्नी अनूप लाल छाबड़ा पताः मौहल्ला कैलास पुरम, रेलवे रोड , तहसील देवबंद,

(डी) श्री राजेन्द्र छाबड़ा पुत्र अनूप छाबड़ा पताः मीहल्ला कैलास पुरम, रेलवे रोड, तहसील देवबंद, जिला

सहारनपुर-247554 प्रिय महोदय/महोदया,

सेवा में,

उपरोक्त **देवबंद शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण एव प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 06.07.2019** जारी किये गरे है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं. जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये वं भृगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं ⁄ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.06.2019** को एन.पी.ए. के रूप मे वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

संपत्ति सं0 1: ईएमजी आवासीय मकान दक्षिणी फैसिंग क्षेत्रफल 79.46 वर्ग मीटर स्थित आबादी गाँव बाबूपुर परगना और तहसील देवबंद जिला सहारनपुर। संपत्ति श्री बीर सिंह पुत्र पवन सिंह के नाम सीमार्थे:-पूर्वः आजाद का मकानन, पश्चिमः भगत सिंह और महेंद्र सिंह की संपत्ति, उत्तरः रक्तम सिंह का

मकान, दक्षिण- रोड । संपत्ति सं0 2: ईएमजी आवासीय मकान पूर्व फैसिंग क्षेत्रफल 174.00 वर्ग मीटर स्थित आबादी गाँव बाबूपुर परगना और तहसील देवबंद जिला सहारनपुर संपत्ति श्री रामपाल सिंह पुत्र रूपराम के नाम, संपत्ति की सीमायें:- पूर्व-सड़क, पश्चिम: पलट सिंह का मकान, उत्तर- मिड्ड तेली का मकान, दक्षिण- सोराज सिंह

दुष्टि बंधक चल संपत्तिः 1. दुष्टिबंधक/1 चार्ज पर सूची सह पुस्तक ऋण

S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
	CC-01- 80010 (560101000116020)	Rs. 9,00,000/-	Rs. 9,42,755.22
	GRAND TOTAL	Rs. 9,00,000/-	Rs. 9,42,755.22

भतएव, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1(ए) तथा गारंटर के रूप में आप सं. 2 (ए), (बी), (सी) व (डी) वं उपरोक्त सुचना के अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिक दरों पर मिश्रित **12.75 प्रतिशत प्रति वर्ष** (मुल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सुबना के लागत के साथ **रूपये 9,42,755**. 22 उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे। अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सुचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त

प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप इस्तांतरण नहीं करेंगे। देनांक : 02.12.2019



मेरठ मैन

ਗਦਰ

ऋणकर्ताः -1.0 मैसर्स महावीर एंटरप्राइजेज प्रो. श्री अंकित जैन, 210 वेस्टेंड रोड, मेरठ कैंट,मेरठ - 250001 2.0 श्री ऑकित जैन पुत्र श्री राकेश जैन, मकान नंबर 71, ग्राउंड फ्लोर, सनराइज एन्क्लेव, रुड़की रोड, मेरठ- 250001

3.0 श्रीमती चंचल जैन पत्नी श्री अंकित जैन,मकान नंबर 71, ग्राउंड फ्लोर, सनराइज एन्क्लेव, रुड़की रोड, मेरठ- 250001 प्रिय महोदय/महोदया,

उपरोक्त मेरठ मैन मेरठ शाखा के प्राविकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 16.11.2019** जारी किये गये है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता र बकाये के भूगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है। वैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं ∕ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.06.2019** को एन.पी.ए. वे रूप में वर्गीकत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसुम्पतियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

एक फ्लैट ग्राउंड फ्लोर नं. जीएफ-1 क्षेत्रफल 80.11 वर्ग मीटर निर्मित प्लॉट नं. 71 खसरा नं. 1288, 1289/1, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321 स्थित सनराइज एन्क्लेब एक्सटेंशन, राजस्व गांव रोशनपुरा डीरली, परगना दौराला, तहसील-सरधना, मेरठ । संपत्ति श्रीमती चंचल जैन के नाम। सीमार्ये:-पूर्वः 7.5 मीटर चौड़ी सड़क पश्चिमः दूसरे व्यक्ति की संपत्ति उत्तरः प्लॉट नंबर 72 दक्षिणः प्लॉट नं. 70 पर निर्मित फ्लैट S.No. Nature of Limit Limit Sanctioned Outstanding Balance

	ऋणधारक के रूप में आप सं. 1 व 2 त देया जाता है कि मासिक दरों पर मिथित		
j.	GRAND TOTAL	Rs. 15,00,000/-	Rs. 15,35,612.68
2.	TLS-560821000163596	Rs. 5,00,000/-	Rs. 4,55,812.00
1.	CLUOD - 565121000040130	Rs. 10,00,000/-	Rs. 10,79,800.68

मुल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सुचना के लागत के साथ **रूपये** 15,35,612.68 उपरोक्त रात्रि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भूगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत अधिनियम की बारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सुचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त

प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे।

दिनांक : 26.12.2019 स्थान- मेरठ मैन, मेरठ मोबाइल कंपनियों के नए प्लान

असीमित कॉल हुईं सीमित

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों ने प्री - पेड सेवाओं के लिए शुल्क की दरें महंगी करने के साथ ही असीमित कॉलिंग को भी सीमित कर दिया है।

एयरटेल की रविवार को घोषित नयी दरों के अनुसार- दोनों कंपनियों ने दूसरे नेटवर्क पर की जाने वाली कॉल के लिए अनलिमिटेड पैक में 'न्यायोचित उपयोग नीति' (एफयूपी) लागू की है। इसके तहत ग्राहकों को अनलिमिटेड पैक में अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर बात के लिए एक अवधि में कुछ सुनिश्चित मिनट मिलेंगे। प्लान की अवधि के लिए तय वायस कॉल के मिनट पूरे हो जाने के बाद ग्राहक को दूसरे नेटवर्क पर कॉल के लिए प्रति मिनट 6 पैसे

का शुल्क देना होगा। उल्लेखनीय है कि रिलायंस जियो ने अक्टूबर में दसरे नेटवर्क पर की जाने वाली कॉल के लिए छह पैसे प्रति मिनट

दोनों ने 'न्यायोचित उपयोग नीति' अनलिमिडेट पैक में दूसरे नेटवर्क पर कॉल के लिए 1,000 मिनट देने की पेशकश की है। अपने नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती रहेगी। इसी तरह , 84 दिन और 365 दिन वाले पैक में उपभोक्ताओं को दुसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए क्रमसे 3000 मिनट और 12,000 मिनट मिलेंगे। वोडाफोन

- आइंडिया और एयरटेल ने तीन दिसंबर और रिलायंस जियो ने 6 दिसंबर से मोबाइल सेवाओं की दरें 50 फीसद तक बढाने का

कापारशन बक मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

प्रिय महोदय/महोदया. उपरोक्त गजरोला शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 19.10**. 2019 जारी किये गये है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास भापके ऋण खाता में बकाये के भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस

दुर्गा सिंग यादव के नाम। सीमायें:- पुर्व: सावित्री देवी और सुनील कुमार की भूमि, पश्चिम: सुधाकर की भूमि, उत्तरः रास्ता और पाटी की भूमि, दक्षिणः सावित्री देवी और सुनील कुमार की भूमि

	reactive of Linns	Lillin Galletionea	Outstaileding Delatice
	CLUCC- 560371000500821	Rs. 9,50,000/-	Rs. 10,46,391.25
	GRAND TOTAL	Rs. 9,50,000/-	Rs. 10,46,391.25

अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे।

हर पर आगे के व्याज तथा बैंक के सुचना के लागत के साथ **खपये 10,46,391.25** उपरोक्त राशि का इस



श्रीमती अरुणा मांगलिक पत्नी नीरज कुमार मांगलिक पताः 120, मांगलिक भवन, खारी कुना, रामपुर

श्री रचित मांगलिक पुत्र नीरज कुमार मांगलिक पताः 94 डी, ग्राम कचनलजी, कुमाऊं कॉलोनी,

उपरोक्त **काशीपुर (उत्तराखंड) शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पनः निर्माण एवं प्रतिभृति डित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति डित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 19.10.2019** जार्र किये गये हैं तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता र बकाये के भूगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया

रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है। र्एमजी भूमि का क्षेत्रफल पूर्वे 180 फीट, पश्चिम 180 फीट, उत्तर 29.88 फीट दक्षिण 29.88 फीट कुल क्षेत्रफल 5380 वर्ग फीट या 600 वर्ग मीटर संपत्ति श्री वैभव शर्मा के नाम । सीमायें:- पूर्वः एक नाला और जसवीर सिंह

की फैक्ट्री, पश्चिम: विक्रेता की भूमि, उत्तर: रास्ता और दक्षिण: निशान सिंह की भूमि, स्थित ग्राम हल्दुआ साहु,

S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
1.	ODGEN (565101000070621)	Rs. 5,00,000.00	Rs. 5,24,774.85
2.	TLSEC (560821000116008)	Rs. 15,00,000.00	Rs. 14,05,022.00
	GRAND TOTAL	Rs. 20,00,000/-	Rs. 19,29,796.85

पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की चारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे। दिनांक : 02.12.2019

शाहजहाँप्र मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

ऋणकर्ताः मैसर्स राज ए के सी बजाज प्रोप. नवी दारज खान मुख्य सड़क कांठ, कस्वा कांठ शाहजहाँपुर यूपी

श्रीमती शगुफ्ता जबी पत्नी नसीम खान मौ.-टाकिया पोस्ट कांठ शाहजहाँपुर यूपी 242223

एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पडते हर अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 19.10.2019** जारी किये गये है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये के भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं ∕ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.09.2019** को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न

(एमजी बाणिज्यिक संपत्ति गाटा संख्या 288 की स्थित ग्राम – रस्कृपा बहादुरपुर, तेह.-सदर शाहजहाँपुर संपत्ति का क्षेत्रफलः 0.1378 हेक्ट. या 1378 वर्ग मीटर (गैर कृषि) संपत्ति श्रीमती शमीम बानो के नाम। सीमायें:-पुर्वः अनिल कुमार गुप्ता और अन्य का खेत, पश्चिमः सडक पक्की चीडी 18 मी. से कम, उत्तरः रामीतार वाला खेत, दक्षिणः शराफत उल्ला का खेत ।

073737 Rs. 1	950000.00	Rs. 19,49,545.51
TAL Rs. 1	950000.00	Rs. 19,49,545.51
मासिक दरों पर मिं। के व्याज तथा बैंक के 60 दिनों के भीतर भु	श्रेत 12.30 प्रति सूचना के लागत गतान करें। इसव	तेशत प्रति वर्ष (मूल स्वीकृति व त के साथ रूपये 19,49,545.5 ह्य अनुपालन नहीं करने पर हम
-	सं. 1 व 2 तथा गारंट मासिक दरों पर मिं के व्याज तथा बैंक के 50 दिनों के भीतर भु	Rs. 1950000.00 सं. 1 व 2 तथा गारंटर के रूप में आप मासिक वरों पर मिश्रित 12.30 प्रति के व्याज तथा बैंक के सूचना के लागत 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। इसव

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का आप इस्तांतरण नहीं करेंगे।

स्यान- शाहजहाँपुर

नई दिल्ली

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में तीस शेयरों वाला बीएसई मामूली

रुद्रपुर

का शुल्क लेने की घोषणा की थी। वोडा-आइडिया और एयरटेल वोडाफोन-आइंडिया और के तहत 28 दिन वैधता वाले

रविवार को फैसला किया।

श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री लीलापत सिंह, मौहल्ला महादेव, महादेव चुंगी, धनौरा, अमरोहा 244231

देनांक : 02.12.2019

समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है। बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सविधाओं /ऋण सविधाओं को दिनांक 31.03.2019 को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने हण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हिंत का निर्माण किया है । दो मंजिली आवासीय संपत्ति खसरा नंबर 139 मीहल्ला महादेव धनीरा संपत्ति श्री लीलापत यादव पुत्र श्री

काशन से 60 दिनों के भीतर भूगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभूति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की बारा 13(4) के

> काशीपुर उत्तराखंड)

तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड -244713 सहारनपुर, उत्तर प्रदेश -247001

जा रहा है। बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं ⁄ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.09.2019** को एन.पी.ए. के

ानुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिक दरों पर मिश्रित 12.10 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं 12.15 प्रतिशत प्रति वर्ष

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोत्त

2. श्री नवी दाराज खान पुत्र शबी दारज खान मी -टाकिया पोस्ट कांठ शाहजहाँपुर यूपी 242223

 श्रीमती शमीम बानो मौ.- टाकिया पोस्ट कांठ शाहजहाँपुर यूपी 242223 उपरोक्त शाहजहाँपुर शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण

S.No. Nature of Limit Limit Sanctioned Outstanding Balance

श्री लीलापत सिंह यादव वार्ड एन 6 गजरीला धनीरा अमरोहा -244235

S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
	CLUCC- 560371000500821	Rs. 9,50,000/-	Rs. 10,46,391.25
75	GRAND TOTAL	Rs. 9,50,000/-	Rs. 10,46,391.25

अधिनियम की थारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे।

स्थान- गजरोला प्राधिकृत अधिकारी

. मैसर्स सर्वेश्वर एंटरप्राइजेज पताः खसरा नं 50, ब्राम जादा साही तहसील जसपुर, उधम सिंह नगर-244712 काशीपुर।

मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

04. श्री वैभव शर्मा पुत्र श्री चंदर मोहन शर्मा पताः यू-55, पानी की टंकी के पास, हकीकत नगर.

तहसील जसपुर, जिला उथम सिंह नगर, खसरा नंबर 50 का भाग। (जारी सुरक्षा ओडगेन में)

19,29,796.85 उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने

परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

विनांक : 02.12.2019

क्रमयाः (मुल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सुधना के लागत के साथ **रूपये**

धर्म व विचारधारा के नाम पर कुचला जाता है भाजपा की सरकार में : राहुल

सिमडेगा, २ दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि जहां भी भाजपा की सरकार बनती है वहां लोगों को धर्म, विचारधारा, संस्कृति के नाम पर कुचला और दबाया जाता है। वास्तव में केंद्र की सरकार मोदी की सरकार नहीं है। बल्कि अंबानी और अडानी की सरकार है।

झारखंड विधानसभा चुनावों में अपनी पहली चुनावी रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया, 'जहां भी भाजपा की सरकार बनती है, लोगों को कुचला जाता है, कभी धर्म के कारण तो कभी विचारधारा और संस्कृति के कारण, लोगों को दबाया जाता है, कुचला और मारा जाता है।' गांधी ने कहा, 'मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी तो आप पर जो ये

दबाव डाला जाता है, आपको डराया जाता है, को आगे ले जाती है।'

उन्होंने कहा, 'हम धर्म, संस्कृति, जाति के कारण किसी पर हमला नहीं करते हैं। हम हिंसा का प्रयोग नहीं करते हैं, हम प्यार से काम करते

मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

1. मैसर्स सलोनी बैंगल्स स्टोर प्रो. श्री अजीत कुमार पताः गांधी चौक, शिव मूर्ति के पास शामली -247776

2. श्री अजीत कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी- 106 शुगर मिल कॉलोनी नई बस्ती पंसारियान

3. श्रीमती कमलेश देवी पत्नी राजपाल सिंह पताः 106 शुगर मिल कॉलोनी नई बस्ती पंसारियान

उपरोक्त शामली शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः

निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के

साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित**

19.10.2019 जारी किये गये है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे

पास आपके ऋण खाता में बकाये के भूगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस

समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है। बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं के

दिनांक 08.01.2019 को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने

अचल संपत्तिः ईएमजी संपूर्ण मकान उत्तरी फैसिगं क्षेत्रफल 76.61 वर्गमीटर स्थित खसरा नं. 213 मी,

नईबस्ती (आवासीय) शामली परगना और तहसील शामली जिला शामली संपत्ति श्रीमती कमलेश पत्नी श्री

जिपाल और श्रीमती प्रमिता रानी पत्नी श्री अजीत कमार के नाम। संपत्ति सीमार्थ:-पुर्व: संभाष सिंह क

प्लॉट नंबर 6, पश्चिम:रविंदर आदि की भूमि, उत्तर: 16 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: सुभाप सिंह का प्लॉट

अतएव, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1 व 2 तथा गारंटर के रूप में आप सं. 3 व 4 को उपरोक्त सुचना

अनसार निर्देश दिया जाता है कि मासिक दरों पर मिश्रित **13.40 प्रतिशत प्रति वर्ष** (मल स्वीकृति के अनसार

नासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सुचना के लागत के साथ **रूपये 4,68,551.00** उपरोक्त राशि क

इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय

परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की थारा 13(4) के

अधिनियम की धारा 13(13) के अनसार बैंक की पूर्व सहयति के विना इस सचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोत्त

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

that the Meeting of the Board of Directors of the company will be held on

Monday, 9" December, 2019 at 11:00 A.M. at the Registered Office of the

Company at P-7, Green Park Extension, New Delhi- 110016, inter-alia, to

consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the

Further, in terms of Company's Code of Conduct to regulate, monitor and

report trading by designated persons under SEBI (Prohibition of Insider

Trading) Regulations, 2015, the trading window has been closed for all

Designated persons and their immediate relatives from 1" October, 2019 to

This information may be accessed on the Company's website at

http://www.oraclecredit.co.in/ and may also be accessed on the Stock

Exchange's website at http://www.bseindia.com. For Oracle Credit Limited

बालाजीपुरम निकट ताहरपुर टेलीफीन एक्सचेन्ज, हसनपुर

रजवाहा की पटरी, सहारनपुर को इस नोटिस द्वारा सूचित किया

जाता है कि आपने जॉनीपाल वर्मा पुत्र कंवर सिंह निवासी

ज्वालाजी एन्कलेव निकट ताहरपुर टेलीफोन एक्सचेन्ज

हसनपुर रजवाहा की पटरी, सहारनपुर द्वारा अधोहस्ताक्षरी

शाखाँ से लोन लिया था उसमें आपर्ने बतौर गारण्टर अपने

हस्ताक्षर कर कागजात अधोहस्ताक्षरी बैंक के हक में निष्पादित

किये हुये है। जॉनीपाल वर्मा का ऋण खाता एन0पी0ए0 घोषित

हो चुका है। ऋण के अदा करने की जिम्मेदारी आप अमित उर्फ

अमित राणा की पृथक एवं संयुक्त रूप से है। इस नोटिस द्वारा

आपको सचित किया जाता है कि आप अघोहस्ताक्षरी बैंक शाखा

में दिनांक 10.12.2019 से पूर्व उपस्थित होकर समस्त ऋण की

अदायगी प्राप्त कर रसीद प्राप्त कर ले अन्यथा बाद गुजरने

मियाद अधोहस्ताक्षरी बैंक अपने ऋण की वसूली के लिये

स्वतन्त्र होगा एवं ऋण वसूली पर हुये समस्त हर्जे व खर्चे की

शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक,

शाखा रिमाउण्ड डिपो, प्रकाशपुरम, सहारनपुर

मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

श्री जसविंदर सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह, मकान नं. 13/2 सी शारदा नगर, एनएच 74 काशीपुर रोड, रुद्रपुर

कार्पोरेशन बैंक

|भरपाई करने के लिये आप बाध्य होंगेँ।

अमित उर्फ अमित राणा पुत्र जयपाल निवासी 59

Company for the quarter & half year ended, 30" September, 2019.

सार्वजनिक सूचना

11" December, 2019 (both days inclusive).

अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे।

Limit Sanctioned

Rs. 6,50,000/-

Rs. 6,50,000/-

CIN: L65910DL1991PLC043281

E-mail: oracle_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in

(Company Secretary & Compliance Officer)

दिनांक : 02.12.2019

दृष्टि बंधक चल संपत्तिः 1. दृष्टिवंधक/1 चार्ज पर सुची

CLUTL-01-150033

(560656001770999)

प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप इस्तांतरण नहीं करेंगे

दिनांक : 02.12.2019

Date: 02.12.2019

U

सह-ऋणकर्ता:-

प्रिय महोदय/महोदया.

GRAND TOTAL

S.No. Nature of Limit

ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

4. प्रमिता देवी पत्नी अजीत कुमार पताः 106 शुगर मिल कॉलोनी नई बस्ती पंसारियान शामली-247776

कार्पोरेशन बैंक

शामली-247776

हैं और यही हिंदुस्तान की शक्ति है। यह देश तभी आगे जाएगा जब हम सब मिलकर साथ आगे बढेंगे।' गांधी ने आरोप लगाया कि आज केंद्र में जो सरकार काम कर रही है, वह वास्तव में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं, वह तो अंबानी और अडानी की सरकार है। इसे देश के 20-25 सबसे बडे उद्योगपित मिलकर चला रहे हैं। केंद्र और झारखंड सरकार राज्य के आदिवासियों से जमीन छीनकर इन 15-20 लोगों को देने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने छत्तीसगढ का उदाहरण देते हए कहा कि उनकी छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसा

झारखंड चनावों में किसी शीर्ष कांग्रेस नेता की

आतंकवाद व नक्सलवाद का खात्मा चाहते हैं झारखंड के लोग: शाह

चक्रधरपुर, २ दिसंबर (भाषा)।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को झारखंड के लोगों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल उनकी पार्टी के पक्ष में करने की अपील करते हुए कहा कि उनका मत तय करेगा कि राज्य विकास के पथ पर बढ़ेगा या नक्सलवाद की राह पर। उन्होंने यहां एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दे समान महत्व के हैं क्योंकि राज्य के लोग चाहते हैं कि नक्सलवाद की तरह ही आतंकवाद का भी खात्मा हो।

उन्होंने दावा किया, 'सीमा पर सुरक्षा में तैनात

अधिकांश जवान झारखंड से हैं। इस राज्य के लोग चाहते हैं कि आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया जाए। मोदी जी (प्रधानमंत्री) ने हवाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिये आतंकवादियों को उपयुक्त जवाब दिया है।' भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के देश से घुसपैठियों को हटाने की बात दोहराते हुए शाह ने कहा, 'एनआरसी 2024 तक लागू की जाएगी।'

उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि वे अपनी पार्टी के विकास कार्यक्रमों का हिसाब दें। शाह ने कहा, 'कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज झारखंड में हैं। मैं उनसे कहना चाहंगा कि वह पिछले 55 सालों में अपनी

पार्टी के विकास कार्यक्रमों का हिसाब दें, हम यहां अपने पांच साल के हिसाब के साथ हैं।' शाह ने कहा कि आदिवासियों के अधिकारों का दोहन करने वाले, करोड़ों रुपए की घूसखोरी में शामिल और चुनावी टिकटों की खरीद-बिक्री करने वाले दल कभी झारखंड के विकास के लिए काम नहीं कर सकते। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की कांग्रेस के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन करने के लिए भी आलोचना की। शाह ने कहा, 'जब भाजपा और गुरु जी (झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन) अलग झारखंड के लिए प्रदर्शन कर रहे थे तब कांग्रेस ने राज्य के युवकों पर गोलियां चलवाई थीं।'

राज्यसभा में तारांकित सवाल पूछने वाले सात सदस्य रहे अनुपस्थित

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

राज्यसभा में प्रश्न काल के 15 तारांकित प्रश्नों को पूछने वाले सात सदस्य सदन से अनुपस्थित रहे। सभापति एम वेंंकैया नायडू ने सदन में सदस्यों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सदस्यों से उनके नाम के साथ सूचीबद्ध प्रश्न के पूछे जाने तक सदन में मौजूद रहने का अनुरोध किया।

नायडू ने कहा कि कम से कम जिस सदस्य के नाम से तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध है, उन्हें सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना चाहिए। प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछने के लिये नाम पुकारे जाने पर जो सदस्य उपस्थित नहीं थे उनमें टीआरएस के धर्मपुरी श्रीनिवास, सपा के रविप्रकाश वर्मा, कांग्रेस के रोनाल्ड सपा लाउ व पी भट्टाचार्य, तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक, अन्नाद्रमुक की शशिकला पुष्पा रामास्वामी और भाकपा के बिनॉय विश्वम शामिल हैं। जिन सवालों को पूछने वाले सदस्य गैरहाजिर थे, उनमें से चार सवालों पर सभापति ने अन्य सदस्यों को पुरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी। राज्यसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने इसे दुर्लभ बताते हुए कहा कि प्रश्नकाल के लिए सूचीबद्ध 15 सवालों में से सात सवाल, संबद्ध सदस्यों के सदन में अनुपस्थित होने के कारण

जम्मू-कश्मीर में आरटीआइ के तहत सभी लंबित मामले सीआइसी देखेगा : सरकार नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

नहीं पुछे जा सके।

एक आधिकारिक दस्तावेज के मृताबिक प्रदेश में तत्कालीन सूचना के अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के तहत जम्म कश्मीर राज्य सुचना आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित सभी दुसरी अपीलों और शिकायतों का निस्तारण अब केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) द्वारा किया जाएगा।

जम्मू कश्मीर राज्य को 31 अक्तूबर 2019 को दो केंद्र शासित क्षेत्रों– जम्मृ और कश्मीर तथा लद्दाख– में विभाजित किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।

जम्मू–कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत बडी संख्या में दिए गए आवेदन और अपीलें विभाजन के वक्त लंबित थीं। दो केंद्र शासित क्षेत्रों के बनने के बाद से नागरिक और आरटीआइ कार्यकर्ता वकीलों और अन्य अधिकारियों से इस बारे में स्पष्टता के लिए संपर्क कर रहे थे कि उनके आवेदनों का निस्तारण कैसे होगा, खासकर तब जब पहली अपील विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों और दूसरी अपील और शिकायतें राज्य सुचना आयोग के समक्ष लंबित हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्रीय आरटीआइ अधिनियम के तहत केंद्र शासित क्षेत्रों के पास सूचना आयोग बनाने का अधिकार नहीं है।

COURT NOTICE

Singh Jmic Ludhiana Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in

CNR NO: PBLD03-030811-2018 NEXT DATE: 04-01-2020 M/s Crystal Crop Protection Pvt Limited Ranjeet Kumar Dokania

Notice To: Ranjeet Kumar Dokania Prop M/s Kumar Krishi Kendra, At + Po Aliganj, Distt Banka - 813102 Bihar Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the above named accused// accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation Under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 04-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication

of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed as above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n otice&district=ludhiana Dated, this day of 15-11-2019 JMIC LUDHIANA

www.readwhere.com

धमकाया जाता है, ये सब हम बिल्कुल नहीं होने देंगे।' उन्होंने कहा, 'आज झारखंड में भाजपा की सरकार जो कर रही है, चाहे वह लैंड बैंक की बात हो, चाहे वह लोगों को कुचलने की बात हो, जैसा आज यहां हो रहा है - वैसा ही छत्तीसगढ में हो रहा था। ज्यादा समय नहीं हुआ, पिछले वर्ष वहां कांग्रेस की सरकार आई और एक साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ का चेहरा बदल दिया।' कांग्रेस नेता ने कहा, 'यह देश किसी एक विचारधारा का देश नहीं है, अलग-अलग धर्म, जाति, सोच के लोगों का देश है और कांग्रेस वह पार्टी है जो सबको लेकर चलती है। प्यार से देश ही किया है। उनकी सरकार ने टाटा से जमीन वापस लेकर आदिवासियों को लौटा दी।

रैली थी।

शामली

Outstanding Balance

Rs. 4,68,551.00

Rs. 4,68,551.00

ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ 600/1 यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मन्दिर, लखनऊ (न्यायाधिकरण क्षेत्र, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड का भाग)

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम, 1993) के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित वित्तीय संस्थान की बकाया ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(3) के तहत प्रतिवादी को सूचना मूल आवेदन सं. तथा 2019 का मूल आवेदन सं. 109

उत्तर एवं उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रकाशन द्वारा सूचना

बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम प्रशान्त भूषण चौधरी एवं अन्य प्रशान्त भूषण चौधरी पुत्र श्री चन्द्र भूषण चौधरी निवासी म.नं. बी-293, प्रतिवादी सं. 1 केन्द्रीय विहार, सेक्टर-51, नोएडा, उ.प्र. साथ ही : म.नं. 79, रेल विहार सेक्टर 30 नोएडा, उ.प्र. साथ ही म.नं. 809, सेक्टर-29, नोएडा, उ.प्र. स्थायी निवास : मकान नं. ए-1203, राजेन्द्र नगर, पो.ऑ. इज्जतनगर, बरेली, उ.प्र.-243122

श्रीमती विनीता चौधरी पत्नी प्रशान्त कुमार चौधरी निवासी : बी-293, प्रतिवादी सं. 2 केन्द्रीय विहार, सेक्टर-51, नोएडा, उ.प्र. साथ ही : म.नं. 79, रेल विहार, सेक्टर 30 नोएडा, उ.प्र. साथ ही म.नं. 809, सेक्टर-29, नोएडा, उ.प्र. स्थायी निवास : मकान नं. ए–1203. राजेन्द्र नगर. पो.ऑ. इज्जतनगर.

3 मैसर्स आम्रपाली लेजर वैली प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय : ए-307, तीसरी प्रतिवादी सं. 3 मंजिल, निपुन टॉवर्स, प्लॉट सं. 15, कम्युनिटी सेंटर, कड़कड़डूमा, दिल्ली 110092 साथ ही : कॉर्पीरेट कार्यालय : सी-56/40, सेक्टर-62, नोएडा,

उपर्युक्त आवेदन में आपको व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेन्ट अथवा वैध प्रैक्टिसनर के माध्यम से दस्तावेजों तथा शपथपत्रों (यदि कोई हो) सिहत दो सेटों में पेपर बुक में इस अधिकरण के पास प्रत्युत्तर जमा करने अपेक्षित हैं जिसकी एक प्रति सूचनाओं के आवेदन के पश्चात आवेदक या उसके अधिवक्ता/अधिकृत एजेंट के पास भेजनी है इसके पश्चात 09.12.2010 को 10.30 बजे प्रातः अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना जिसमें असफल रहने पर आवेदन पर सुनवाई होगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला सुनाया जायेगा।

कब्जा सूचना

जबकि, **असेट रिकंस्टक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड** के प्राधिकत अधिकारी ने विलीय आस्तियों का रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभृति हेत (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदारों ते उक्त सचनाओं में उनके संबंधित नाम के सामने वर्णित राशियां, उन पर लाग् दरों पर ब्याज के साथ, उक्त नुचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर, आगे भगतान तथा / अथवा वसुली की तिथि तक लाग् भनुसार ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चे, लागतें, प्रभार इत्यादि चुकाने की मांग की गई थी।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम/ सह–कर्जदार का नाम/ ऋण खाता संख्या	कुल बकाया राशि (रू. में)/ मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि एवं प्रकार
1	गजेन्द्र शर्मा / सीमा शर्मा / हरीश शर्मा / राम निवास शर्मा / 19800000005	₹. 1,66,69,421.42 / - 26-04-2018	भौतिक 28-11-2019

प्रतिभृत सम्पत्ति पता : सम्पत्ति सं. एसजी–67 / 8. सेक्टर–16. आवासीय कालोनी शास्त्री नगर, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, एरिया – 186.85 वर्ग मीटर। बौहददी : उत्तर : ब्लॉक–ए, दक्षिण : रोड 25 फीट, पूरब : प्लॉट नंबर एसजी--67 / 9, पश्चिम : प्लॉट नंबर एसजी--67 / 7.

जबकि इसमें ऊपर वर्णित कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदहारा कर्जदारों को विशेष रूप रे और जनसाधारण को सुचना दी जाती है कि आर्सिल के अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ मंठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां ऊपर वर्णित संपत्तियों / प्रतिमृत आस्तियों का भौतिक कब्जा 31 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से ऊप वर्णित कर्जदारों तथा जनसाधारण को उपरोक्त संपत्तियों / प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उपरोक्त संपत्तियों / प्रतिभृत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार आर्सिल हें प्रभार के अधीन होगा। कर्जदार/बंधकदाता/गारंटर का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए पलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है

हस्ता. /- प्राधिकत अधिकारी असेट रिकंस्टक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड तेथि : 03-12-2019

असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी : U65999MH2002PLC134884. वेबसाइट : www.arcil.co.in **पंजीकृत कार्यालय** : दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बागट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028, फोन : + 91 2266581300.

शाखा पता : द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर, निकट विद्या भवन गर्ल्स लीनियर सेकण्डी सक्ल मओआर लैंग्ड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060, फोन : 011-46370406

फॉर्म-जी अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेत आमंत्रण (इंग्रॉलवेंसी एंड बैंक्रप्सी (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये इंग्रॉलवेंसी प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 36 ए (1) के अधीन)

14 दिसम्बर, 1987

कारपोरंट ऋणी की संस्थापना की लिख

एम के ओवरसीज प्राइंबेट सिमिटेड

3. प्राधिकरण निराके जीतर्गत कॉपीरेट ऋणी कंपनीन एक्ट, 1956 के क्षधीन रनिरदार जॉफ कंपनीन (एनाडी कारपीरट ऋणी का निगमित प्रस्थान U25209DL1987PTC029976 बारपोरेट ऋगी के पंजीवत कार्यालय का पता पंजीवृत कार्यालयः ३०/ ५६६४, बस्ती हर फूल सिंह, सदर बाजार, 9. बारा 29ए के अंतर्गत लागू अपात्रता के नियम विवसाईट www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध है। यह निवनतिक्षित ई भेल आईकी cirp.mkoverseas@gmail.com पर प्रस्ताव पेतिव 10. अधिरुचि की अधिशयकित की प्राप्ति की अंतिम 18 दिसंबर, 2019 प्रत्यांतित प्रस्ताय आयेदकों को अंतिम सूची 27 दिसंबर, 2019 जारी करने की तिथि 12. ऑतिम सूची पर आपतियों के प्रस्तुतिकरण की 01 जनवरी, 2020 13. प्रत्यांकित प्रस्ताय आयेदकों की अंतिम सूची 11 जनवरी, 2020

यू एस नगर यूके-263153 श्रीमती प्रकाश कौर पत्नी श्री जसविंदर सिंह मकान नं 13/2 सी शारदा नगर, एनएच 74 काशीपुर रोड. रुद्रपुर यू एस नगर यूके-263153 प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020

3. सुश्री बलजिंदर कौर पुत्री जसविंदर सिंह मकान नंबर 13/2 सी शारदा नगर, एनएच 74 काशीपुर रोड, रुद्रपुर यू एस नगर युके-263153

उपरोक्त **रुद्रपुर शास्त्रा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं तिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 19.10.2019** जारी किये गर है तथा जो आपके ऑतंम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं. जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये वे मगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.09.2019** को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

प्लॉट नंबर 14 सी, खसरा नंबर 8 खा, शारदा कॉलोनी, सिटी 1 रोड, गाँव -डिवडिबा - बिलासपुर, जिला रामपुर संपत्ति श्री जसविंदर सिंह के नाम । सीमायें:-पूर्वः शर्मा जी और जसविंदर का मकान, पश्चिमः जोशी राम का मकान, उत्तरः सडक 18 चौडा, दक्षिणः यादव जी का मकान

S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
	CHOME - 560631000657957	Rs. 6,25,000/-	Rs. 2,22,378.61
	GRAND TOTAL	Rs. 6,25,000/-	Rs. 2,22,378.61

निर्देश दिया जाता है कि मासिक दरों पर मिश्रित 11,80 प्रतिशत प्रति वर्ष (मल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सुचना के लागत के साथ स्वप्ये 2,22,378.61 उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे। अधिनियम की घारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राण्ति की तिथि से उपरोक्त

प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे। दिनांक : 02.12.2019 स्थान- रुद्रपुर

जारी करने की तिथि 14. प्रत्यांकित प्रस्ताय आयेदकों के तिए प्रस्ताय 01 जनवरी, 2020 योजना के लिए अनुरोध तथा सुधना जापना, मृत्यांकन सात्यों जारी करने की तिथि 15. प्रस्ताय योजना, मृत्योकन सारणी, सूचना ज्ञापन प्रस्ताय पेशेयर कोड तथा इसके क्षयीन बनाए गए विनिययों के प्रायधान तथा आगामी जानकारी तेतु अनुरोध प्राप्त करने के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से दस्तायेज तेयर करेगा।

प्रस्ताव पेरोवर को प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने का तरीका प्रस्ताव योजना (आरएफआरपी

श्री सुरेश कुमार जैन, पंजीकरण सं.

उपरोक्त क.सं. 2 में वर्णित अनुसार

18. अनुमोदन के लिए निर्णायक प्राधिकरण को 02 मार्च, 2020

प्रस्ताय योजना के प्रस्तृतिकरण हेतु अनुमानित

19. प्रस्ताय पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण सं.

22. आगामी विवरण पर वा के साथ उपलब्ध है

के किसी विस्तार के अधीन है।

दिनोक: 02.12.2019

दरतायेज के लिये अनुरोध में निर्दिष्ट किया जाएगा।

IBBI/IPA-001/IP-P01179/2018-19/11839

पत्राचार के लिए पताः मार्फत सुमेधा मैनेजमेंट सॉल्युक्तन्स प्राहिद

लिमिटेड, थी-1/12, दूसरा तल, सफदरजंग एंक्लेय, नई दिल्ली-

110029, ई-पेल आईडी: cirp.mkoverseas@gmail.com

23. फॉर्म जी के प्रकाशन की तिथि 03 दिसंबर, 2019 आरची को बिना कोई कारण बताए और बिना किसी दायित्व जो कुछ भी हो, के बिना प्रक्रिया: आयेदन को रद: संतीयन करने का अधिकार है। आरपी/ स्टेओसी को किसी भी समय इओआर के लिए पात्रता में बदलाय करने का विवेकाधिकार है।

20. प्रस्ताव पेशेवर का नाम पेशेवर का नाम, पता श्री सुरेश कुमार जैन, पता: 3775/3, कनीया नगर, नई दिल्ली-

य ई-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है। 110035, ईमेल आईडी: suresh1958@rediffmail.com

प्राप्त सभी ईओआई की आरपी तथा/ या सीओसी द्वारा समीक्षा की जाएगी और इसके बाद प्रक्रिया से संबंधित आगामी जानकारी/ दस्तावेज झॉर्टीसस्ट पार्टियों को प्रदान करेगा। आरपी/ सीओसी को किसी भी समय ईओआई के लिए पाउटा में बदलाय करने का विवेकाधिकार है। (३) कारपोरेट दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया (सीक्षाईक्षारपी) की 180 दिन की क्षवपि 17 मार्च, 2020 को समाप्त होगी। के आईबीसी के प्रायचानों के अनुसार सीआईआरपी को शुरू करने के लिये निर्णायक प्रापिकरण से प्रदान की गई आविष

(4) इच्छक पर्टियां कार्य-जी के क्रम सं. 21 में वर्णित पते पर 18 दिसंबर, 2019 को 17.00 बजे या उससे पूर्व सीलबंद तिकाफे में अपनी ईओआई स्पीद: पंजीकृत डाक: दस्ती तौर पर या ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। लिफाफे: ई-मेल पर एमके ओयरसीज प्राईवेट लिमिटेड के लिए ईओआई लिखा होना चाहिए। हस्ता./- सुरेश कुमार जैन, प्रस्ताथ पेशेयर

एम के ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में, IBBI/IPA-001/IP-P01179/2018-19/11839 आईबीबीआई के साथ पंजी. पता: 3775/3, कन्हैया नगर, नई दिल्ली-110035 स्थानः नई दिल्ली

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF RICOH INDIA LIMITED

Registered Office: 1132, 3rd Floor, Building No. 11, Solitaire Corporate Park, Guru Hargovindji Marg, Andheri Ghatkopar Link Road, Chakala, Andheri East, Mumbai - 400 093 CIN: L74940MH1993PLC074694; Tel.: 022-66833000 - 05; Fax: 022-67032099; Email: ril.secretarial@ricoh.co.in; Website: www.ricoh.co.in

This Public Announcement ("PA") is being issued by Mr. Kalpraj Dharamshi and Ms. Rekha Jhunjhunwala (hereinafter collectively referred to as the "Resolution Applicants" / "Acquirers") in respect of the proposed Delisting Exit Offer to the Public Shareholders of Ricoh India Limited ("Ricoh"/ the "Company") in accordance with Resolution Plan approved by the Mumbai bench of Hon'ble National Company Law Tribunal ("NCLT") vide its order dated November 28, 2019 under Section 10 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code").

I. BACKGROUND

Ricoh India Limited filed a company petition under section 10 of the Insolvency and Bankruptcy Code on March 20, 2018 ("Company Petition") for initiating corporate insolvency resolution process of Ricoh India Limited. Pursuant to the Company Petition an insolvency Resolution Professional ("RP") was appointed and inter alia the Resolution Applicants had submitted a resolution plan under Section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code"). Subsequently the Mumbai bench of NCLT vide its order dated November 28, 2019 approved the resolution plan submitted by the Resolution Applicants. The exit offer & delisting is an integral part of the resolution plan.

As an integral part of the Approved Plan, the Resolution Applicants intend to provide an exit opportunity to the Public Shareholders of the company by making an offer to acquire up to 1,04,97,791 Equity Shares of ₹ 10/- each at a price of ₹ 50/- per equity share, representing 26.40% of the paid-up equity share capital from the Eligible Shareholders and consequently delist the Company from BSE Limited ("BSE") as provided in the Approved Plan.

Public Shareholders can tender their Equity Shares to the Resolution Applicants during the Delisting Exit Offer Period at the aforesaid Delisting Exit Price on the terms and subject to the conditions as will be set out in the Delisting Exit Letter of Offer. The Resolution Applicants have appointed Keynote Financial Services Limited (the "Merchant Banker") as the Manager to the Delisting Exit Offer. The Public Shareholders can download a copy of the Delisting Exit Offer Letter from the website of the Company, the Manager to the Delisting Exit Offer and the Registrar to the Delisting Exit Offer at www.ricoh.co.in, www.keynoteindia.net and www.mcsregistrars.com, respectively. The Equity Shares to be acquired under this Delisting Exit Offer are to be acquired free from all liens, lock-in, charges and encumbrances and together with all rights attached thereto. Equity Shares that are subject to any charge, lock-in, lien or encumbrance are liable to be rejected.

The completion of delisting offer will bring the Company outside the purview of the listing regulations. Further, the Resolution Applicants / Acquirers believe that such an exercise would enable the Company to resolve its stressed assets and would offer more flexibility and greater efficiency in the operations and management of the Company to support its business and meet the requirements of its customers.

The issued equity share capital of the Company comprises of 3,97,68,161 equity shares of ₹10/- each aggregating

This PA is being issued in regard to the said Delisting Exit Offer and shall be published in "Financial Express" - English National Daily, "Jansatta" - Hindi National Daily and "Mumbai Lakshadeep" - Regional Language Daily (Marathi). The Acquirers will inform the Public Shareholders by way of a notice in the same newspapers in which the present PA is published, of material changes, if any, to the information set out in this PA

II. DELISTING EXIT OFFER PRICE AND JUSTIFICATION

The Acquirers are making an offer to acquire up to 1,04,97,791 Equity Shares, at a price of ₹ 50/- per Equity Share, representing 26.40% of the paid-up equity share capital of the Company from the Eligible Public Shareholders of the Company through the corporate insolvency resolution process under the Code and consequently to delist the Company from the BSE in accordance with

In accordance with the Delisting Regulations as amended on June 01, 2018, the provisions of the Delisting Regulations, including but not limited to the floor price of the delisting offer, are not applicable to a delisting offer made pursuant to a resolution plan under the Code, subject to the condition that the exit to the shareholders should be at a price which is not less than the liquidation value as determined under Section 35 after paying off the dues in the order of priority as defined under Section 53 of the Code. Since the liquidation value to the shareholders is NIL, the Resolution Applicants are not liable to pay any exit price to the Public Shareholders. Nonetheless, the Resolution Applicants voluntarily propose to offer an exit price of ₹50/- per Equity Share.

The exit price for the Equity Shares as per the Approved Plan is ₹50/- (Rupees Fifty Only) per Equity Share of ₹10/- each ("Delisting

In terms of the order approved by Hon'ble NCLT, the share capital of Ricoh India Limited will be reorganized.

Pursuant to the reorganization as envisaged, the equity share capital held by the public shareholders will be reduced from ₹ 10,49,77,910 comprising of 1,04,97,791 equity shares of ₹ 10/- each fully paid up to ₹ 4,19,91,164 divided into 1,04,97,791 equity shares of ₹ 4/- each fully paid up. Immediately thereafter, 1,04,97,791 equity shares of ₹ 4/- each as reduced shall be consolidated into 41,99,116 fully paid-up equity shares of ₹10/- each.

If the shareholders tender their equity shares anytime during the delisting exit offer period but after the reorganisation of share capital i.e. reduction of face value from ₹ 10/- to ₹ 4/- and reconsolidation of face value from ₹ 4/- to ₹ 10/-, the delisting exit price for those shareholders, whose shareholding has been reorganized on account of the aforesaid reduction of face value from ₹ 10/- to ₹ 4/- and reconsolidation of face value from ₹4/- to ₹10/- shall be amended to ₹125/- per equity share (Rupees One Hundred and Twenty Five only) ("Exit Price Post Reconstitution of Share Capital"). While the adjusted amount paid i.e. the Exit Price Post Reconstitution of Share Capital, will increase to ₹ 125/- per equity share (Rupees One Hundred and Twenty Five only), but on account of reduction of face value from ₹ 10/- to ₹ 4/- and reconsolidation of face value from ₹ 4/- to ₹ 10/- the amount of consideration payable to the public shareholders will remain the same

This Offer is being made pursuant to the Resolution Plan approved by the Mumbai bench of National Company Law Tribunal vide its order dated November 28, 2019, submitted by the Acquirers for Ricoh India Limited under Section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code") at the Delisting Price, to Eligible Shareholder of the Company ("Eligible Member").

Please note that trading in the Equity Shares of the Company will be discontinued upon approval of the delisting by the BSE and the Equity Shares of the Company will be delisted from the BSE

III. TENTATIVE ACTIVITY SCHEDULE FOR DELISTING EXIT OFFER

Delisting Exit Offer Opening date Thursday, December 5, 2019 Delisting Exit Offer Closure date Wednesday, December 11, 2019 Last Date for Payment of Consideration / return of shares which are not accepted in Monday, December 16, 2019

Post delisting, the Acquirers will continue to provide an exit opportunity to the Eligible Public Shareholders who have not tendered their Equity Shares in the Delisting Offer ("Exit Offer") FOR A PERIOD OF ONE YEAR FROM THE DATE OF DELISTING OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY FROM THE BSE AT SAME PRICE subject to note as given in point II -"Delisting Exit Offer Price and Justification".

In terms of Section 31(1) of the Insolvency and Bankruptcy Code, the Resolution Plan as approved by Honorable National Company Law Tribunal (NCLT) shall be binding on the corporate debtor and its employees, members, creditors, guarantors, shareholders, and other stakeholders including tax authorities, stamp duty authorities, any other governmental authorities on and from the NCLT approval date. The approved resolution plan interalia prescribes an indicative implementation schedule to be adhered by all the stakeholders. However, the order of the Honorable NCLT is challengeable with legal authorities of higher jurisdiction such as Honorable National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) etc. In the event any of such higher authorities grants any interim relief or passes any orders concerning the approved resolution plan, the aforesaid implementation schedule may accordingly undergo a change. Any change in the implementation schedule pursuant to such orders would be intimated to BSE and public

Note: All dates are subject to change. Changes to the proposed timetable, if any, will be notified to the Eligible Public Shareholder(s) by way of corrigendum/advertisement to the Public Announcement, in all the newspapers in which the Public Announcement has appeared. The corrigendum (if any) to this Delisting Exit Letter of Offer will be available to the Public Shareholder(s) to download from the website of the Company and Manager to the Offer at www.ricoh.co.in and www.keynoteindia.net respectively. In the event some Public Shareholders are not able to download a copy of the Delisting Exit Offer from www.ricoh.co.in, they may obtain a hard copy of the Delisting Exit Letter of Offer from the Registrar to the Delisting Exit Offer being MCS Share Transfer Agent Limited.

IV. PROCEDURE FOR SETTLEMENT

The payment for equity shares accepted under the delisting exit offer will be made on or before Monday, December 16, 2019 by way of RTGS/NEFT/IMPS/Demand Drafts/Bankers Cheques whichever possible. The Demand Drafts/Bankers Cheques will be dispatched to the relevant Public Shareholders, by way of speed post / registered post / courier. Public Shareholders to whom funds have been transferred electronically shall be duly notified by way of a letter by the Registrar to the Delisting Exit Offer. The Resolution Applicants will dispatch the payment to Public Shareholders who have validly tendered their Equity Shares in this Delisting Exit Offer following the receipt and verification of duly filled valid Application Form(s) (together with necessary enclosures, if any) and receipt of the Equity Shares in the Special Depository Account.

V. LIABILITY OF THE ACQUIRERS POST DELISTING Post completion of the Delisting Exit Offer, the Company will make an application to the BSE for delisting of Equity Shares of the Company. Upon such delisting, shareholders will no longer be able to trade in the Equity Shares of the Company on the BSE.

Post delisting, the Acquirers will continue to provide an exit opportunity to the Eligible Shareholders who have not tendered their Equity Shares in the Delisting Offer ("Exit Offer"). The Exit Offer will be available for a period of one year from the date of delisting of Equity Shares of the Company from the BSE at same price of ₹50/- per equity share.

The detailed Delisting Exit Offer Letter along with the Application form is being dispatched to all the Public Shareholders of the Company. In case of non receipt of the Delisting Exit Offer Letter, such shareholders of the Company may download the same from the website of the Company, the Manager to the Delisting Exit Offer and the Registrar to the Delisting Exit Offer at www.ricoh.co.in, www.keynoteindia.net and www.mcsregistrars.com, respectively.

MANAGER TO THE DELISTING EXIT OFFER

KEYNOTE MISSTA

Keynote Financial Services Limited (Formerly Keynote Corporate Services Limited) The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West) Mumbai - 400 028; Tel.: +91 22 6826 6000-3 E-mail: mbd@keynoteindia.net;

Contact Person: Ms. Pooja Sanghvi / Mr. Akhil Mohod

Website: www.keynoteindia.net

Place: Mumbai

F-65,1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase 1 New Delhi - 110 020, Tel.: 011 - 41406149, 41406151, 41406152 Email: admin@mcsregistrars.com Website: www.mcsregistrars.com Contact Person: Mr. Ajay Dalal SEBI Registration No: INR 000004108

MCS Share Transfer Agent Limited

REGISTRAR TO THE DELISTING EXIT OFFER

SEBI Registration No.: INM 000003606 Date: December 2, 2019 Kalpraj Dharamshi

नई दिल्ली

Rekha Jhunjhunwala CONCEPT

नक्सिलयों ने की दो नागपुर, 2 दिसंबर

कार्पीरेशन बैंक

1. मैसर्स अदेत ट्रेडिंग कंपनी प्रो.कृष्ण मुरारी शर्मा 32, ब्रज विहार कॉलोनी, ट्रंडला

2. कृष्ण मुरारी शर्मा पुत्र श्री रघुना 19/86 बृज विहार कॉलोनी, टूंडला

नम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

S.No. Nature of Limit

का प्रयोग करने के लिए अधिकृत डोंगे।

दिनांक : 02.12.2019

(560361000008501)

GRAND TOTAL

रतिभूत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे।

नेम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

अचल संपत्ति

पश्चिमः प्लॉट नंबर सी 103

दिनांक : 02.12.2019

आर. सी. सं. 315/18

फेज-।।, नई दिल्ली -110017

S.No. Nature of Limit

560631000140199

GRAND TOTAL

। किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे।

प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे।

CVPOD

मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

उपरोक्त **आगरा संजय पैलेस शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुन

नेर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ

पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 15.10.2019** जारी

किये गये है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता मे

बकाये के भगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नीटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया

जा रहा है। बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.09.2019** को एन.पी.ए.

रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथ

भूमि खसरा नंबर 1352 क्षेत्रफल 0.0920 हेक्टेयर और खसरा नंबर 1353 क्षेत्रफल 0.3920 हेक्टेयर दो प्लाट

का कुल क्षेत्रफल 0.4840 डेक्टेयर स्थित ग्राम- पचोखरा, तहसील - टुंडला, जिला-फिरोजाबाद स्वामित्व श्री

ततएव, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1 व 2 को उपरोक्त सूचना के अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिव

ररों पर मिश्रित **12.80 प्रतिशत प्रति वर्ष** (मूल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के व्याज तथा बैंक

. सूचना के लागत के साथ **रूपये 41,74,000.00** उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान

हरें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः

नर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारी

मिथिनियम की थारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोत्त

मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

1. श्री महावीर जैन, 270 नगला मोहनलाल, कालिंदी विहार, लोहामंडी के पास, आगरा- 282006

2. श्रीमती सीमा जैन, 270 नगला मोहनलाल, कालिंदी विहार, लोहामंडी आगरा के पास - 282006

3. श्री राहुल कुमार जैन, 270 नगला मोहनलाल, कालिंदी विहार, लोहामंडी के पास, आगरा– 282006

उपरोक्त **आगरा संजय पैलेस शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः

निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साध

पढते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 21.11.2019 जारी

बकाये के भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किय

जा रहा है। बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं ∕ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.06.2019** को एन.पी.ए.

रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथ

ईएमजी संपत्ति श्री महावीर जैन और राहल कमार जैन के नाम पर संपत्ति का विवरण पश्चिमी भाग प्लॉट नंबर

ीं 102 का स्थित कालिंदी विडार मीजा नारायच, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा क्षेत्रफल 112.74 वर्गमीट

सीमायें:- उत्तरः 24 मीटर चौड़ी सड़क दक्षिणः प्लॉट नं 198/104 पूर्वः प्लॉट नंबर सी 102 का शेष भाग

स्तएव, ऋणथारक के रूप में आप सं. 1 , 2 व 3 को उपरोक्त सुचना के अनुसार निर्देश दिया जाता है वि

मासिक दरों पर मिश्रित **11.65 प्रतिशत प्रति वर्ष** (मूल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के ब्याज

तथा बैंक के सूचना के लागत के साथ **रूपये 25,56,207.00** उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों ।

मीतर भगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों

प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त

भींघेनियम की घारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोत्त

निवासी : फ्लैट नं. 83—बी, पॉकेट—के, शेख सराय, फेज— । ।, नई दिल्ली—110017

र्निधारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

वार्षिक ब्याज वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, साथ में खर्च लागत रु. 38,000 / — बकाया है।

प्रमाणपत्र के अनुसार, साथ में खर्च लागत रु. 38,000 / — प्रामाणपत्र देनदार से बसूल किया जाएगा।

Limit Sanctioned

Rs. 28,65,000.00

Rs. 28,65,000.00

कापरिशन बैंक

स्थान- आगरा संजय पैलेस

Limit Sanctioned

Rs. 40,00,000/-

Rs. 40,00,000/-

कृष्ण मुरारी शर्मा पुत्र श्री रघुनंदन प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम - अधित, टूंडला, जिला- फिरोजाबाद।

ग्रामीणों की हत्या

प्रिय महोदय/महोदया.



भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

जिकत कार्यालय : कॉनकॉर भवन, सी-3, अपोलो अस्पताल के सामने, मधुरा रोड, नई दिल्ली-110076; फोन : 91-11-41673093-96. फैक्स : 91-11-41673112 वेबसाइट : www.concorindia.com

निविदा सुचना : कॉन/आईटी/2427/19/02 (केवल ई-टेंडरिंग माध्यम) कोनकोर के कॉरपोरेट ऑफिस/सैन्टल साईट, नई दिल्ली में एक वर्ष की वारंटी, चार वर्षों की एएमसी एवं एटीएस सपोटं सहित संवर्धित हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के साथ टर्नकी आधार पर एवआर पेरोल कर्मचारी पोर्टल, ऑनलाइन सतर्कता समाशोधन प्रणाली के लिए सॉपटवेयर के परिसर में उन्नयन और इसके मोबाईल एप्लीकेशन के विकास हेतु केवल ई-टेंडरिंग माध्यम से दो बोली प्रणाली में ऑनलाइन खली निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं । निर्विदा दस्तावेज केवल वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) र्म डाउनलोड किया जा सकता है।

अनुमानित लागत ₹14,96,03,158.90 पूर्णता अवधि 210 दिन (आपूर्ति, संस्थापना, कमीशनिंग, एकीकरण, कार्यान्वयन, परीक्षण, माइग्रेशन, गो॰लाइव, स्वीकृति एवं एक माह के सफलतापूर्वक प्रचालन हेतु अवधि), एक वर्ष की वारंटी, प्रथम वर्ष एटीएस और एएमसी एवं एटीएस अवधि हेतु 4 वर्ष ₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख मात्र) ई-भुगतान के माध्यम से धरोहर जमा राशि ₹ 1000.00 सभी करों व प्रभारों सहित ई-भूगतान के माध्यम से निविदा दस्तावेज की कीमत ₹4,500.00 तथा कर, जैसा लागु हो (अप्रतिदेय) निविदा प्रक्रिया शुल्क ई-भूगतान के माध्यम से निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन) 03.12.2019 1100 बजे से 23.12.2019 (1600 बजे तक) जमा करने की तिथि एवं समय 24.12.2019 को 1630 बजे खुलने की तिथि एवं समय 26.12.2019 को 1130 बजे



मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

कार्यपालक निदेशक (एमआईएस)

मेरठ मैन

मेरठ

कॉनकॉर के पास बिना कोई कारण बताये किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित

1.0 मैसर्स एस के डेयरी प्रो. श्री संजय कुमार 100/44 न्यू भोपाल विहार, गढ़ रोड, मेरठ-250001 2.0 श्री संजय कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह भटीपुरा, माणकपुर गढ़ रोड, मेरठ-250001

3.0 श्रीमती कौशल पत्नी श्री संजय कुमार 100/44 न्यू भोपाल विहार, गढ़ रोड, मेरठ - 250001

उपरोक्त मेरठ मैन मेरठ शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुन निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साध पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 16.11.2019** जारी किये गये है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये के भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है। बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.06.2019** को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

एक आवासीय मकान नं: 100/44 क्षेत्रफल 83.61 वर्गमीटर 100 वर्ग गज के बराबर। निर्मित भाग नं 27 क्षंत्रफल 168.22 वर्ग मीटर 200 वर्ग गज के बराबर, खसरा नं. 1019 स्थित राजस्व गांव दतावली, गेशूपुर, मेरठ। संपत्ति श्रीमती क्रीशल पत्नी श्री संजय कुमार के नाम, संपत्ति की सीमायें:-पूर्वः 15 फीट उसके बाद प्लॉट नं. 67 पश्चिमः 30 फीट उसके बाद 30 फीट चीडी सडक उत्तरः 60 फीट उसके बाद प्लॉट नं. 26 दक्षिणः 60 फीट उसके बाद मालिकों का प्लॉट।

S.No. Nature of Limit Limit Sanctioned Outstanding Balance CLUTL - 560656001787573 Rs. 8,70,071.00 Rs. 10,00,000/-2. AGTL- 560931000538270 Rs. 10,00,000/-Rs. 8,95,240,00 **GRAND TOTAL** Rs. 20,00,000/-Rs. 17,65,311.00 अतएव, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1 व 2 तथा गारंटर के रूप में आप सं. 3 को उपरोक्त सूचना के अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिक दरों पर मिश्रित 13.40 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं 14.00 प्रतिशत प्रति वर्ष क्रमशः (मूल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सुचना के लागत के साथ **रूपये**। 17,65,311.00 उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने

अधिनियम, 2002 की घारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त

पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन

दिनांक : 02.12.2019 स्थान- मेरठ मैन, मेरठ



प्रतिभत परिसम्पत्तियों का आप इस्तांतरण नहीं करेंगे।

मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री थारू राम, निवासी गली नंबर 06 सम्राट विक्रम कॉलोनी सहारनपुर-

श्रीमती उषा रानी पत्नी श्री विनोद कुमार निवासी गली नंबर 06 सम्राट विक्रम कॉलोनी

03. श्री विश्वास कुमार पुत्र श्री बाबू राम, मिसार मुरार, रानी बाजार के पास, सहारनपुर-247001

उपरोक्त **सहारनपुर शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 19.10.2019** जारी किये गये है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये से भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है र्वेक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.09.2019** को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

एक प्लॉट भूमि क्षेत्रफल 88 वर्ग गज या 73.57 वर्ग मीटर, साथ में सब अधिकार सम्बंधित यह स्थित दारा कोत ताल अदरुण पी.टी.। और जिला सहारनपुर दर आबादी सम्राट विक्रम कॉलोनी सहारनपुर संपत्ति श्रीमती उषा रानी के नाम । सीमायें:-पूर्व: रास्ता 15 फीट बीडा पश्चिम: दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व वाला मकान उत्तर: दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व वाला मकान दक्षिण: दुसरे व्यक्ति के स्वामित्व वाला मकान

S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
	CHOME - 560631000605175	Rs. 10,00,000/-	Rs. 7,75,708.52
	GRAND TOTAL	Rs. 10.00.000/-	Rs. 7.75.708.52

अतएव, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1 व 2 तथा गारंटर के रूप में आप सं. 3 को उपरोक्त सुचना के अनुसार निर्देश विया जाता है कि मासिक दरों पर मिश्रित **10.90 प्रतिशत प्रति वर्ष** (मूल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सूचना के लागत के साथ **रूपये 7,75,708.52** उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारी का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे।

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सुचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे।

दिनांक : 02.12.2019

स्थान- सहारनपुर

पिलखवा



मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

01 मैसर्स सुनारोमस प्राइवेट लिमिटेड 88 बी राइट गंज गाजियाबाद यूपी - 201001

02.श्री राजेश बंसल पताः बेकर्स बाईट सी ब्लॉक कवि नगर गाजियाबाद यूपी- 201002 03. श्री सचिन गुप्ता पताः मकान नं. 96 नई बस्ती राइट गंज गाजियाबाद यूपी -201002 04. श्रीमती रेणु गुप्ता पत्नी श्री सचिन गुप्ता

पताः मकान नं. 96 नई बस्ती राइट गंज, गाजियाबाद युपी - 201002

उपरोक्त पिलखबा शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पड़ते हुए ानुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नीटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 19.10.2019** जारी किये गर है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं. जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये के भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है बैंक डारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.09.2019** को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

अचल संपत्तिः ईएमएफ संपत्ति नंबर 96, नई नंबर 88-बी, मीहल्ला राइट गंज, नई बस्ती, राम सिंह पैलेस के सामने गाजियाबाद, संपत्ति श्रीमती रेणु गुप्ता पत्नी श्री सचिन गुप्ता के नाम। सीमायें:-पूर्वः सत्य प्रकाश गुप्ता की दुकान, पश्चिमःरेणु गुप्ता की दुकान, उत्तरः 20 / चौड़ी सड़क, दक्षिणः नवीन प्रकाश गुप्ता की दुकान

S.No. Nature of Limit Limit Sanctioned Outstanding Balance CCGEN -Rs. 14,71,840.38 Rs. 14,20,000/-560101000050267

GRAND TOTAL Rs. 14,20,000/-Rs. 14,71,840.38 अतएव, ऋणचारक के रूप में आप सं. 1 तथा गारंटर के रूप में आप सं. 2, 3 व 4 को उपरोक्त सुधना व अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिक दरों पर मिश्रित 12.45 प्रतिशत प्रति वर्ष (मूल स्वीकृति के अनुसार

मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सूचना के लागत के साथ **रूपये 14,71,840.38** उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भूगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे।

अधिनियम की थारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे

दिनांक : 02.12.2019 स्थान- पिलखवा

कार्य का विवरण

निविदा आईडी नं. 2019 DJB_184669_1

www.readwhere.com

| सं.

प्राधिकृत अधिकारी

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (एनई) II आर-पॉकेट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली- 95

प्रैस एनआईटी सं. 44 (2019-20) निविदा राशि ईएमडी निविदा ई-प्रापण सॉल्युशन ई-प्रापण सॉल्युशन के शुल्क के माध्यम से निविदा माध्यम से निविदा प्राप्ति जारी की तिथि की अंतिम तिथि/समय 1 मस्तफाबाद, एसी-69 में नेहरु विहार में गली नं. 5, बी-16.12.2019 के 2.30 29.4.2019 ब्लॉक खड्डे वाली गली में पुराने, गहरे, क्षतिग्रस्त 150- 45,77,166/- 92,000/-बजे अप. तक। 500/-100 एमएम डाया सी आई वाटर लाइन का विस्थापन।

इस संदर्भ में तकनीकी विनिर्देशनों तथा विशेष शर्तों सहित नियमों एवं शर्तों के अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.com पर देखें पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी कार्यपालक अभियंता (एनई)- II विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/ 604

Form No. 5 **Debts Recovery Tribunal**

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007 (Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh) Summons for filing Reply &

Appearance by publication O.A. No. 16/2019 DATED: 16-11-2019 (Summons to Defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule, 1993)

STATE BANK OF INDIAApplicant

Ajeet Kumar & Ors.

M/s Nitya Realtech Pvt. Ltd., Registered Office: 220, Opposite Vaternity Hospital, Village Burari, Delhi-110084, Site Office: Officer City, NH-58, Raj Nagar, Extension, Ghaziabad

...Defendants In the above noted application, you are required to file reply in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 21-01-2020 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

> Registrar Debts Recovery Tribunal, Lucknow

'प्रपन्न सं. आईएनसी–26' [कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30

के अनुसरण में] कम्पनी का पंजीकत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए समाधारपत्र र

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष हम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (क) के संबंध में

विजाग कंसल्टेंट्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड,

जिसका पंजीकृत कार्यालय के-1/119, बेसमेंट, गली न. – 13, सी आर पार्क, नई दिल्ली – 110019 में रिधत हैं, के विषय में आम जनता को सुचित किया है कि याचिकर्ता कम्पनी ने दिनांक 21 नवम्बर को आयोजित असा असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संबंद में कम्पनी के संगम ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि करते हुए कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के को आवेदन किया है ाकि कम्पनी अपना पंजीकत कार्यालय **"राष्टीय** राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली" से "हरियाणा

कोई भी व्यक्ति, जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की नंभावना है, इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के अंदर या तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के [मसीए-21 पोर्टल (ण्डबंण्हवअण्पद) में सृचित करे या फिर संबंधित कम्पनी रजिस्ट्रार के क्षेत्रीय निदेशक को बी-2 विंग, हितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली– 110003 को अपने हित की प्रकृति और विरोध के कारण बताते हवे एक सपथ पत्र द्वारा अपनी आपत्तियां मेजेगा अधवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करेगा और उसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे लिखे पते पर स्थित पंजीकत कार्यालय मेजी जाएगी

राज्य" में बदले।

के—1 / 119, बेसमेंट, गली न. — 13, सी आर पार्क, नई दिल्ली - 110019 आवेदक के लिए और उसकी और से

विजाग कंसल्टेंट्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड हस्ता./ रामचन्द्र राव पति

निदेशक विचि : 02-12-2019 स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 02336617



फोन नं: 23214201, 23213945, फैक्स: 23216713

ई-नीलामी कार्यक्रम मएसटीसी द्वारा इंडस टावर्स की ओर से नीलामी संख्या 27805, 27804, 27807 के माध्यम से पीआईय बैटरी चार्जर, धर्मल कोटिंग, डीसी डीसी मॉडयुल, अग्नि शामक एसीढीबी (इंडोर/आउटडोर), बॉक्स के साथ एमसीसीबी बेटरी कैबिनेट / कैनोपी, अर्थिग स्ट्रिप, डीसीडीबी, एसी, ढीजी, पीआईय्, एसएमपीएस, शंल्टर पैनल, ढीजी बैटरी, एफसीय् आर्मर्ड केयल (एल्युमिनियम), एलसीयू, बैटरी सेल. एलसीय् (एल्युमिनियम), कॉपर स्ट्रिप, एसी-0.9 टीआर, टीएक्स रैक आदि के निपटान के लिए 05.12.2019 को ई-नीलामी

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.mstcecommerce.com www.mstcindia.co.in पर लॉग ऑन करें ।



नई दिल्ली-110 003 (भारत)

दूरभाष नं. : +91 11 24362200, 24360527, फैक्स : +91 11 2436458 आयातित प्याज के क्रय हेतु ई–निविदा

र्ड-निविदा सं. एमएमटीसी/पीयुआर/ओनियन/2019-20/01 दिनांक 01 दिसम्बर, 2019

बन्द होने की तिथि 06 दिसम्बर, 2019 को 1500 बजे (भा.मा.स.)

आमन्त्रित करता है ई-निविदा एमएमटीसी की ई-प्रापण वेबसाइट

https://mmtc.abcprocure.com पर उपलब्ध है

निविदा दस्तावेज की प्रति उपमहाप्रबन्धक (एजीआरओ) से भी प्राप्त की जा सकती है अथवा

हमारी निम्नलिखित वेबसाइट से डाउनलोड की जा

www.mmtclimited.gov.in तथा https://eprocure.gov.in/epublish/app

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।।।, दिल्ली

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ वतः ऋण वसला न्यायाधिकरण (प्राक्रया नियमावली, 1993) के नियम 12 एवं 13 के तहत

ओ.ए सं. 278/2019/डीआरटी—।।। के मामले में ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

श्रीमती ओमवती एवं अन्य प्रतिवादी सेवा में.

डी-3 श्री मदन पाल लोहिया, पुत्र स्वं. श्री. राशन लाल, 217, आर्य नगर, नई दिल्ली

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाविकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा वुका है कि आपको साधारण रूप से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विद्यापन के रूप में इस नोटिस के माध्यम से आपको दिनांक 18-12-2019 को पूर्वाह 10.30 बजे इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपरिधत नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपरिधति में

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत २९ अक्टूबर, २०१९ को दिया गया। न्यायाधिकरण के आदेशानुसार

सहायक रजिस्ट्रार डीआरटी-।।।, नई दिल्ली

संबंध में बिक्री को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। नीलामी समाप्त होने से पूर्व बिक्री समाप्त कर दी जाएगी यदि बिक्री कर रहे अधिकारी वं समक्ष प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तृत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तृत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अद्योहस्ताक्षरी को भुगतान किए जा चुके हैं।

कुमार (मुख्य प्रबंधक), ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, मो. नं. 9811117952 and 9451954857 से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।

बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण

 आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी। बिक्री उदघोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अद्योहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्त किसी त्रटी, गलत बयान अथवा उदघोषणा में चूक के होने पर अद्योहस्ताक्षरी की जवाबदेही नहीं होगी।

8.1 आरक्षित मूल्य रु. 87.00 लाख (रु. सत्तासी लाख मात्र) के नीचे सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी और धरोहर राशि (ईएमढी) रु. 8.70 लाख (रु. आठ लाख सत्तर हजार मात्र) 8.2 इच्छुक निविदादाताओं को रु. 8.70 लाख (रु. आठ लाख सत्तर हजार मात्र), धरोहर राशि पे आर्डर / डिमांड के रूप में, वसूली अधिकारी—।।, डी

आर टी— |, दिल्ली, खाता आर सी नं. 315/18 के पक्ष में दिल्ली में देय, दिनांक 01.01.2020 को अर्पा. 03.00 बजे तक धरोहर राशि वसुली अधिकारी— | |, डी आर टी—।, दिल्ली के ऑफिस में जमा करनी होगी। उसके उपरान्त प्राप्त धरोहर राशि (ई एम डी) विचारणीय नही होगी। सफल बोलीदाता के लिए उपरोक्त जमा को समायोजित कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं को उनकी धरोहर राशि (ई एम डी) ई—नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद वसूली अधिकारी—।।, डी आर टी—।, दिल्ली के ऑफिस से वापस कर दी जाएगी। 8.3 इच्छ्क बोलीदाताओं जिन्होंने अपनी बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) साथ में दस्तावेज जैसे की पैन कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण इत्यादि

दिनांक 01.01.2020 को अर्पा. 03.00 से पहले वसुली अधिकारी- । ।, डी आर टी- ।, दिल्ली के ऑफिस में जमा कर दी है, ही दिनांक 03.01.2020 को अर्पाड़ 02.00 बजे से अर्पांड 03.00 बजे तक होने वाली डै—नीलामी में भाग ले सकते है। बोली यदि ई—नीलामी समाप्ति हेत निर्धारित समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो उस दशा में ई—नीलामी बंद होने का समय 5 मिनट स्वतः बढ़ जायेगी।

8.4 निविदा राशि जहाँ से बिड राशि को रु. 50,000 / – (रु. पचास हजार केवल) के गुणाकों में बढ़ाया जाएगा निविदा राशि पर अथवा निविदादाता द्वारा किसी विवाद पर लॉट के लिए नीलामी को तुरंत दोबारा प्रारंभ करवाया जाएगा

8.5. किसी भी लॉट के सर्वोच्च / उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाऐगा बशर्ते की वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगाई गयी बोली आरक्षित मृत्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा. यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो । 8.6 सफलतम / उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी-।।, ऋण वसूली अधिकरण-।, दिल्ली, खाता आर सी न

पश्चात यह ऑनलाइन निलामी के बंद होने से तीन दिनों के भीतर रिकवरी अधिकारी के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए, ऐसा ना करने पर घरोहर राशि 8.7 सफलतम / उच्चतम बोलीदाता सम्पत्ति बिक्री मूल्य की बकाया 75 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी—।।, डी आर टी—।, दिल्ली, खाता आर सी मं. 315/18 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के द्वारा सम्पत्ति की बिक्री की तिथि (उस दिन को छोड़कर) से 15वें दिन या उससे पहले वसूली अधिकारी-11,

315 / 18 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट / पे—ऑर्डर के द्वारा ऑन लाईन निलामी के 24 घण्टे के अंदर तैयार करना होगा और धरोहर राशि को समायोजित करने के

ढी आर टी— L दिल्ली के समक्ष जमा करेगा और यदि 15वें दिन रविवार या अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर (15 दिन के पश्चात) ऐसा किया जाऐगा। एवं 2 प्रतिशत रु. 1000 / – तक और उसके बाद शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण– । दिल्ली के पक्ष में जमा करवाना होगा (75 प्रतिशत शेष जमा राशि के मामले में यदि पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है तो उपरोक्तानुसार में वसूली अधिकारी के ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए)। 8.8 यदि निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है, तो सम्पत्ति को बिक्री की नई उद्घोषणा के निर्गमन के बाद पुनः बेचा जाऐगा। बिक्री के

खर्चों को चुकाने के बाद बची रकम यदि अधोहस्ताक्षरी इसे सही समझता है, तो सरकार के खाते में जब्त कर दी जायेगी तथा दोषी क्रेता सम्पत्ति के या उस राशि के किसी भी भाग जिसके लिए उसे बाद मे बेचा जा सकता है, के दावे जब्त कर लिए जायेंगें। सम्पत्ति को "जहाँ है जैसा है आधार" पर बेचा जाएगा 10. अद्योहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार

सम्पत्तियों की अनुसूची विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसुके

अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची किसी भी प्रकार के भार सम्पत्ति या उसके किसी जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, जहाँ भाग पर राजस्व जिसका का विवरण जिसके लिए सम्बन्धित सम्पत्ति डिफाल्टर या जो किसी मूल्यांकन किया गया है

सम्पत्ति उत्तरदायी है मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है। अन्य व्यक्ति के सह-स्वामित्व में है। फ्लैट नं. 83-बी, पॉकेट-के, भूतल, एल.आई.जी, फ्लैट शेख सरॉय, फेज—।।, नई दिल्ली—110017 कोई सूचना प्राप्त नहीं में स्थित, फ्रीहोल्ड सम्पत्ति की चौहदीः उत्तर में -अन्य सम्पत्ति, पूरब में — फ्लैट नं. 83—ए, दक्षिण में – प्रवेश 🖊 रोड, पश्चिम में — फ्लैट नं. 84—ए

मेरे समझ दिनांक 16.11.2019 को मोहर किया गया

लॉट

गढिचरौली जिले के एक गांव में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी पुलिस के एक अधिकारी

संजय पैलेस

Outstanding Balance

Rs. 41,74,000.00

Rs. 41,74,000.00

आगरा

संजय पैलेस

Outstanding Balance

Rs 25,56,207.00

Rs 25,56,207.00

कार्यालय वसूली अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण-।, दिल्ली

बिक्री उदघोषणा

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम शिव कुमार शर्मा

बिक्री की उद्घोषणा अन्तर्गत आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2)

बैंक और वित्तीय संस्थान की ऋण वसूली अधिनियम 1993

सीडी 1: श्री शिव कुमार शर्मा, पुत्र श्री बी सी शर्मा, प्रोपराइटर, मैसर्स एस के सेल्स कॉर्पोरेशन, निवासी : फ्लैट नं. 83—बी, पॉकेट—के, शेख सराय,

सीढी 2: मैसर्स एसके सेल्स कॉर्पोरेशन, प्रोपराइटर श्री शिव कुमार शर्मा पुत्र श्री बीसी शर्मा द्वारा, प्रोप्राइटर, मैसर्स एसके सेल्स कॉर्पोरेशन,

जहाँ पर पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण—। द्वारा वसूली प्रमाणपत्र सं 315/18, ओए सं 604/2016 दिनांकित 25.07.2018 के

द्वारा वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार वाद के शुरुआत से रु. 35,22,688.20 साथ में दिनांक 12-09-2016 से चुकौती की तिथि तक 11 प्रतिशत

3. और जहाँ पर प्रतिवादी द्वारा **रु. 35,22,688.20 साथ में दिनांक 12-09-2016 से चुकौती की तिथि तक 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज क्सूली**

4. स्चित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश के आभाव में उक्त सम्पत्ति ई-नीलामी वेबसाईट : website

https://bankeauctions.in के द्वारा "ऑन लाईन ईलैक्ट्रॉनिक बिडींग" के माध्यम से तथा सेवा प्रदाता मैसर्स 4 क्लोज़र, सम्पर्कः श्री विकास

कमार. ईमेलः info@bankeauctions.in और vikas@bankautions.in, मो. 8142000809/814200066 की वेबसाइट

https://bankeauctions.in द्वारा दिनांक 03.01.2020 को अर्पा. 02.00 बजे से अर्पा. 03.00 बजे तक (अर्पाह 03.00 बजे के बाद 5 मिनट प्रत्येक

की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है) बोलीदाताओं को अपनी बोली देने और ई—नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी

बिक्री हेत् नियम तथा शर्तों के लिए वेबसाइट https://bankeauctions.in देखने **तथा / अथवा सी एच बैंक के सहायक महा प्रबंधक, श्री अनिल**

उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री निम्नलिखितानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक

सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष वं

सीडी 3: श्रीमती शकुन शर्मा पत्नी श्री शिव कुमार शर्मा, निवासी : फ्लैट नं. 83—बी, पॉकेट—के, शेख सराय, फेज— । 1, नई दिल्ली —110017

और जहाँ पर अधोहस्ताक्षर ने इस प्रमाणपत्र से संतृष्ट हो कर निम्नलिखितानुसार अनुसूची में संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ने कहा कि यह घटना यहां से 170 किलोमीटर दूर गढ़चिरौली के पुरासलगौंधी गांव में रविवार की रात हुई। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच के मुताबिक

स्वीडन के शाही जोड़े ने की मोदी से मुलाकात

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

स्वीडन के राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ व रानी सिल्विया ने सोमवार

को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोमवार सुबह पांच दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे शाही जोडे का यहां राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया गया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने राजा गुस्ताफ और रानी सिल्विया की प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ और रानी सिल्विया का नई दिल्ली स्थित 'हैदराबाद हाउस' में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के लिए स्वागत किया।' विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राजा

> गुस्ताफ और रानी सिल्विया से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबृत बनाने के तरीकों पर चर्चा की।

राजा गुस्ताफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिले। अपनी भारत यात्रा में शाही दंपति मुंबई और उत्तराखंड भी जाएगा। वे सोमवार को जामा मस्जिद, लाल किला और गांधी स्मृति भवन भी गए। राजा गुस्ताफ की यह तीसरी भारत यात्रा है। राजा अपने देश के कारोबारियों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

अधिकारियों ने कहा, 'द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।' भारत और स्वीडन के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच 2018 में द्विपक्षीय व्यापार 3.37 अरब डॉलर का था।

को 'शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज'

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

अंग्रेजी के लेखक टोनी जोसेफ को 2018 में आई उनकी किताब 'अर्ली इंडियंस : द स्टोरी आफ आर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्राम 'के लिए 12वां 'शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज' दिया जाएगा। शक्ति भट्ट फाउंडेशन ने सोमवार को इसकी घोषणा की।

कार्पोरेशन बैंक

1 मैसर्स वुडलैंड फर्नीचर प्रोप. सनवर अली चिकलाना रोड प्रेम नगर महिंद्रा ट्रैक्टर के पास सहारनपुर

उत्तर प्रदेश -247001

उपरोक्त **सहारनपुर शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वितीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण

एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (हिमांड नोटिस) दिनांकित 06.07.2019** जारी किये गरे ह तथा जो आपके ऑतम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं. जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये वे रगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है र्वेक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को **दिनांक 31.12.2018** को एन.पी.ए. के रूप गं वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निष्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

ईएमजी भूमि और डबल स्टोरिड मिक्स कमर्शियल कम रिहायशी भवन की ग्राउंड फ्लीर और प्रथम फ्लीर संपत्ति असर खसरा नं 607 (एम) क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज या 139.35 वर्गमीटर । संपत्ति श्री सँवर अली पुत्र श्री मीहम्मद हनीफ के नाम। सीमयें:-पूर्वः त्रिलोक चंद की संपत्ति नंबर 4, पश्चिमः विक्रेता 🏻 की संपत्ति नंबर 4, उत्तरः संपत्ति नंबर 6, दक्षिणः हलालपुर रोड

S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
	CLUTL-150005 (560656001765571)	Rs. 9,90,000/-	Rs. 7,30,400.00
	GRAND TOTAL	Rs. 9,90,000/-	Rs. 7,30,400.00

व्रतएव, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1 तथा गारंटर के रूप में आप सं. 2 को उपरोक्त सूचना के अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिक दरों पर मिश्रित **13.65 प्रतिशत प्रति वर्ष** (मूल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सूचना के लागत के साथ **रूपये 7,30,400.00** उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे।

अधिनियम की थारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगें।

दिनांक : 02.12.2019

्राच्या कापारशन बक मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

स्रणकर्ताः-. मैसर्स सिंघल ट्रेडर्स प्रो. श्री सुदर्शन सिंघल पताः मीह सरोगियन सदर बाजार पुराना बस स्टैंड, तेह. नाकुर जिला सहारनपुर-247342

 श्री यशपाल सिंघल पुत्र काली राम पताः मौह. चौयरियान, तेह. नाकुर जिला सहारनपुर 247342 श्री प्रवीण सिंघल पुत्र काली राम पताः मीहः चौषरियान, तेहः नाकुर जिला सहारनपुर 247342

श्री शिव कुमार पुत्र काली राम पताः मौहः चौथरियान, तेहः नाकुर जिला सहारनपुर 247342

प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 14.11.2019** जारी किये गये : तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये के मुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है। र्वेक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.09.2019** को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है। एक दुकान दक्षिणी क्षेत्रफल लंबाई उत्तर से दक्षिण 25 फीट और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 20 फीट कुल

क्षेत्रफल 55-56 वर्गगज यानी, 46-67 वर्गमीटर स्थित मीहल्ला सरोगियन, पुराना बस स्टैंड, नाकुर टाउन परगना और तहसील नाकुर जिला– सहारनपुर। संपत्ति श्री यश पाल, प्रवेश कुमार और श्री शिव कुमार के नाम । सीमायें:- पुर्वः श्री प्रदीप कुमार की दुकान, पश्चिमः श्री प्रदीप कुमार की दुकान, उत्तरः श्री नरेश चंद जैन के कानुनी वारिसों की संपत्ति, दक्षिणः सडक पुख्ता । Limit Sanctioned Outstanding Balance S.No. Nature of Limit

		and the second sections	- miniming - minimi
	560371000487035	Rs. 10,00,000/-	Rs. 10,31,208.35
-	GRAND TOTAL	Rs. 10,00,000/-	Rs. 10,31,208.35
		तथा गारंटर के रूप में आप सं. 2,	

ानुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिक दरी पर मिश्चित **12.15 प्रतिशत प्रति वर्ष** (मूल स्वीकृति के अनुसार मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सूचना के लागत के साथ **रूपये 10,31,208.35** उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अधिनियम की थारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप इस्तांतरण नहीं करेंगे।

नर्ड दिल्ली

डीआरटी-।, दिल्ली

उपरोक्त **नकुर शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं

अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे।

देनांक : 02.12.2019 स्थान- नकर

हस्ता/- (जितेन्द्र कुमार), वसूली अधिकारी-।।

मृतक- मासो पुनगति (55) और ऋषि मेश्राम (52) गढ़चिरौली के सुरजगढ़ खान में काम करते थे।

Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd. (ISO 90001 : 2008 Certified Company) Visheshwaraiya Bhawan, Gomtinagar, Lucknow.

Notice no- 506/APM/HCU-2/ABMU/RNN/19 NOTICE FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) For and on behalf of Managing Director, U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd., Project Manager, High Court Unit-2, Lucknow invites online offers in two bids system from eligible Architectural firms for Providing Architectural Consultancy services for construction of 'Atal Bihari Bajpayee Medical University, Lucknow". Interested eligible Architectural firms may furnish their EOI online, on or before 21-12-2019 by 02:00 PM, other details are available on web portal https://etender.up.nic.in. For any changes/corrigendum

please follow UPRNN website www.uprnn.co.in & https://etender.up.nic.in regularly. **Project Manager** इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

www.ircon.org, CIN-L45203DL1976GOI008171 ई-प्रोक्योरमेंट सचना ई-निविदा सं. : IRCON/CIVIL/5019/NELS.BNDM/e-TENDER/OT/35 क्षिण पूर्व रेलवे की ओर से '**'राउरकेला (उडीसा), दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) में नया विद्यु**र लोको शेंड स्थापित करने के सम्बन्ध में ठेकेदार की अपनी पी-वे सामग्री (रेलों के अतिरिक्त) वे साथ सभी अन्य सम्बन्धित कार्यों सहित फ्लोरिंग, एम्बेडिड ट्रैक, लिफ्टिंग वे शेड के इंस्पैक्शन पिट **का डिजाईन व निर्माण**'' के कार्य हेत् पात्रता आवश्यकताएँ पूरी करने वाले निविदाकारों से ई-निविद

आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत ₹ 13,85,74,858/-**ई-बोली जमा करने की अंतिम तिथि व समय** 23.12.2019 को 15.00 बजे तक

अधिक जानकारी एवं अपडेट हेतु कृपया वेबसाइट https://etenders.gov.in/eprocure/app देखें संशोधन/शुद्धि पत्र, यदि होगा तो, केवल वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। पालिका भवन, सैक्टर-XIII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत

कार्पोरेशन बैंक मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

, नंदलाल पुर, हाथरस रोड, आगरा

GRAND TOTAL

 श्रीमती गुंजन शर्मा पत्नी राजेश शर्मा, शिवानी रेजीडेंसी, फेंस I, नंदलाल पुर, हाथरस रोड, आगरा (प्रोप.) प्रिय महोदय/महोदया, उपरोक्त **आगरा संजय पैलेस शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पून

।. मैसर्स गुंजन ट्रेडर्स प्रोप. श्रीमती गुंजन शर्मा पत्नी राजेश शर्मा, शिवानी रेजीडेंसी, फेस

निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साध पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 21.11.2019 जारी बकाये के भगतान का निर्वेश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किय जा रहा है। बैंक द्वारा आफ्को प्राप्त साख सुविधाओं ∕ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.06.2019** को एन.पी.ए. बे रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिषति हित का निर्माण किया है। ईएमजी संपत्ति श्रीमती गुंजन शर्मा पत्नी श्री राजेश शर्मा के नाम, स्थित प्लॉट नंबर 11,12, खसरा नंबर 1092

क्षेत्रफल 66.88 वर्ग मीटर यानी 80 वर्ग गज, सीमायैः-उत्तरः अन्यं का प्लॉट, दक्षिणः प्लॉट नं 36ए, पूर्व : प्लॉट नंबर 10, पश्चिमः रास्ता 20" चौड़ी सड़क। S.No. Nature of Limit Limit Sanctioned Outstanding Balance CLUCC-Rs. 8,00,000.00 Rs 8,62,921.00 560371071199857

भतएव, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1 व 2 को उपरोक्त सूचना के अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिव

Rs. 8,00,000.00

का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे। अधिनियम की थारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सुचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त

प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप इस्तांतरण नहीं करेंगे। देनांक : 02.12.2019 स्थान- आगरा संजय पैलेस

इरों पर मिश्रित **12.75 प्रतिशत प्रति वर्ष** (मूल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंब के सचना के लागत के साथ **रूपये 8.62.921.00** उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भगता करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुन निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकार

Rs 8,62,921.00

आगरा

संजय पैलेस

सहारनपुर मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

02. रिशु ब्रोवर पुत्र श्री गुलशन ब्रोवर मीहल्ला रामचंदपुरी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश -247001

श्री संजीव कुमार पुत्र मोहन लाल पताः मौह सरोगियन जैन चौक, पो. तेह. नाकुर जिला सहारन्पुर

प्राधिकृत अधिकारी

1098, 1099 और 1100 का भाग स्थित नंदलाल पुर, मौजा नराइच, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा प्लॉट का

सहारनपुर

न्यायिक जांच रिपोर्ट लीक होने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा

रायपुर, २ दिसंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन करने का सोमवार को आरोप लगाया और इस विषय पर चर्चा कराने की मांग की। भाजपा सदस्यों का आरोप है कि 2012 में दक्षिण बस्तर में एक कथित मुठभेड़ की जांच करने वाले न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को लीक किया गया था। इस घटना में 17 लोग मारे गए थे।

विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2012 में 28-29 जून की रात को सारकेगुड़ा (बीजापुर जिले) और सिलगेर और चिमलिपेंटा गांव (पड़ोसी सूकमा जिले) के बीच हुई मुठभेड़ की न्यायिक जांच की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के पेश होने के तुरंत बाद, भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि यह रिपोर्ट मीडिया में

उन्होंने कहा, 'सदन के सत्र में होने के दौरान इस तरह की अहम रिपोर्ट कैसे लीक हो

में सूचित किया जाना चाहिए था और इसे सदन में पेश किया जाना चाहिए था। इसके बजाय हमें अखबारों से पता चल रहा है।' मुख्यमंत्री पर सदन की अनदेखी का आरोप लगाते हुए का हनन और विधानसभा की अवमानना है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बघेल और जीएडी के सचिव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। इस विषय पर चर्चा कराई जानी चाहिए

इस मुद्दे पर उनका समर्थन करते हुए, विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में अन्य भाजपा विधायकों ने भी विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर चर्चा की मांग की। इस बीच, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर चर्चा की मांग की जिसमें कहा गया कि सरक्षा बलों ने ग्रामीणों पर एकतरफा गोलीबारी की थी। जब आसंदी पर आसीन कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कार्यसूची के कार्यों को बढाने की कोशिश की तब भाजपा विधायक चर्चा की मांग करते हुए विरोध करने लगे और

सकती है। सदन के सदस्यों को रिपोर्ट के बारे सरकार विरोधी नारे लगाए। शर्मा ने कहा कि यह मामला अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन है लेकिन विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। हंगामे के कारण पांच मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही फिर सिंह ने कहा कि यह सदस्यों के विशेषाधिकार से शुरू होने पर शर्मा ने कहा कि मामला विचाराधीन है।

> सारकेगुड़ा मुठभेड़ मामले की जांच कर रहे न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट रविवार को सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी। मामले की जांच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी के अग्रवाल की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग ने की। गौरतलब है 28 जून, 2012 की रात में सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के दल ने बीजापुर जिले के बसागुड़ा थाना क्षेत्र के सारकेगुड़ा में सात नाबालिगों सहित 17 लोगों को मार गिराया था।

> सुरक्षा बलों ने तब दावा किया था कि माओवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना के आधार पर उन्होंने माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई की थी जिसमें नक्सलियों ने भी गोलीबारी की थी।



मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

श्री मसूद हसन खान पुत्र श्री महबूब हसन खान 354 ए गदियाना शाहबाज नगर रोड, शाहजहाँपुर यूपी

2. श्रीमती रेशमा खान पत्नी श्री माजूद इसन खान, 354 गदियाना शाहबाज नगर रोड, शाहजहाँपुर यूपी

प्रिय महोदय/महोदया. उपरोक्त शाहजडाँपुर शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण वं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते ह नुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 19.10.2019** जारी किये गये है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये के भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है वैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.09.2019** को एन.पी.ए. के रूप मे वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति डित का निर्माण किया है।

ईएमजी आवासीय संपत्ति टी. पी. नं. 7 - 95.41 वर्ग. मीटर स्थित ग्राम लीघीपुर (खान कॉलोनी), सदर ॥हजहाँपुर । संपत्ति श्री मसुद हसन खान पत्र श्री महबुब हसन खान के नाम पर । सीमायें:- पुर्व: अराजी मोबीन खान का प्लॉट, पश्चिमः रास्ता बौड़ा 14 फीट खडंजा, उत्तरः अराजी नासिर खान, दक्षिणः अराजी मुन्ने खान

	87 / ASM (1)			
S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balan	
1.	CHOME - 560631000559777	Rs. 12,25,000.00	Rs. 9,05,369,47	
2.	CGSHB - 560621000070281	Rs. 2,00,000.00	Rs. 1,97,855.00	
	GRAND TOTAL	Rs. 14,25,000/-	Rs. 11,03,224.47	

दरों पर मिश्रित 10.85 प्रतिशत प्रति वर्ष व 11.45 प्रतिशत प्रति वर्ष क्रमशः (मूल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सुचना के लागत के साथ **रूपये 11,03,224.47** उपरोक्त राशि का इस काशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) वे अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे।

अतएव, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1 व 2 को उपरोक्त सुधना के अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिक

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सुचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोत्त प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे। दिनांक : 02.12.2019 प्रायिकृत अधिकारी स्थान- शाहजहाँपुर

कार्पोरेशन बैंक

मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

01 मैसर्स मोबाइल वर्ल्ड प्रो0 श्रीमती उषा देवी ,प्रताप मार्केट, विजया बैंक के तहत, व्यापार केंद्र, घण्टा घर श्रीमती उषा रानी पत्नी श्री विनोद कुमार, निवासी गली नंबर 6, सम्राट विक्रम कॉलोनी सहारनपुर

-247001 प्रिय महोदय/महोदया

उपरोक्त **सहारनपुर शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभृति डित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति डित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हु मनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 19.10.2019** जारी किये ग ं तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये हैं, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये वं रुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं /ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.09.2019** को एन.पी.ए. के रूप वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम् परिसम्पत्तियों में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है।

अचल संपत्तिः एक प्लॉट और भूमि का क्षेत्रफल 88 वर्ग गज या 73.57 वर्ग मीटर, सभी अधिकार संबंधित स्थित धारा कोत ताला और अदंरुण पी.टी. और जिला सहारनपुर दर अबादी सम्राट विक्रम कॉलोनी पहारनपुर, संपत्ति श्रीमती उषा रानी के नाम। सीमायें:-पुर्व: रास्ता 15 फीट चौड़ा ,पश्चिम: दूसरे व्यक्ति वे खामित्व वाला मकान, उत्तर: दुसरे व्यक्ति के स्वामित्व वाला मकान, दक्षिण: दुसरे व्यक्ति के स्वामित्व वाला

मकान	कार				
S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance		
-	CLUCC- 560371000451669	Rs. 7,50,000/-	Rs. 7,84,346.48		
1 1	GRAND TOTAL	Pe 7 50 000/-	De 7 84 346 48		

अतएव, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1 व 2 को उपरोक्त सुचना के अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिव दरों पर मिश्रित 12.05 प्रतिशत प्रति वर्ष (मूल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के व्याज तथा बैंक के सूचना के लागत के साथ **रूपये 7,84,346.48** उपरोक्त रात्रि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगता करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभृति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुन नर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारी

का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे। अधिनियम की चारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सुचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त

विभृत परिसम्पतियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे। दिनांक : 02.12.2019

प्राचिकृत अधिकारी स्थान- सहारनपुर

राजस्थान में बच्ची से

पहले ही लीक हो चुकी है।

आरोपी गिरफ्तार जयपुर, २ दिसंबर

बलात्कार का

सिद्ध ने कहा, 'उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है।' यह बच्ची शनिवार को स्कूल के खेल समारोह में हिस्सा लेने गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। यह कार्यक्रम अपरान्ह तीन बजे समाप्त हो गया था। परिजनों ने तलाश शुरू की तो उसका शव रविवार को खेडली गांव के पास मिला।

इण्डियन ओवरसीज़ बेंक 🚲 Indian Overseas Bank

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना (नियम 8 (6) के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के प्राविधान के अंतर्गत)

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्ति का पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, सपठित नियम 8(6)के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के प्राविधानों के आधार पर अधिनियम, 2002 के अर्न्तगत बैंक बंधक अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी यह सूचना आम तौर पर जनता के लिए और विशेष रूप से ऋणी (ओ), व निर्देशकों को दी जाती है, कि निम्न वर्णित अचल सम्पत्ति सुरक्षित लेनदार के पास बंधक / भारित है, प्राधिकत अधिकारी इण्डियन ओवरसीज बैंक (सुरक्षित लेनदार) द्वारा सम्पत्ति का रचनात्मक / भौतिक कब्जा लिया जा चुका है, के द्वारा "जहाँ है जैसा है" ,"जैसा है जो

क्र. सं. ऋणी/बंधककर्ता/जमानती का नाम व पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस तिथि कब्जे की तिथि बकाया राशि	आरक्षित मूल्य ईएमडी बिड गुणक मूल्य	ई—नीलामी की तिथि व समय	खाते का नाम व बिड जमा करने के लिए खाता संख्या एवं एफएससी कोड	निरीक्षण करने की तिथि व समय एवं संम्पर्क फोन नं0 का विवरण
ऋणी/बंधककर्ताः श्री राकेश सेन पुत्र ज्ञानेन्द्र सेन, निवासीः मोतीपुर वार्ड नं0 2, दिनेशपुर, रूद्रपुर, उथम सिंह नगर-263160	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड आवासीय सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 396 मिन, क्षेत्रफल 24"x37"768 वर्ग फीट अथवा 71.37 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री राकेश सेन, खेड़ा तहसील गदरपुर, परगना गदरपुर जिला उधम सिंह नगर, सीमायें:-उत्तरः मनोरंजन मंडल की भूमि, दक्षिणः विकेता की भूमि, पूर्वः विकेता की भूमि, पश्चिमः रास्ता	कब्जे की तिथि 08.09.2017 बकाया राशि रू0 6,32,098/- + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चे	₹0 4,63,930/- ₹0 47,000/- ₹0 10,000/-	18.12.2019 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 159102000009999 IFSC Code: IOBA0001591 IOB Bid Account रुद्रपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05944—247626, मो. नं. 9027338225 पर प्रातः 10:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
ऋणी ∕ बंधककर्ताः श्री नथ्यूलाल पुत्र श्री राम स्वरूप, निवासीः गली नं0 6, वार्ड नं0 15, इन्दिरा कॉलोनी, तहसील-रूद्रपुर जिला उधमिसंह नगर	वंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड संपत्ति खसरा नं0 6/1min, माप क्षेत्रफल 13×24.5 फीट यानि 29.60 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम-विगवाड़ा परगना-रूद्रपुर तहसील -रूद्रपुर, जिला-उधमसिंह नगर (उत्तराखंड) संपत्ति स्वामी श्री नथ्थू लाल पुत्र श्री रास्वरूप, सीमार्थे:-उत्तरः प्लाट नं0 D2, दक्षिणः गंगापुर का 9.09 मीटर चौड़ा रोड, वूर्वः स्वामी का शेष भाग, पश्चिमः पुरानी गत्ता फैक्टरी	कब्जे की तिथि 24.10.2018 बकाया राशि	₹0 7,54,800/- ₹0 75,500 ₹0 10,000/-	18.12.2019 - प्रातः 11:00 बजे से दोपहर - 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या 159102000009999 IFSC Code IOBA0001591 IOB Bid Account रूद्रपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05944—247626, मो. नं. 9027338225 पर प्रातः 10:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
ऋणीः श्री विनित पुत्र राजेश निवासी मीहल्ला काजी वाग, वार्ड नं0 15, व काशीपुर, उधमसिंह नगर-244713 <u>गारन्टरः</u> श्री ओमकार सिंह पुत्र श्री जय राम सिंह, निवासीः मकान नं0 15, खारकपुर देवीपुरा, काशीपुर जिला उधमसिंह	बंधक आवासीय सम्पत्ति खसरा नं0 274/2 मिन, खाता नं0 1030, स्थित खडकपुर, देवी पुरा काशीपुर, उधमसिंह नगर, जिसका बही नं0 1, जिल्द नं0 4933, पेज नं0 1 से 14, क्रमांक संख्या 307, उप-निबन्धक काशीपुर पर दर्ज है, कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट। सम्पत्ति स्वामी श्री विनित पुत्र राजेश। सीमायें:-उत्तरः संजीव सक्सेना की सम्पत्ति, दक्षिणः रूप किशोर का मकान, पूर्वः रोड 20 फीट चीड़ा, पश्चिमः श्रीमती माया देवी की सम्पत्ति	बकाया राशि	₹0 12,75,000/- ₹0 1,28,000/- ₹0 10,000/-	18.12.2019 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा		किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05947—272219, मो. नं. 9654389470 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
4. शाखाः काशीपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड ऋणीः श्री बलजिंदर सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह एवं श्रीमती अमन दीप कौर पत्नी श्री बलजिंदर सिंह, फ्लैट नं0 302, तृतीय मंजिल रिखि ब्लॉक, गणपित अपार्टमेंट, खसरा नं0 112Min ग्राम गिन्नीखेड़ा, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर गारन्टरः श्री अमनदीप सिंह पुत्र श्री काश्मीर सिंह, निवासीः श्री फ्लैट नं0 402, ब्लॉक-A, गणपित अपार्टमेंट, खसरा नं0 112Min, ग्राम खुगन्नीखेड़ा, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर		कब्जे की तिथि 28.10.2018 बकाया राशि रू0 18,73,880.96 + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चे	₹0 19,63,500/- ₹0 1,97,000/- ₹0 10,000/-	18.12.2019 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा		किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05947—272219, मो. नं. 9654389470 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
ऋणीः श्री हरेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिव कुमार, निवासी होटल गौतमी हाइट्स के पिछे, खारकपुरा देवीपुरा, काशीपुर, उधमसिंह नगर (उत्तराखंड)-244713,	बंधक सम्पत्ति खसरा नं0 274/1 मिन, स्थित खड़कपुर देवीपुरा होटल गीतमी हाइट्स के गीछे, काशीपुर, उथमसिंह नगर, बही नं0 1, जिल्द नं0 5167, पेज 245 से 258, क्रमांक संख्या 5167 उप-निबन्धक काशीपुर पर दर्ज है, कुल क्षेत्रफल 623 वर्ग फीट। सम्पत्ति त्वामी हरेन्द्र कुमार। सीमायें:-उल्तरः रोड 25 फीट चौड़ा, दक्षिणः लखीर सिंह का मकान, पूर्वः विक्रेता का मकान, पश्चिमः 23 फीट चौड़ा रोड	कब्जे की तिथि 28.10.2018	₹0 9,71,890/- ₹0 98,000/- ₹0 10,000/-	18.12.2019 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 221702000002217 IFSC Code: IOBA0002217 IOB Bid Account काशीपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05947—272219, मो. नं. 9654389470 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
ऋणी/बंधककर्ताः शिखा अग्रवाल पत्नी श्री मुकेश कुमार मकान नं0 एस 5,	बंधक आवासीय सम्पत्ति विक्रेय विलेख संख्या 717, दिनांक 17.02.2014, खसरा नं0 135, ग्राम हरियाबाला, तहसील जसपुर, उधमसिंह नगर सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती शिखा अग्रवाल पत्नी श्री मुकेश अग्रवाल। सीमायें:-उत्तरः अजय कुमार की सम्पत्ति, दक्षिणः अजय कुमार की सम्पत्ति, पूर्वः कच्चा रास्ता 30 फीट बौड़ा, पश्चिमः अजय कुमार की सम्पत्ति	कब्जे की तिथि 27.05.2017	₹0 26,67,725/- ₹0 2,67,000/- ₹0 10,000/-	18.12.2019 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 221702000002217 IFSC Code: IOBA0002217 IOB Bid Account काशीपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05947—272219, मो. नं. 9654389470 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक परामर्श कर सकते है।
ऋणीः 1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासीः ग्राम व पोस्ट-लाखनपुर त बाजपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-262401, 2. कानूनी वारिस स्व0 श्रीमती गीता एत्नी सुरेश कुमार, निवासीः ग्राम व पोस्ट-लाखनपुर बाजपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-262401 गारन्टर्सः 1. श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री सर्वजीत शर्मा, निवासीः मकान नं0 130, मुंडिया पिस्तीर वार्ड नं0 05, बाजपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-262401, 2. श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री सर्वजीत शर्मा, 25, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड नं0 4, बाजपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-262401		कब्जे की तिथि 12.09.2019 बकाया राशि रू0 12,66,812/- + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चे	₹0 17,05,355/- ₹0 1,71,000/- ₹0 10,000/-	18.12.2019 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 350402000002000 IFSC Code: IOBA0003504 IOB Bid Account बाजपुर	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05949—282280, मो. नं. 8948401888 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
8. शाखाः कोटद्वार (2543) ऋणीः श्री संदीप कुमार पुत्र हेतरात, काशीरामपुर, पट्टी सुखेरो नजीवाबाद रोड, कोटद्वार पूरी गढ़वाल-246149 गार-टरः श्री संजीव कुमार पुत्र श्री मुकंदी सिंह,	बंधक आवासीय सम्पत्ति खाता नं0 142, 143 एवं 144 खाता खतौनी नं0 135 प्राम- काशीरामपुर, पट्टी सुखेरो, तहसील कोटद्वार, जिला- पुरीगढ़वाल उप-निबन्धक कोटद्वार बही नं0 1 जिल्ड नं0 269 पेज नं0 131 से 138 दस्तावेज नं0 1124 देनांक 29.03.2011 पर पंजीकृत है। कुल क्षेत्रफल 688 वर्ग फीट, सम्पत्ति स्वामिः श्री संदीप कुमार पुत्र हेतराम	मांग नोटिस तिथि 07.10.2017 कब्जे की तिथि 16.01.2018 बकाया राशि रू0 11,39,741.33/- + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चे	₹0 8,00,000/- ₹0 80,000/- ₹0 10,000/-	18.12.2019 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 254302000002000 IFSC Code: IOBA0002543 IOB Bid Account कोटद्वार शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 01382—229916/229912 मो. नं. 8859472457 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।

जानकारी अगर कोई हो तो, बैंक की जानकारी के अनुसार कोई भार नहीं, बकाया देय राशि समावेश नहीं, लोकल निजि सरकारी (सम्पत्ति कर, जल सीवरेज, बिजली का बिल इत्यादी) ज्ञात नहीं

बोली के लिए ईएमडी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि: 18.12.2019 से

बोली के लिए ईएमडी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथिः 18.12.2019, सायं 5.00 बजे तक (कार्यदिवस के समय तक) प्रत्याशित बोलीदाता सम्पत्ति के निरीक्षण / ई-नीलामी, से संबन्धित जानकारी के लिए कंक्संठ १ से 2 के लिए:-शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक, रूद्रपुर-263153, फोन नं0: 05944-247626, 9027338225 एवं कंठसंठ 3 से 6 के लिए:-काशीपुर शाखा, चामुंडा कॉम्प्लेक्स, रामनगर रोड, एवं काशीपुर उधमसिंह नगर, उत्तराखंड, पिन-244713 , फोन नं0: 9654389470 तथा एवं किए:- शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बाजपुर शाखा, पता: इंडियन ओवरसीज बैंक, बाजपुर, चकरपुर चौराहा रामपुर रोड, बाजपुर जिला—उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड—248115 सम्पर्क नं0 05949-282280, 8948401888 एवं किए:— शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कोटद्वार, पुरी गढ़वाल उत्तराखण्ड पिन—246149, सम्पर्क नं0 01382-229912/ 229916, 8859472457 पर कार्यदिवस के दौरान कार्यालय पर अथवा बैंक द्वारा सर्विस प्रदाता magic brick सर्विस लिमिटेड— हेल्प लाइन नं0 9212346000 मोहित शर्मा मो0: 9837778407, ई—मेल: auction@magicbricks.com एवं mohit.sharma@magicbricks.com पर सम्पर्क करें।

विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट (वेब पोर्टल) www.magicbricks.com पर देखें स्थान-देहरादून

दिनांकः 02.12.2019

प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक



स्थान : नई दिल्ली

www.readwhere.com

इपिडयन ओवरसीज

असेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा, रचना बिल्डिंग, चतुर्थ तल, 2, राजेंद्र प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली -110008, फोन नंबर : 011-25758124, ईमेल आईडी : iob1997@iob.in

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8(6) के परंतुक के तहत]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के परन्तुक 8 (6) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना। एतदद्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदारों और गारंटरों को सचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, नीचे उल्लिखित विवरण को "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है", "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएंगी।


क्र. स.	कर्जदारों का नाम	इण्डियन ओवरसीज	अचल संपत्ति का विवरण	कब्ज़ा	सुरक्षित मूल्य	नीलामी की तिथि	संपर्क व्यक्ति
	गारंटरों का नाम बैंक को देय रा		ज्ञात ऋणभार यदि कोई हो	का प्रकार	बोली वृद्धि राशि	ईएमडी जमा करने हेत् अंतिम तिथि	तु और मोबाइल नं.
1.	श्री आबिद अली	26.03.2019 को	फ्लैंट न. 5, भूतल ,प्लॉट नं.16, विक्रम एन्क्लेव, निकट पसौंडा, लोनी, गाजियाबाद, क्षेत्रफल 450.00 वर्ग फुट	सांकेतिक	₹ 9,09,000.00/-	18,12,2019	श्री अनिल कुमार भारद्वाज मो नं. : 9871240645
	श्री शहजाद पुत्र नवाब खान	रु 9,50,569.00 आगे की ब्याज और लागत के साथ			₹ 90,900.00/-	17.12.2019	
	श्री प्रमोद सिंह और श्रीमती मौसम कुमारी (कर्ज़दार / बन्धककर्ता) निवासी फ्लैट नंबर 111, प्रथम तल, सूर्या होम्स, गली नंबर 2, ए स्क्वायर	f) 04.02.2019 को र 20.11,500/− आगे की ब्याज और लागत के साथ	बैंक ऋण द्वारा खरीदा गया आवासीय फ्लैट जो प्रथम तल, प्राइवेट फ्लैट नंबर 111, गली नंबर 2, सूर्या होम्स, खता नं. 23, और खसरा नं 87 और 88, ग्राम सरफाबाद, सेक्टर –73 नॉएडा के पास, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर, (यू.पी.) में स्थित प्रमोद सिंह के स्वामित्व में	सांकेतिक	₹ 18,00,000/-	18.12.2019	श्री गौरव त्रिपाठी फोन नंबरः 011—22919080
	निवासी फ्लैट नंबर 111, प्रथम तल, सूर्या होम्स, गली नंबर 2, ए स्क्वायर काम्प्लेक्स के पास, नोएडा — 201301				₹ 1,80,000/-	17.12.2019	
	उपलब्ध नहीं		ज्ञात नहीं				
	श्री सुमित कुमार और सीमा निवासी : फ्लैट नं एसएफ — 4, द्वितीय तल,	ल. 07.09.2019 को	फ्रीहोल्ड आवासीय एलआईजी फ्लैट नंबर एसएफ —4, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 56, खसरा नंबर 67, आकाशवाणी कॉलोनी, ग्राम सैदुल्लाबाद, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, यू.पी	सांकेतिक	₹ 9,25,000/-	18.12.2019	श्री गौरव त्रिपाठी फोन नंबरः 011—22919080
	लॉट नंबर 56, खसरा नंबर 67, आकाशवाणी कॉलोनी (आकाश विहार), 🔻 🤊 9,48	₹ 9,48,089/-			₹ 92,500/-	17.12,2019	
	गाँव – सादुल्लाबाद, परगना, लोनी, जिलाः गाजियाबाद (यू.पी.)	आगे की ब्याज	ज्ञात नहीं				
	उपलब्ध नहीं	और लागत के साथ	900000 000 0000 0000 0000 000 000 0000 0000				
	मैसर्स ए.के.एस. पॉलिकैम प्रा लि, पंजीकृत कार्यालय : जे -7 / 56,		प्लॉट नंबर 291, ब्लॉक V. त्तारपुर गांव, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली —110027 में श्रीमती उषा सचदेवा, श्री	सांकेतिक	रु 515.10 लाख (एफएसवी + 1 प्रतिशत टीडीएस)	20.12.2019	श्री रंजीथ कुमार : 7845752213
	शॉप नंबर 2, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली —110027	रु 2,81,24,853.56/— आगे की ब्याज और लागत के साथ	विक्रम सचदेवा और श्री सोनू सचदेवा के स्वामित्व में (संपत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है)			19.12.2019	
	 श्री विक्रम सचदेवा (डायरेक्टर एवं बन्धककर्ता) पुत्र श्री अशोक सचदेवा 						
	 श्री सोनू सचदेवा (डायरेक्टर एवं बन्धककर्ता) पुत्र श्री अशोक सचदेवा श्रीमती उषा सचदेवा (गारंटर एवं बन्धककर्ता) पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार श्री अमित सचदेवा (गारंटर) सभी पता : प्लॉट नं 291, ब्लॉक V, राजौरी गार्डन, दिल्ली—110027 		उपरोक्त सम्पत्ति बँक द्वारा एसोशिएट फर्म मैसर्स एकेएस एंटरप्राइजेज, पार्टनरिशप फर्म, जिसके पार्टनर्स श्री विक्रम सचदेवा, श्री सोनू सचदेवा, श्रीमती उषा सचदेवा तथा श्री अमित सचदेवा हैं, को उपलब्ध कराई गई क्रेडिट सुविधा हेतु प्रतिभूति के लिए भी उपलब्ध है। मैसर्स एकेएस एंटरप्राइजेज को उपलब्ध कराई गई क्रेडिट सुविधा की वर्तमान बकाया राशि दिनांक 31—10—2019 तक रू 2,62,14,967.10 + आगे ब्याज और लागत है। यह खाता 31—10—2019 को एनपीए की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा चुका है।		रु 51.51 लाख		

• जहां कहीं लागू है, सुरक्षित मूल्य में आईटी ऐक्ट की घारा 194(आईए) के तहत 1 प्रतिशत कर शामिल है।

• बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट नामतः www.iob.in [https://www.iob.in/TenderDetails.aspx?Tendertype=E Auction], https://auctions.magicbricks.com देखें। • यह सूचना उक्त ऋण के कर्जदार/रों तथा गारंटर/रों को प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के तहत उपरिवर्णित तिथि को ई-नीलामी के आयोजन के बारे में एक 15 दिनों नोटिस भी माना जाए।

दिनांक : 03.12.2019

खबर कोना



मैड्रिड : ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ निर्णायक गोल दागने के बाद बार्सीलोना के लियोनल मेस्सी।

आइपीएल नीलामी में 971 खिलाड़ियों की लगेगी बोली

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा) ।

आइपीएल के लिए 19 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली खिलाडियों की नीलामी में 971 क्रिकेटरों पर बोली लगेगी जिनमें 713 भारतीय और 258 विदेशी खिलाडी होंगे। इनमें 215 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 754 घरेलू क्रिकेटर जबिक एसोसिएट देशों के दो क्रिकेटर हैं। आइपीएल खिलाड़ियों के पंजीयन की प्रक्रिया 30 नवंबर को खत्म हो गई। अब फ्रेंचाइजी के पास अपने चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची देने के लिए नौ दिसंबर तक का समय है जो खिलाडियों की अंतिम नीलामी में जाएंगे। पंजीकृत खिलाड़ियों में 19 भारत के अंतरराष्ट्रीय, 634 घरेलू और 60 ऐसे घरेलू क्रिकेटर हैं जो कम से कम एक आइपीएल मैच खेल चुके हैं। वहीं 196 अंतरराष्ट्रीय विदेशी खिलाडी और 60 ऐसे विदेशी खिलाडी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। इनमें भी दो एसोसिएट देशों के खिलाडी हैं। अफगानिस्तान (19), आस्ट्रेलिया (55), बांग्लादेश (छह), इंग्लैंड (२२), नीदरलैंड (एक), न्यूजीलैंड (२४), दक्षिण अफ्रीका (५४), श्रीलंका (३९), अमेरिका (एक), वेस्ट इंडीज (३४) और जिंबाब्वे (तीन) के खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा होंगे।

मुक्केबाज नीरज डोप टेस्ट में नाकाम रहने पर निलंबित

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा) ।

तोक्यो ओलंपिक २०२० के संभावितों में से एक अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता भारतीय महिला मुक्केबाज नीरज (57 किलो) को डोप टेस्ट में नाकाम रहने के बाद अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। नीरज को प्रदर्शन बेहतर करने वाली दवा लिगांड्रोल और अन्य एनाबालिक

स्टेरायड के सेवन का दोषी पाया गया। नीरज ने बुल्गारिया में इस साल स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट में कांस्य और रूस में एक टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता था। उसने गुवाहाटी में इंडिया ओपन में भी स्वर्ण पदक जीता था। नीरज के नमूने 24 सितंबर को लिए गए जिनकी जांच कतर में लैब में की गई। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजंसी ने कहा, तीन नवंबर को कतर स्थित डोपिंग निरोधक लैब से मिली रिपोर्ट में नीरज को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का दोषी पाया गया। एजंसी ने कहा, नाडा ने डोपिंग निरोधक नियम 2015 के उल्लंघन संबंधी नोटिस उन्हें दे दिया और 13 नवंबर 2019 से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया।

अंडर-१९ विश्व कपः भारतीय टीम की कमान प्रियम गर्ग को

मुंबई, 2 दिसंबर (भाषा) ।

उत्तर प्रदेश के बल्लेबाज प्रियम गर्ग दक्षिण अफ्रीका में अगले साल होने वाले आइसीसी अंडर–19 क्रिकेट विश्व कप में गत चैंपियन भारत की 15 सदस्यीय टीम की अगुआई करेंगे। अखिल भारतीय जुनियर चयन समिति ने रविवार को यहां बैठक कर– के 17 जनवरी से नौ फरवरी तक होने वाले टूर्नामेंट के लिए टीम का चयन किया। दाएं हाथ के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज गर्ग के नाम पर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक और लिस्ट ए में शतक दर्ज है। गर्ग भारत सी टीम का भी हिस्सा थे जो पिछले महीने देवधर ट्रॉफी में उप विजेता रही। उन्होंने फाइनल में भारत बी के खिलाफ 74 रन की पारी खेली। रणजी ट्रॉफी सत्र 2018-19 में गर्ग उत्तर प्रदेश के दूसरे शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने ६७ .८३ के औसत से 814 रन बनाए जिसमें करियर की सर्वश्रेष्ठ 206 रन की पारी सहित दो शतक शामिल रहे।

रूट के दोहरे शतक से इंग्लैंड को बढ़त

दूसरा टैस्ट, चौथा दिन: न्यूजीलैंड की दूसरी पारी लड़खराई

हैमिल्टन, 2 दिसंबर (एपी) ।

कप्तान जो रूट के तीसरे दोहरे शतक की बदौलत इंग्लैंड ने दूसरे क्रिकेट टैस्ट के चौथे दिन 476 रन बनाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी के आधार पर 101 रन की बढ़त हासिल की और मैच जीतकर दो मैचों की शृंखला बराबर करने की उम्मीद जीवंत रखी।

रूट (226) ने ओली पोप (75) के साथ छठे विकेट के लिए 193 रन की साझेदारी की। इंग्लैंड की टीम चौथे दिन चाय से ठीक पहले आउट हो गई। न्यूजीलैंड की ओर से तेज गेंदबाज नील वैनगर ने 124 रन पर पांच विकेट चटकाए। उन्होंने पारी में नौवीं बार पांच या इससे अधिक विकेट हासिल किए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दो विकेट पर 96 रन बनाए। शृंखला जीतने के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अब लंबे समय तक क्रीज पर टिककर इंग्लैंड को जीत से रोकना होगा और इसमें बारिश से उन्हें मदद मिल सकती है क्योंकि मंगलवार को बारिश की भविष्यवाणी की गई है।

न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाजों जीत रावल (00) और टाम लैथम (18) के विकेट 28 रन तक गंवा दिए। रावल पिछली 10 पारियों में छह बार दोहरे अंक में



पहुंचने में नाकाम रहे हैं।

कप्तान केन विलियमसन (37) और रोस टेलर (31) ने हालांकि इसके बाद 68 रन की अट्ट साझेदारी करके दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के गेंदबाजों को और सफलता हासिल नहीं करने दी। न्यूजीलैंड की टीम अब भी पांच रन से पिछड रही है जबिक उसके

आठ विकेट शेष हैं। इससे पहले रूट साढ़े 10 घंटे से अधिक समय पर क्रीज पर रहे। उन्होंने इस दौरान 441 गेंद का सामना करते हुए 22 चौके और एक छक्का मारा। रूट उस समय क्रीज पर उतरे थे जब दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम 24 रन पर दो विकेट गंवाकर संकट में थी। इस पारी से पहले रूट खराब फार्म से जझ

रहे थे और जुलाई से पिछली 14 पारियों में सिर्फ 26.5 के औसत से 321 रन बना पाए थे। उन्होंने अपना पिछला शतक फरवरी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जड़ा था।

पहले वह 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ 254 और 2014 में लार्ड्स में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 200 रन की पारियां खेल चुके हैं। रूट ने केविन पीटरसन के तीन दोहरे शतक की बराबरी की लेकिन वह वाल्टर हैमंड और एलिस्टेयर कुक से पीछे हैं जिन्होंने इंग्लैंड खिलाड़ी चुने गए। उन्होंने 69 किलों वर्ग में के लिए पांच-पांच दोहरे शतक जमाए।

इंग्लैंड ने दिन की शुरुआत पांच विकेट पर 269 रन से की। न्यूजीलैंड के गेंदबाज पहले सत्र में कोई सफलता हासिल नहीं कर पाए। पोप चौथे दिन आउट होने वाले पहले बल्लेबाज रहे। वह वैगनर की बाउंसर को पूल करने की कोशिश में डीप मिडविकेट पर रावल को कैच दे बैठे। रूट भी एक ओवर बाद बायें हाथ के स्पिनर मिशेल सेंटनर (88 रन पर एक विकेट) की गेंद पर डीप कवर में हेनरी निकोल्स को कैच दे बैठे। रूट के आउट होने के बाद वैगनर ने क्रिस वोक्स (00), जोफ्रा आर्चर (08) और स्टूअर्ट ब्रॉड (00) को जल्दी पवेलियन भेजकर इंग्लैंड की पारी का अंत किया।

को किया परास्त जनसत्ता संवाददाता

मैरी कॉम ने सविता

नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने सोमवार को यहां बिग बाउट इंडन बॉक्सिंग लीग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सविता को फलाईवेट वर्ग के तीनों राउंड रूट का यह तीसरा दोहरा शतक है। इससे में पस्त कर एकतरफा जीत दर्ज की। पहला दिन पंजाब पैंथर्स के नाम रहा जिसने ओड़ीशा वॉरियर्स को 5-2 से हराया।

गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राष्ट्रमंडल खेल के पूर्व चैंपियन मनोज कुमार इस मुकाबले के सर्वश्रेष्ठ उज्बेकिस्तान के यूक्रेनियन चैंपियन को एकतरफा मुकाबले में हराया। इसके बाद जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलो वर्ग में सपना शर्मा को और दीपक ने 52 किलो वर्ग में पीएल प्रसाद को शिकस्त देकर ओड़ीशा वॉरियर्स को 2-1 से आगे कर दिया। वहीं अर्जुन पुरस्कार विजेता सोनिया लाथर ने महिलाओं के 60 किलो वर्ग में ओडीशा टीम की प्रियंका चौधरी के खिलाफ पिछड़ने के बाद जीत हासिल की। इसके बाद मैरी कॉम ने सविता को हराकर पंजाब पैथर्स को 3-2 से आगे किया। उज्बेकिस्तानी बॉक्सर खालाकोव ने 57 किलो वर्ग में मोहम्मद इब्राहिम को हराकर पंजाब टीम को 4-2 की निर्णायक बढ़त दिलाई और बाकी का काम मोहित ने नीलकमल सिंह को हराकर पंजाब के लिए कर दिया।

सैग: भारतीय पुरुष, महिला बैडमिंटन टीमों को स्वर्ण

पोखरा, २ दिसंबर (भाषा) ।

भारत की पुरुष और महिला बैडमिंटन टीमों ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों (सैग) में सोमवार को अपने अपने फाइनल में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीते।

पुरुष टीम ने किदाम्बी श्रीकांत की अगुआई प्रतिबंधित किया है। में श्रीलंका को 3-1 से हराया जबकि महिला टीम ने अपने इस प्रतिद्वंद्वी को 3-0 से करारी शिकस्त दी। श्रीकांत ने दिनुका करूणारत्ने को 17-21, 21-15, 21-11 से हराया। सिरील वर्मा ने इसके बाद सचिन डायस को 21-17, 11-5 से पराजित किया।

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)

दिल्ली के क्रिकेटर प्रिंस राम निवास यादव को अंडर-19 ट्रनमिंट में आयु में हेराफेरी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद बीसीसीआइ ने अगले दो सत्र के लिए घरेलू क्रिकेट से

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के साथ पंजीकृत यादव को बीसीसीआइ ने त्रंत प्रभाव से अयोग्य कर दिया है और साथ ही 2020-21 और 2021-22 घरेलू सत्र में उसके भाग लेने पर भी पाबंदी लगा दी है।

डीडीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया.

बीसीसीआइ ने की कार्रवाई प्रिंस यादव की जन्मतिथि 10 जून 1996 थी लेकिन इस क्रिकेटर ने क्रिकेट बोर्ड को जो जन्म प्रमाण पत्र सौंपा था उसमें उसकी जन्मतिथि 12 दिसंबर 2001 दर्ज थी

आयु में हेराफेरी, दिल्ली के प्रिंस दो सत्र के लिए प्रतिबंधित

इसकी पृष्टि हो गई है। हमें बीसीसीआइ से सूचना मिली है कि प्रिंस यादव को आयु में हेराफेरी का दोषी पाया गया है। बीसीसीआइ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर कार्रवाई की जिसमें प्रिंस यादव की जन्मतिथि 10 जून 1996 थी लेकिन इस क्रिकेटर ने क्रिकेट बोर्ड को जो जन्म

प्रमाण पत्र सौंपा था उसमें उसकी जन्मतिथि 12 दिसंबर 2001 दर्ज थी। डीडीसीए को भेजे ईमेल में बीसीसीआइ ने कहा, प्रिंस राम निवास यादव और उनकी असल जन्म तिथि 10 जून 1996 है। (खिलाड़ी पहचान संख्या 12968), जिसे डीडीसीए ने 2018-19 सत्र में अंडर-19 आय वर्ग में पंजीकृत किया और फिर 2019-2020 में पुनः पंजीकरण किया गया। इस क्रिकेटर ने हाल में जो जन्म प्रमाण पत्र सौंपा है उसके अनुसार उसकी जन्मतिथि 12 दिसंबर 2001 है। बीसीसीआइ ने 30 नवंबर को डीडीसीए को भेजे पत्र में कहा, क्रिकेटर के अधिक उम्र का होने से संबंधित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बीसीसीआइ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से

उससे संबंधित जानकारी मांगी और पता चला कि प्रिंस यादव ने 2012 में 10वीं की परीक्षा पास की बीसीसीआइ ने कहा कि आयु वर्ग के टूर्नामेंटों में फायदे उठाने के लिए यादव ने एक से अधिक जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। बोर्ड ने कहा, इसे देखते हुए प्रिंस यादव को तुरंत प्रभाव से अयोग्य किया जाता है और उनके बीसीसीआइ के दो घरेलू सत्र 2020-21 और 2021-22 में बीसीसीआइ के किसी भी टुर्नामेंट में खेलने पर प्रतिबंध होगा। दो साल का प्रतिबंध पूरा होने के बाद उसे सिर्फ सीनियर पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने की स्वीकृति होगी।

EXPRESS

आस्ट्रेलिया ने पाक से जीती 2-0 से शृंखला

दिन-रात्रि टैस्ट के चौथे दिन पारी और

48 रन से हराया

एडीलेड, 2 दिसंबर (एपी) ।

नाथन लियोन के पांच विकेट की बदौलत आस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन-रात्रि क्रिकेट टैस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान को पारी और 48 रन से हराकर दो मैचों की शृंखला में 2-0 से सूपड़ा साफ किया।

फालोआन खेल रही पाकिस्तान की टीम

लियोन (६९ रन पर पांच विकेट) और जोश हेजलवुड (63 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने दूसरी पारी में भी 239 रन ही बना सकी। आस्ट्रेलिया ने

रन की बदौलत पहली पारी में तीन विकेट पर लियोन ने इससे पहले कभी पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट हासिल नहीं किए थे और ना ही चौथे दिन के खेल से पहले दिन-रात्रि टैस्ट में कोई विकेट हासिल किया था। इस ऑफ स्पिनर ने 16वीं बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट हासिल किए और अब एडीलेड ओवल में उनके नाम पर 50 टैस्ट

विकेट दर्ज हैं। राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने से पहले वह इस मैदान पर क्यूरेटर की भूमिका निभाते थे। पाकिस्तान ने दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 39 रन से की। सलामी बल्लेबाज शान मसूद (68) और असद शाफिक (57) ने स्कोर 123 रन तक पहुंचाया जिसके बाद लियोन ने मसूद को मिशेल स्टार्क के हाथों पहली पारी में 287 रन से पिछड़ने के बाद कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा। मसूद और शाफिक ने तीसरे विकेट के लिए 103 रन

की साझेदारी की। शाफिक भी अर्धशतक पूरा करने के बाद लियोन की गेंद पर डेविड वार्नर को कैच दे बैठे जिससे टीम का स्कोर पांच विकेट पर 154 रन

हो गया। इफ्तिकार अहमद सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर के नाबाद 335 (27) और मोहम्मद रिजवान (45) ने इसके बाद टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। 589 रन बनाने के बाद पारी घोषित की थी। लियोन ने इफ्तिकार को पवेलियन भेजकर इस साझेदारी का अंत किया। इस आफ स्पिनर ने इसके बाद पहली पारी में शतक जड़ने वाले यासिर शाह (13) को पगबाधा किया और फिर डिनर ब्रेक से पहले की अंतिम गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी (01) को हेजलवुड के हाथों कैच कराके पारी में पांच विकेट पूरे

मेरी जगह अब नई पीढी को लेनी चाहिए : पेस नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)

दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने सोमवार को संन्यास लेने के संकेत देते हुए कहा कि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों पर जीत के लिए अपने अनुभव पर भरोसा करते हैं और वह एक साल से ज्यादा नहीं खेलना चाहते हैं। कई शीर्ष खिलाडियों के इस्लामाबाद जाने से इनकार करने के बाद पेस को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए भारत की डेविस कप टीम में चुना गया। इस 46 वर्षीय खिलाड़ी ने डेविस कप में 44वां युगल मैच जीतकर खुद के रेकार्ड में सुधार किया। भारत ने इस

मुकाबले में पाकिस्तान को 4-0 से हराया। पेस ने पत्रकारों से कहा, अब मैं अपने अनुभव के दम पर जीत दर्ज करता हूं लेकिन टीम के हितों को देखते हुए मुझे एक साल से अधिक नहीं खेलना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि भारतीय टेनिस का अभी मुख्य उद्देश्य अभी नई और युवा टीम तैयार करना होना चाहिए। पेस ने कहा, मैं 46 साल का हो चुका हूं और मेरी जगह अब नई पीढ़ी को लेनी चाहिए।





presents



HONOURING THE FINEST DISTRICT MAGISTRATES IN INDIA

CALL FOR ENTRIES

The Indian Express announces the second edition of The Indian Express Excellence in Governance Awards. The award celebrates District Magistrates across the nation who have been the agents of progress and change.

AWARD CATEGORIES

- Agriculture
- Border Districts
- Child Development
- Community Involvement
- Education
- Energy
- Entrepreneurship
- Health
- Implementation of Central Schemes
- Inclusive Innovation
- Jammu & Kashmir District
- Left Wing Extremism Districts
- North East Districts
- Skill Development
- Social Welfare
- Technology Implementation
- Water Management
- Women Development

To apply visit eigawards.indianexpress.com LAST DATE FOR ENTRIES | DECEMBER 31, 2019



IndianExpress.com/apps

twitter.com/IndianExpress

f facebook.com/IndianExpress

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 16, हवाई शुल्क: इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, गुवाह 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*,** *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमित लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।